राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] दसवीं विधान सभा के नवें सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

सोमवार,
8 सितम्बर, 1997

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : संवत्सरी क्षमापना। वन्दे मातरम्।

राष्ट्र-गीत

(वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम्। मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।)

अनेक माननीय सदस्य : भारत माता की जय।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 1.

जे. के. सिंथेटिक्स लि., कोटा के श्रमिकों का वेतन भुगतान प्रकरण

1. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) एवं श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा स्थित जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड के पी. एस. एफ. समूह के दो कारखानों में दो माह से श्रमिकों व अधिकारियों को वेतन नहीं मिला तथा ए. टी. सी. समूह के एक्रेलिक व टायर कोर्ड को बन्द करके वहां के श्रमिकों को भी 11 माह से वेतन नहीं मिला है।

(2) यदि हां, तो सरकार द्वारा जे. के. सिंथेटिक्स की सारी यूनिट्स में उत्पादन शुरू करने तथा श्रमिकों को वेतन मिल सके, इस बारे में क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : प्रश्न संख्या 2.

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न मेरा है।

श्री अध्यक्ष : पहला प्रश्न स्थगित है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्यों साहब?

श्री अध्यक्ष : यह उद्योग विभाग का नहीं है, श्रम का विभाग है।

श्री हीरालाल सहरिया : कब ले रहे हैं इसे, अध्यक्ष महोदय ?

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न ही स्थगित कर रहे हैं, यह शुभ संकेत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह तो आप सही कह रहे हैं पर उद्योग विभाग का प्रश्न नहीं है। इन्होंने उद्योग विभाग को सम्बोधित कर दिया है इसलिए इसको बाद में श्रम विभाग को भेजा गया।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : श्रम विभाग का था तो उस विभाग को भेज देना चाहिए था और यह लग जाना चाहिए था। अब अनावश्यक रूप से इनको यहां आकर कहना पड़ रहा है कि इसको स्थगित कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह भेज दिया। आप बिराजें। आप मान चुके हैं, आप स्वयं कह कर गये हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हमारे राज में ऐसा कभी नहीं होता था। अगर दूसरे डिपार्टमेंट का प्रश्न होता था तो उसी वक्त ट्रांसफर हो जाता था और जिस रोज उसका नम्बर आता उस दिन जवाब दे दिया जाता। यह क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष : इसको भी कर दिया है, अब आ जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, यह ट्रांसफर हो गया है और पहले नम्बर पर ही परसों लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट आप सुन लें। आज उद्योग विभाग का है, आज श्रम विभाग के प्रश्नों का दिन भी नहीं है। उधर ट्रांसफर कर दिया है, छप गया है और अब वह जब भी इनका नम्बर आएगा, श्रम विभाग में लग जाएगा।

श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह प्रश्न हीरालाल जी सहरिया के साथ-साथ मेरा भी है इसलिए मेरी भी दो लाइन आप सुन लें। हमने तो गलती कर दी, मान लीजिये, यह उद्योग विभाग में डाल दिया, लेकिन आपका सचिवालय क्या कर रहा था? अगर श्रम मंत्रालय में उनको डालना था तो फर्स्ट डे क्यों नहीं डाला ? जब विधान सभा का आज पहला दिन है तो श्रम मंत्रालय 9 तारीख को भी आता है, 9 तारीख को क्यों नहीं डाला गया? मेरा आपसे निवेदन है कि यह 11 तारीख को डाला गया है (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : 8 के बजाय 9 तारीख को रख लो, साहब, इसे।

श्री शांति कुमार धारीवाल : 11 तारीख को यह डाला गया है और 11 तारीख को जो फर्स्ट मूवर हैं हीरालाल जी सहरिया, वे जयपुर में मौजूद नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि इसको कल के लिए रख लिया जाए।

श्री हीरालाल सहरिया : मैं आश्वासन चाहता हूं कि 9 तारीख को इसको रख लिया जाए। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : गलती हमारी भी है, गलती आपके सचिवालय

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

की भी है तो कम से कम हमें बुलाकर यह सब करना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : वह पहले-पहले लगेगा जब भी लगेगा।

श्री शांति कुमार धारीवाल : हमें तारीख बता दीजिये, साहब। (व्यवधान) श्रम मंत्रालय का दिन कल भी है फिर 11 तारीख को क्यों रख रहे हैं? 9 तारीख क्यों नहीं रख रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : 11 को ही बैठ पाएगा यह; 11 को ही बैठेगा यह।

श्री हीरालाल सहरिया : जब पहला प्रश्न 8 तारीख को स्थगित किया है, श्रम मंत्रालय का है तो आप 9 को क्यों नहीं लगा रहे हैं?

श्री शांति कुमार धारीवाल : जब आप स्थगित करते हैं तो कई बार सरकार की बात मानते हैं तो क्या हम सदस्यों की बात पर आप विचार नहीं करेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कहेंगे जब रख देंगे। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : नाइन्थ को रखें।

श्री अध्यक्ष : आप कहेंगे जब लगा देंगे। आपसे बात कर लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगे। (व्यवधान) सहरिया साहब की सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसकी तरफ से गलती हुई, इसमें दोनों ही बराबर, असेम्बली सैक्रेटेरिएट भी कई दफे यह सोचता है कि क्वेश्चन पूछा गया है जिस डिपार्टमेंट से, शायद उसी का हो। वहां भेजने के बाद में डिपार्टमेंट कहता है कि हमारा नहीं है। फिर वे कम्युनिकेट करते हैं वापस असेम्बली सैक्रेटेरिएट को। अगर सम्भव हो और इसको पहले लिया जा सके और जिस डिपार्टमेंट को आपने स्थानान्तरित किया है, वह अगर उस दिन उत्तर दे सकता है, क्वेश्चन इसमें उत्तर देने का है ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक नम्बर पर लगा चुका श्रम विभाग के टर्न में।

श्री परसराम मदेरणा : वह मुझे मालूम नहीं। अगर वे दे सकते हैं तो आपका सैक्रेटेरिएट बात कर सकता है सरकारी अधिकारियों से या सम्बन्धित मंत्री से। वे इसका उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकते हों तो ठीक बात है और नहीं हों, और एक-दो दिन का वह समय चाहते हों तो देकर उसको रख दिया जाए। इसमें आपको अधिकार है चाहे उस मिनिस्टर का उस दिन टर्न है या नहीं है और वह डे क्वेश्चन की रिप्लाई के लिए मुकर्रर है या नहीं है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : छप गया है, पहले नम्बर पर रखा है। यह आज का जो स्थगित प्रश्न है, यह छपकर पहले नम्बर लगा है 11 तारीख को।

श्री परसराम मदेरणा : आप मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह ([illegible]) : [illegible] आपको दे दिया है [illegible]।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको भी दे दिया है, सबको बांट दिया है।

श्रीमती [illegible] ([illegible]) : [illegible] नहीं है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा नहीं है....(व्यवधान)

*श्री शांति कुमार धारीवाल : 8 तारीख का स्थगित प्रश्न 9 तारीख को क्यों नहीं लगाया गया, 11 तारीख को क्यों लगाया गया, मैं तो सिर्फ एक बात का [illegible] । 11 तारीख को जब पहले [illegible] [illegible] पर [illegible] नहीं है [illegible] रहे हैं [illegible]। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं भी संतुष्ट हो गये थे। 11 तारीख को छप चुका है। आपने [illegible] गलती को रेक्टीफाई करके 11 तारीख को पहले-पहले [illegible] दिया है [illegible] उसका नम्बर है। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : कल भी तो है श्रम मन्त्रालय का दिन।

श्री अध्यक्ष : [illegible] नहीं [illegible]।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कल नहीं लगाने का क्या कारण है ? मैं तो पूछ रहा हूं कि कल क्यों नहीं लगाया गया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पहले पूरी बात सुन लें कल की सूची पहले छप चुकी थी।

श्री शांति कुमार धारीवाल : 11 की भी सूची पहले छप चुकी थी।

श्री [illegible] : 8 तारीख की भी छप चुकी थी। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : और इसमें दूसरी बात यह है कि जवाब तैयार है सरकार के पास। [illegible] तो कल [illegible] पर [illegible] कर सकते हैं। [illegible] मन में तो यह आशंका रहती है [illegible] सरकार की तरफ से आपको निवेदन किया जाता है कि आप इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए तो आप फौरन तैयार हो जाते हैं और जब कभी हम चाहते हैं कि हमारे हक पर ध्यान दीजिये, हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिये, आप अपने आपको असमर्थ महसूस करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके हक पर भी ध्यान दिया है, [illegible] किसी की भी गलती रही हो। गलती तो यह हुई है कि उद्योग विभाग को सम्बोधित किया गया है। हमारा विभाग भी उतना तो नहीं कर सकता कि यह किसके विभाग से सम्बन्धित है। जैसे ही उद्योग विभाग से पूछा, उद्योग विभाग ने कहा कि यह हमारे से सम्बन्धित नहीं है, यह श्रम विभाग का है तो हमने श्रम विभाग को भेजा। उस वक्त 9 तारीख

(श्री अध्यक्ष)

की सूची छप चुकी थी। अब 11 तारीख में क्योंकि आपका प्रश्न आएगा और श्रम विभाग का है, उस दिन पहले पहले उसको छापा है। (व्यवधान) आप चैम्बर में मिल लेना। जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, सूची में तो 8 तारीख को भी हमारा सवाल छप चुका है। सूची से कोई ताल्लुक नहीं हैं, यह तो आपके विवेक पर और .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको कह रहा हूं, आप चैम्बर में मिल लें, अलग बैठकर बात कर लेंगे। इसमें कौनसी बात है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : आप 9 तारीख को ले लेंगे न इसको ? 9 तारीख का एश्योर करों तो चैम्बर में मिलें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप चैम्बर में पधार जाना, अलग बैठकर तय कर लेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 9 तारीख को लेने में एतराज क्या है ?

श्री अध्यक्ष : मैं आपको कह रहा हूं कि चैम्बर में पधार जाना, उस समय तय कर लेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 9 तारीख को लेने में अगर कोई एतराज है तो सम्बन्धित मंत्री महोदय फरमा दें कि वे नहीं दे सकेंगे या उनका वक्त नहीं है या उनका दिन तय नहीं है। एतराज क्या है इसमें ? अगर इस तरीके से अपने उत्तरदायित्व से...

श्री अध्यक्ष : अब यह तो मैं उनसे पूछूंगा। आज की तारीख में तो मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि उनका जवाब उनके पास आया या नहीं, मंत्रीजी के पास पूरा जवाब उस समय तक आया, कल आ सकता या नहीं आया, यह तो मैं नहीं कह सकता। इसलिए आपसे और मंत्रीजी से बैठकर अभी बात कर लेंगे, इसके पश्चात् और यदि कल सम्भव हुआ तो कल लगा देंगे। इसमें कौनसा क्या हो रहा है।...... (व्यवधान) श्री चुन्नीलाल धाकड़।

बेगूं–जयपुर बस सेवा

2. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में बेगूं से जयपुर हेतु दिन की एक भी बस सेवा चालू नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जो बस सेवा चालू की गई थी वे बसें जहाजपुर थाने में सीज कर दी गई थीं जो 16 दिन तक थाने में बन्द रहीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि एक-डेढ़ माह बसें चलीं इस मध्य चार बार टाइम टेबल बदला गया, तीन बार बसें बन्द कर पुनः चालू की गई ?

(4) क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जिनकी लापरवाही से भाग (3) की अनियमितताएं हुई, कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस

6

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

के विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

(5) क्या सरकार उक्त मार्ग पर पुनः दिन की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा) : (1) जी हां। वर्तमान में बेगूं से जयपुर के लिए परिवहन निगम की कोई बस सेवा संचालित नहीं है।

(2) जी हां। उक्त बस दिनांक 11-7-97 से 23-7-97 तक 13 दिन जहाजपुर थाने में बन्द रही थी।

(3) जी नहीं। दिनांक 21-5-97 से 11-7-97 तक की अवधि में इस बस सेवा का टाइम टेबल केवल एक बार बदला गया था। इस अवधि में उक्त बस सेवा का संचालन केवल एक बार दिनांक 13-6-97 से 25-6-97 तक ही बन्द रहा।

(4) मुख्य प्रबन्धक, चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(5) जी हां। बेगूं से जयपुर वाया माण्डलगढ़–जहाजपुर–देवली-टोंक–निवाई मार्ग का माण्डलगढ़ से देवली तक का भाग वर्तमान में राष्ट्रीयकृत नहीं है। निगम द्वारा माण्डलगढ़ से देवली वाया जहाजपुर मार्ग का अनुज्ञापत्र लेने हेतु दिनांक 24-7-97 को प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार अजमेर को आवदेन कर दिया गया है। आवेदित अनुज्ञा पत्र प्राप्त होने पर वाहन का संचालन पुनः प्रारम्भ किया जाना ...तावित है।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जानकारी दी है कि बस का टाइम टेबल सिर्फ एक बार ही चेंज किया गया, यह गलत है। दिनांक 21-5-97 को बेगूं मे उठने का समय 8 बजे निश्चित किया गया था, उसे बदलकर दिनांक 3-6-97 से 6.45 बजे का टाइम तय किया गया। उसके बाद दिनांक 25-6-97 को पुनः बदलकर 8 बजे किया गया। उसके बाद दिनांक 5-7-97 को बेगूं से 9 बजे सुबह उठने का टाइम तय किया गया और बेगूं में ही इस गाड़ी को सवा घंटे पड़े रखना, इतने लम्बे रूट की गाड़ी को, यह तय किया। दिनांक 6-7-97 को पुनः 7.30 बजे बेगूं से प्रस्थान का समय तय किया गया। यह बार-बार टाइम बदलने के बीच में गाड़ी दिनांक 13-6-97 को बन्द हुई और उसके बाद दिनांक 11-7-97 से बिलकुल बन्द कर दी गई है। बार-बार बन्द करना, चलाना और टाइम टेबल बदलना, यह बताता है कि इसके आगे एक प्राइवेट बस चलती है और उसको ज्यादा चांस देने के लिए उनकी सांठ-गांठ लगती है। इस वजह से ये सरकारी गाड़ी को नहीं चलने देना चाहते, यह साबित हो रहा है।

दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है कि 13 दिन तक थाने में गाड़ी बन्द रही। आज कोई भी प्राइवेट गाड़ी 13 दिन तक बन्द नहीं रह सकती, जल्द 1-2 दिन में ही छुड़ा ली जाती है और हमारी सरकार की ऐसी लापरवाही इन अधिकारियों की वजह से हुई है कि ये दो बसें 13 दिन तक जहाजपुर थाने में बन्द रही। दिनांक 21-5-97 को जो बस चालू की गई थी, क्या यह बिना परमिट के चालू की गई ? अगर बिना परमिट के चालू की गई तो यह कमी

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

किसकी रही, इसका दोषी कौन रहा ? क्या इस बस का परमिट पूर्व में भी 1996 में लिया गया था, जो दिसम्बर, 1997 में अवधि पार हो गया और उस पर एक भी बस नहीं चलाई गई ? अब जो चलाई गई है वह पुनः बिना परमिट के क्यों चलाई गई ?

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय माननीय, सदस्य ने मुझे एक पत्र लिखा दिनांक 6-4-97 को और मुझे पर्सनली भी मिले । इन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र से जयपुर को आप सीधा जोड़िये और आप एक सीधी बस सेवा चालू करिये । मैंने दिनांक 19-4-97 को एम.डी. राजस्थान रोडवेज को राइटिंग में निर्देश दिये कि क्षेत्रीय जनता की मांग पर, विधायक महोदय की रिक्वैस्ट पर आप एक बस सेवा तुरन्त चालू करें । उन्होंने मेरे निर्देश पर दिनांक 21-5-97 को बेगूं से जयपुर के लिए सीधी बस सेवा चालू की परन्तु एक नेग्लीजेंस यह हुई कि रोडवेज के डिपो मैनेजर, चीफ मैनेजर ने परमिट के लिए एप्लाई नहीं किया । परमिट के लिए एप्लाई नहीं करने के कारण और जो बेगूं से जयपुर के बीच में रूट है, माण्डलगढ़–देवली 73 किलोमीटर का उस रूट के अन्तरराष्ट्रीय होने के कारण प्राइवेट आपरेटर्स से आब्जेक्शन किया । डी.टी.ओ. के सामने वे उपस्थित हुए और उन्होंने इसकी शिकायत की । डी.टी.ओ. ने रोडवेज को टेलीफोन करके इत्तला दी कि या तो परमिट ले लीजिये वरना आप बस बन्द कर दीजिये । इस बीच में डी.टी.ओ. भीलवाड़ा के निर्देश पर दिनांक 13-6-97 से 25-6-97 तक यह बस बन्द रही । उसके बाद विधायक महोदय मुझसे फिर मिले और उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी । विधायक महोदय ने जो चिट्ठी लिखी, उस पर फिर से मैंने निर्देश दिये कि बस चालू की जाए परन्तु विधायक महोदय ने मुझ से परमिट की बात नहीं की । यह नेग्लीजेंसी विभाग को देखनी चाहिए थी, रोडवेज को देखने की थी, परमिट के लिए उनको विधिवत एप्लाई करना चाहिए था । मेरे निर्देश से उन्होंने बस तो चालू कर दी पर परमिट के लिए एप्लाई नहीं किया । उस नेग्लीजेंसी के कारण हमने उनको चार्जशीट दे दी और जैसे ही परमिट आर.टी.ओ. मंजूर कर देंगे, बस सेवा वापस चालू करा देंगे ।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि विधायक महोदय की गलती है कि उन्होंने परमिट तो परमिट, बाद में बस का नम्बर भी नहीं बताया । यह भी नहीं बताया कि कौनसी बस चलेगी, कितनी सीटर चलेगी । (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये । (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उस चीफ मैनेजर की गलती है जिसने अराष्ट्रीयकृत रूट पर बिना परमिट के बस चलाई । मंत्री जी के दो-दो दफे आदेश के बाद में भी नहीं चलाई, इससे बड़ी शर्म की बात और नहीं हो सकती । निजी आपरेटर्स को लाभ देने के लिए पूरे राजस्थान में जयपुर से सैंकड़ों बसें रोज चलती हैं और विभाग इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये, यह अभी बेगूं की बात हो रही है। आप विराजिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच बार टाइम टेबल चेंज करना 390 किलोमीटर की दूरी में बस को सवा घण्टे पहले रखना, ऐसा टाइम टेबल बनाकर देना बिलकुल नेग्लीजेंसी बताता है। यह क्यों हुआ गया, एक तो इसका स्पष्टीकरण नहीं आया। दूसरा मेरा पूरक प्रश्न था कि 13 दिन तक थाने में गाड़ी बन्द क्यों रही, क्यों नहीं छुड़ाई गई, इसका कितना लॉस हुआ, और यह बिना परमिट चालू क्यों की गई? इसका कोई उत्तर नहीं मिला। मैं दो साल से इस बस के लिए प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह लग रहा था कि माननीय सदस्य/सरकार ने जिस तत्परता के साथ बस चालू की, उसके लिए धन्यवाद देंगे, लेकिन वे उलटा आरोपित कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि माननीय सदस्य ने मुझे लिखा कि बस कम से कम 8 बजे बेगूं से चले। मैंने पहली बार बस चालू की तो ठीक 8.15 बजे बेगूं से रवाना होने का टाइम टेबल था। उसके बाद मुझे रोडवेज ने अवगत कराया, उसके बाद टाइम टेबल केवल एक बार बदला गया। जो ये तीन-चार की बात कह रहे हैं, यह गलत है।

दूसरा निवेदन है, यह हो सकता है कि रूट की परमिट नहीं होने के कारण प्राइवेट आपरेटर्स का आब्जेक्शन प्राप्त होगा। उनको एडजेस्ट करने के लिए रोडवेज में 10–15–20 मिनट का आगा-पीछा किया जा सकता है लेकिन जनहित में हमने बस चलाई, अध्यक्ष महोदय। अगर माननीय सदस्य इतना ही कहते हैं तो आगे हम परमिट लेकर चलाया करेंगे, लेकिन इस तरह से इमीजिएट रिक्वायरमेंट करेंगे तो मैं बस नहीं चला पाऊंगा।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : अध्यक्ष महोदय मंत्रीजी को धन्यवाद तो मैं पहले ही दे चुका हूं लेकिन जो गाड़ी बन्द हो गई उसके कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है? इसलिए इस पर विचार करिये थोड़ा।

श्री अध्यक्ष : बस चलाने, समझ? (व्यवधान) वापस चलाने की है क्या अभी?

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, भविष्य में ध्यान करेंगे। आइन्दा माननीय सदस्य की कोई रिक्वायरमेंट होगी तो परमिट लेकर ही बस चला पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मंत्रीजी ने सीधे सीधे कानून की अवहेलना की है और बिना परमिट के बस चलाई है +++

श्री अध्यक्ष : विराजिये। यह शब्द एक्सपंज कर दें। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : अगर किसी अधिकारी ने यह गलती की है तो उसके खिलाफ कार्यवाही जारी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। अब इसमें क्या बाकी रह गया है? बेगूं का है, आपको क्या करना है?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अनभिलेखित की गयी।

श्री शशिकुमार पारीवाल : नहीं, मैं वेणु की बात कर रहा हूं आपसे। एक जिसमों की बात आई इसमें है इसलिए अर्ज करना चाहता हूं और आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी मंत्रीजी ने कहा कि विधायक की शिकायत पर उन्होंने कारपोरेशन के एम.डी. को लिखित में निर्देश दे दिये तो मतलब कारपोरेशन के एम. डी. को लिखित में निर्देश देने पर सरकार का दखल नहीं होगा ? और आज बिजली बोर्ड को कारपोरेशन....(व्यवधान) बनाना चाहते हैं। इसलिए बनाना चाहते हैं तो इसमें सरकार का दखल नहीं रहेगा ?

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : सरकार जनहित में कारपोरेशन को निर्देश दे सकती है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। नेक्स्ट, माननीय अमरारामजी।

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र की सेम प्रभावित भूमि

3. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में कितनी एकड़ भूमि सेम से प्रभावित हुई ? चकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सेम से बरबाद किसानों को किसी तरह की सहायता राशि दी गई ?

(3) अब तक सरकार ने सेम समस्या को हल किये जाने की क्या योजना बनाई तथा इसके कब तक हल होने की सम्भावना है ?

(4) सेम के कारण कितने गांव उजड़ गये व कितने शहरी क्षेत्र प्रभावित हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : माननीय अमरारामजी, आपका प्रश्न सी. ए. डी. से सम्बन्धित था इसलिए इसको भी पोस्टपोन करना पड़ेगा।

श्री अमराराम (धोद) : सबको पोस्टपोन कर दोगे....

श्री अध्यक्ष : सी. ए. डी. का प्रश्न है, इन्दिरा गांधी नहर से सम्बन्धित है। आपने पहले सिंचाई लिख दिया, नीचे लिख दिया इन्दिरा गांधी नहर। आपका 11 तारीख को लगा दिया है।

श्री अमराराम (धोद) : एक दिन में ही दो पोस्टपोन कर देंगे तो सबको पोस्टपोन कर देना, मेरा तो इतना ही कहना है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको पोस्टपोन नहीं करेंगे, आपको तो सस्पेंड कर देंगे।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, सस्पेंड तो कर ही दिया लेकिन मैं कह रहा हूं, सबको पोस्टपोन मत कर देना।

श्री अध्यक्ष : आपका 11 तारीख को लगाया है। (व्यवधान)....श्री विष्णु जी मोदी।

चारा ढुलाई एवं टांका निर्माण कार्यों में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

4. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री विष्णु मोदी)

(1) वर्ष 1986 से 1988 के दौरान सूखा राहत कार्यों के तहत किस-किस जिले को किस-किस प्रयोजनार्थ कितनी-कितनी राशि का आवंटन किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चारा ढुलाई एवं टांकों के निर्माण में की गई गड़बड़ियों की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच करवाई गई थी? यदि हां, तो कब तथा जांच उपरांत किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों और संस्थाओं को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, अकाल राहत (श्री सांवर लाल जाट) : (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, राहत विभाग द्वारा वर्ष 1986 से 1988 तक नान-प्लान व सी. एस. एस. में विहित प्रयोजनों हेतु जिलेवार आवंटित राशि का विवरण परिशिष्ट एक....

श्री विष्णु मोदी : सर, जरा जोर से बुलवा दें, सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री सांवरलाल जाट : सदन की मेज पर रख दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रथम योजना मद में भारत सरकार द्वारा अकाल का केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा आकलन करने के बाद योजना मद में, उपलब्ध विवरण के अनुसार वर्षवार निम्नानुसार विभिन्न विभागों व अभिकरणों को राशि उपलब्ध करवाई गई :–

1986–87	14664.84 लाख
1987–88	52620.53 लाख
1988–89	26681.70 लाख

(2) जी, हां। सूची संलग्न है। दोषी पाई गई संस्थाओं के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिये गये हैं। शेष के विरुद्ध जांच विचाराधीन है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल पूछा कि कितने अकाल राहत में पैसे दिये गये, तो 14 करोड़, 52 करोड़, 26 करोड़, तीन साल का आपने यह लेखा-जोखा दे दिया। दूसरा खण्ड था-"क्या यह सही है कि चारा ढुलाई एवं टांकों के निर्माण में की गयी गड़बड़ियों की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच करवायी गयी थी? यदि हां, तो कब तथा जांच उपरांत किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों और संस्थाओं को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?" यह एक बहुत स्पेसिफिक सवाल था जिसका जवाब दिया है–"चारा ढुलाई के मामले में, जिसमें राज्य अन्वेषण ब्यूरो की जांच विचाराधीन है, जिला नागौर-दीवान पशु आहार, मकराना, ग्राम सेवा सहकारी समिति, डाबा, ग्राम पंचायत, राजोद।" मैंने स्पेसिफिक पूछा है कि टांकों के निर्माण में व चारा ढुलाई में जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कराई या जिनमें भ्रष्टाचार पाया गया उन किन-किन अधिकारियों के खिलाफ? कोई अधिकारी का नाम नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय सी. ए. जी. ने 1988 में राज्य सरकार को रिपोर्ट दे दी, जोधपुर जिले के चारा वर्ग में तथा बीकानेर में, बीकानेर चूरू मतलब, यहां तक हुआ है कि मोपेड के नम्बर, बस के नम्बर, स्कूटर के नम्बर और एक ही

(श्री विष्णु मोदी)

गाड़ी एक दिन में पांच हजार किलोमीटर तक चलना दिखाकर इसमें करोड़ों रुपये की गड़बड़ हुई है जिसकी कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल ने रिपोर्ट दे दी है। तो उसके ऊपर आपने क्या कार्यवाही की? खाली आपने तीन समितियों का नाम दिया। मैं आपके माध्यम से स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं कि कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल ने टांकों के अन्दर और चारा ढुलाई के अन्दर किन-किन लोगों के नाम देकर रिपोर्ट दी है और उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई? जो आपका खुद का डिपार्टमेंट है (व्यवधान) नहीं साहब, यह राजस्थान स्टेट ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन, जयपुर, उसके डाइरेक्टर ने 27.12.96 को राज्य सरकार को, चीफ सैक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है उसके बारे में आपने क्या कार्यवाही की?

श्री सांवरलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो वास्तव में चिंता जाहिर की है, बहुत पुराना मामला है और....

श्री विष्णु मोदी : मामला पुराने से नहीं है, मामला सिस्टम से है। मामला अगर पुराना था तो आज भी वह की वह मान्यता है।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें, बात पूरी करने दें।

श्री सांवरलाल जाट : नहीं, पुराना सुनने में आपको आपत्ति है क्या? दूसरी चीज भी बता देंगे। काफी पुराना मामला है। आडिट रिपोर्ट के बाद भ्रष्टाचार विभाग से जांच करवाई गई। जिन-जिन प्रकरण में जांच हुई है, मैंने निवेदन किया। चालान पेश कर दिये गये, कुछ में विचाराधीन है। माननीय सदस्य अगर इन्डिविजुअल इन्फार्मेशन एक-एक की चाहते हैं तो मैं आपको यह उपलब्ध करवा दूंगा। मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार आपको मैंने उपलब्ध करवाई है और आपकी चिंता है तो मैं आपको यह विश्वास देता हूं कि बहुत जल्दी, छह महीने के अन्दर-अन्दर इस मामले को निपटाने का प्रयास करेंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : छह महीने रहेंगे आप?

एक माननीय सदस्य : सी. बी. आई. को दो।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है कि मसला पुराना है या नया है। 1986 से 88 तक राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई को जिस तरह से लूटा गया है, भारत सरकार की सहायता को राजस्थान में अकाल राहत के कार्य के नाम पर लूटा गया है और....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें।

श्री टीकमचन्द कांत (सिवाना) : उस काल में ऐसे ही लूट होती थी, साहब। उस जमाने में ऐसे ही लूट हुआ करती थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें उन्हें, बोलने दें। टोकाटाकी नहीं करें। कोई टोकाटाकी नहीं करें।

श्री अमराराम (धोद) : आप दबा रहे हैं क्या उनको ? आप इस पर लीपा-पोती कर रहे हैं।

अध्यक्ष : विराजिये। अमरारामजी विराजिये।

श्री [illegible] मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय [illegible] मसला है, [illegible] जिम्मेदारी से नहीं [illegible]। [illegible] 86 से 88 तक 26 करोड़, 52 करोड़, 22 करोड़ [illegible] अकाल राहत में खर्च हुआ, कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल ने....

श्री अध्यक्ष : यह थोड़ा-सा आप करेक्ट कर लें, 146 करोड़, 522 करोड़, 260 करोड़ है।

श्री विष्णु मोदी : हाँ, साँरी अरबों में है। उसके बाद में इतना पैसा खर्च किया गया।

श्री [illegible] (धोद) : [illegible] से कम [illegible] ?

श्री विष्णु मोदी : कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल ने आपको रिपोर्ट दे दी 19[illegible], [illegible] बाद में [illegible] समितियों के लिए कहते हैं। मैंने आपसे स्पेसिफिकली पूछा कि किन अधिकारियों के खिलाफ जांच जारी है, उन अधिकारियों का नाम आपने नहीं बताया। राजस्थान स्टेट ब्यूरो आफ इनवेस्टीगेशन, जयपुर, के डी. जी. ने चिट्ठी लिखी चीफ सेक्रेटरी को 26 दिसम्बर 96 को [illegible] उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस चिट्ठी के अंश मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। वे यह कहते हैं-"Proposals for sanction of tankers were sent by the BDO, Panchayat samiti, shiv to collector's Office on loose papers. The socalled incomplete proposals, which were merely list of names..... while we are in the process of finalising the case with speed, a point which deserves consideration is how such a major scandal remained behind the smoke screen so for. There is need to fix the responsibility of people at all level." [illegible] स्टेट इनवेस्टीगेशन [illegible] आपको लिख रहा है, चीफ सेक्रेटरी को लिख रहा है और दिसम्बर 1996 में लिख रहा है, उसके बावजूद जब मैंने स्पेसिफिक आपसे सवाल पूछा है तो आपने एक अधिकारी का नाम नहीं दिया। आपने यह बताने की कोशिश नहीं की [illegible] क्या रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हैं। [illegible] आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि किन-किन अधिकारियों के खिलाफ, जो घोटाला हुआ है, उसमें आप कार्यवाही करने जाएंगे ?

श्री सांवरलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। उस समय स्कूटर के नम्बर, लूना के नम्बर, फर्जी, इस तरह चारे के मामले में पैसा उठाकर जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। उसके बाद में [illegible] भी [illegible] वगैरह की सुविधा उपलब्ध करवाई गई जनता को, ऐसे प्रकरण की पुनरावृत्ति नहीं हो,

(श्री सांवरलाल जाट)

इसके लिए इस प्रकार की सख्त व्यवस्था हमने लागू की। मैं दावे से कह सकता हूं कि उसके बाद में अगर एक-दो मामले....

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उसके बाद में आपने चारा दिया ही नहीं, आपने अकाल के काम खोले नहीं। आपका तो सबसे ही बढ़िया रिकार्ड है।....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उसके बाद में चारा खाने वाले मिले ही नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने तो फेमिन को फेमिन समझा ही नहीं। लोग मरें तो अपनी मौत मरें, आपको इस बात की कोई चिंता रही ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है। आपकी आदत तो मस्टररोल की पड़ी हुई, अब के मस्टररोल नहीं मिले तो नाराजगी स्वाभाविक है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमको मस्टर-रोल मत दो, अपने लोगों को तो दो कम से कम।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : म्हाने चायजे कोनी, बहुत बेइमानी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इन गरीबों का भी वही हाल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारे लोगों को मस्टररोल मिलने की शिकायत नहीं है और न ही इस बात की शिकायत है कि राजस्थान में अकाल नहीं पड़ा। आपको ये दोनों शिकायतें हैं कि मस्टररोल नहीं मिला और राजस्थान में अकाल नहीं पड़ा। इन दोनों बातों की आपको शिकायत है, उस शिकायत का समाधान मेरे पास नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भगवान देखता है। जहां अकाल पड़ा है उसको भी आपने अकाल घोषित नहीं किया और लोग बुरी तरह से परेशान हैं। आज भी पीने के पानी की भयंकर समस्या है। आप जयपुर छोड़ कर मजे में अपने कुछ शहरों में घूम कर आ जाते हैं। चलिये मेरे साथ, मैं दिखाता हूं बार्डर का एरिया कि जहां लोगों की क्या हालत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है। आप जितना बार्डर पर नहीं जाते, उससे ज्यादा मैं जाता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले जाते थे, अब नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले नहीं, अब भी जाता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब कहीं नहीं जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अकाल की स्थिति कहां-कहां है वह भी मुझे जानकारी है। लेकिन अब जितना अकाल आप चाहते हैं उतना अकाल नहीं पड़ा। यह प्रकृति ने हमारा सहयोग दिया है तो इसमें आपको नाराज होने की क्या जरूरत है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अब तो आपको दिल्ली से ही फुरसत नहीं है।....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : यह जवाब आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चलिये। आप बिराजें। कृपया शांति रखें।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपके इस जवाब की हम अपेक्षा नहीं करते। हमने गत सत्र में उठाया था भीलवाड़ा और अजमेर जिले के अकाल राहत का 1995, 96 और 97 का दो टैस्ट केस के रूप में आप सी. बी. आई से इन्क्वायरी करवाइये। कितना बड़ा घोटाला है। कितनी बड़ी गलतियां हैं। लाखों-करोड़ों के हर जगह में घोटाले पड़े हैं। तो आप दो जिलों का टैस्ट केस बनाइये न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप लिखकर दो न।

श्री रतनलाल ताम्बी : लिखकर दे देंगे आपको। कितना ही लिखा है, अलग-अलग ढंग से आपको।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बरसात हुई है। वहां जमकर बरसात हुई है, अकाल नहीं पड़ा।

श्री रतनलाल ताम्बी : पंचायतों के मामले में गांवों से जगह-जगह की दर-ख्वास्तें आपको भेजी हैं। जगह-जगह की दरख्वास्तों के साथ में प्रमाण लोगों ने भेजे हैं कापियां हमको भेजी हैं। हमने भी आपको निवेदन किया है। पिछले विधान सभा सत्र में भी इसकी मांग की थी कि दो जिलों अजमेर और भीलवाड़ा को आप टैस्ट केस बना लीजिये। आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो इन दो जिलों को अकाल राहत में टैस्ट केस बना लीजिये कि कितना बड़ा राजस्थान में घोटाला हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन-जिन संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है उनकी सूची मैंने संलग्न की है। इस मामले में कहां तक कार्यवाही हुई है, किस मामले में किस पर कार्यवाही हो रही है इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को यही निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा स्पेसिफिक सूचना आपको चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इस सम्बन्ध में कार्यवाही मैंने जैसा निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी हो, यह मेरा प्रयास होगा। मैं यह कोशिश करूंगा कि सहायता विभाग 6 महीने में यह जो पैंडिंग मामला है अपने स्तर पर इसका निस्तारण करवा ले।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा है माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इसको डायल्यूट करने की कोशिश की है और माननीय मंत्री जी भी इसका सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने अधिकारियों के लिए पूछा है, लिस्ट तो आपने तीन की दे दी। आपको फुरसत नहीं मिली होगी ज्यादा जानकारी करने की। मुझे स्पेसिफिक जानकारी स्पेसिफिक सवाल के माध्यम से ही चाहिए। मैं कोई व्यक्ति विशेष या कोई संस्था के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहा हूं कि जो 1986

(श्री विष्णु मोदी)

से 1988 के बीच में करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ। उसकी कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट दे दी 1988 में, यह रही रिपोर्ट। यह 31 मार्च, 1988 की ए. जी. की रिपोर्ट है। राहत विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन के अनुसार संवत् 2043 का जोधपुर जिले के चारा परिवहन के तदर्थ वाउचरों का तथा सम्बन्धित अभिलेख। दावों की यथार्थता के सत्यापन बिना तदर्थ अग्रिम भुगतान। यह 128 से लेकर 132 पेज तक कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल ने अपनी स्पेसिफिक रिपोर्ट दी है। उसमें कितनी गड़बड़ हुई, उसकी रिपोर्ट दी है। मुझे जो जानकारी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में बस्ता-ए-खामोशी में पड़ी है। इसमें आपके डी. जी. ने लिखा है चीफ सैक्रेटरी को 1996 में। मै रिपीट कर रहा हूं While we are in the process of finalising the case with the speed .... तो सुन लें, मान्यवर, यही तो जानना चाहता हूं कि किन उच्चाधिकारियों के, किस लेवल के अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करने जा रहे हैं? इतना ही स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं। अभी प्रोसेस में है 6 महीने में पूरा कर देंगे ऐसा कह कर इस विधान सभा को इतना लाइटली क्यों लेते हो come with specific. अगर हमारी गलती है तो हम स्वीकार करेंगे, आपकी गलती है तो आप स्वीकार करो। आज डी.आर.डी.ए. के माध्यम से भारत सरकार का कितना पैसा राजस्थान में आ रहा है, वह सही काम में लगे उसकी आवश्यकता है। तो आप कृपा करके मुझे जो सवाल मैंने पूछा है उस सवाल का स्पेसिफिक जवाब दें।

श्री सांवरलाल जाट : मैं आपकी इस भावना से सहमत हूं कि जो पैसा आ रहा है उसका सही उपयोग होना चाहिए और मेरे ख्याल से आजकल के वर्षों में बिलकुल सही उपयोग कर रहे हैं। आपको ऐसी कोई अनियमितता की शिकायत नहीं मिलेगी। माननीय सदस्य ने कहा कि अजमेर और भीलवाड़ा में अनियमितता हुई है, आप किसी से जांच करवा लें। आपकी चिन्ता यह है कि आपकी पार्टी वहां से खतम हो चुकी है। बाकी जहां तक मैंने निवेदन किया है कि जिन-जिन के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं, अन्वेषण ब्यूरो के पास हैं, सी.आई.डी. में जांच चल रही है (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपकी पार्टी रात वाली खतम हो गई कि कौन-सी पार्टी खतम हो गई?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री सांवरलाल जाट : जिन पार्टियों से सम्बन्धित ये हैं.... (व्यवधान) .... कांग्रेस पार्टी के हैं इनको पूछ लीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रात वाली पार्टी की बात कर रहे हो क्या आप? पिछले 112 साल वाली पार्टी है। रात वाली पार्टी का जिक्र कर रहे हो तो कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री [illegible] : [illegible] आ रहे हैं, [illegible] बात आ रहे हैं और [illegible] रही है मैंने उसका स्पेसिफिक [illegible] है। इसके अलावा जांच विचाराधीन है। इसकी जांच विचाराधीन है उस रिपोर्ट के ऊपर। और भी हम दिखवा रहे हैं, अगर दोषी होंगे तो मैंने आपसे कहा कि 6 महीने के अन्दर अन्दर कार्यवाही कराके इस प्रकरण का हम निस्तारण करवा देंगे हमारे विभाग से। बाकी जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के यहां पर जांच चल रही है अपने स्तर पर वे जांच करते हैं। दूसरा, न्यायालय के अन्दर जो प्रकरण हैं न्यायालय अपने हिसाब से उनका निर्धारण करेगा। न्यायालय के मामले में मैं कोई हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री [illegible] : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने न्यायालय की बात नहीं पूछी है और मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, मंत्रीजी जवाब क्या दे रहे हैं? न्यायालय का सवाल ही नहीं है। मैं खाली यह पूछ रहा हूं कि किन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करने जा रहे हैं। आपने जो लिस्ट दी है जो कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है उसको तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, वह तो 50 पेज की रिपोर्ट है। आपने सिर्फ तीन नाम दिये हैं चारा ढुलाई के मामले में। मैंने खाली चारा ढुलाई के बारे में नहीं पूछा है, मैंने अपने सवाल में टांका निर्माण और चारा ढुलाई दोनों का पूछा है और आप मुझे तीन आदमियों का चारा ढुलाई का दे रहे हैं। कम्पट्रोलर एण्ड [illegible] 6 जिलों में ट्रांसपोर्ट में घोटाले की बात [illegible] तो आप कौन सी जांच कराएंगे? 6 महीने में [illegible] कर लेंगे। जब 1988 में यह रिपोर्ट आयी हुई है उसका आज तक आपको पता नहीं? Kindly come with a specific answer. कि किन अधिकारियों पर किस लेवल के अधिकारियों पर आज तक आप कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल में जो है और एन्टीकरप्शन में जांच चल रही है उसकी [illegible] फाइनल कर देंगे? न्यायालय की बात मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे।

श्री [illegible] चौधरी ([illegible]) : माननीय अध्यक्ष महोदय, [illegible] अकाल राहत का नहीं [illegible] ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन का है जिसको [illegible] ऑफ इन्वेस्टीगेशन कहते हैं वह माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास है और जांच होकर जो रिपोर्ट आयी वह माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास है। अकाल राहत मंत्री को कोई अधिकार नहीं है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का उनके खिलाफ [illegible] देने का, [illegible] निकलवाने का। यह स्पेशल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन के तहत [illegible] है और माननीय मुख्य मंत्रीजी तैयारी कर रहे हैं [illegible] देने की। ये हिम्मत करते हैं और फिर [illegible] जाते हैं। [illegible] में ही [illegible] रहे हैं [illegible] मंत्री जी, [illegible] दे [illegible], [illegible] क्या [illegible] चाहते हैं, [illegible] है कि नहीं है। [illegible] है तो वैसा कह दो, नहीं [illegible] है तो वैसे कह दो कि नहीं करेंगे कुछ भी। [illegible] सब जानकारी है एक-एक बात [illegible] की। [illegible] बात पूरी [illegible] है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह सही है। इस सम्बन्ध में तत्काल जो कार्यवाही होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। अभी भी मुझे सन्देह है कि 1988 में कोई रिपोर्ट आई नहीं है। यह रिपोर्ट आगे के वर्षों की है और रेफरेंस 1988 का है। उसके बाद इस मामले को हमने आर. एस. बी. आई. को भेजा। अभी आज जो टांकों की बात कर रहे है यह टांकों की बात तो मैं बाड़मेर गया था तब मुझे मालूम हुई तथा मैंने आर. एस. बी. आई. के कुछ अधिकारी वहां लगाये हैं। टांके एक जगह नहीं गांव-गांव में भी खोदे गए हैं। उसके साथ ही कुछ शिकायतें और भी मिली हैं उन सबकी जांच हो रही है। मैं आपको इतना ही विश्वास दे सकता हूं, आज मैं सारी पत्रावलियां मेरे साथ लेकर नहीं आया हूं, आप चाहेंगे इसी सदन में तो सदन में जवाब दे दूंगा और सदन के बाहर चाहेंगे तो कार्यवाही करके जवाब दे दूंगा।

श्री विष्णु मोदी : वहां नहीं, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां मिल जाएगी आपको जानकारी, इसमें कोई सन्देह नहीं। लेकिन इस समय आप कहो कि 1988 में रिपोर्ट आ गई थी, 1988 में नहीं आयी थी और आपको यह भी जानकारी दे दूं कि यह मामला मैंने विधान सभा में विरोधी दल के नेता के रूप में उठाया था, 1988, 1987 में। इन दोनों समय में उठाया था। बाद में यह मामला जब हमारी गवर्नमेंट आयी तो हमने इसकी जांच करवाई। जांच करवाने के समय हमने ऑडिट वालों को कहा था कि आडिट वाले देख लें ताकि एक बार अकाउण्ट्स की दृष्टि से कहीं गलती हो गई हो तो उस गलती को हम दुरुस्त कर दें और जो आदमी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। आप, अध्यक्ष महोदय इस क्वेश्चन को चाहे पोस्टपोन कर दें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और दो-तीन दिन, चार दिन मुझे कम से कम टाइम चाहिए, मैं कागज देख करके हाउस में जवाब दे दूंगा।

श्री विष्णु मोदी : ठीक है, पोस्टपोन कर दें, साहब।

श्री रामनारायण चौधरी : यह बात तो कही आपने। सांवर लालजी की उठ-बैठ करवा रहे थे उससे क्या फायदा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रामनारायण जी, आप यह तो जानते हैं, आप तो मंत्रि-मण्डल में रहे हैं, कि मंत्री के भी अधिकार होते हैं। मुझे आज अफसोस हुआ कि आप जिस समय मंत्री थे आपको कोई अधिकार ही नहीं थे, चीफ मिनिस्टर को ही सारे अधिकार थे।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने बहुत अधिकार दे रखे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस गवर्नमेंट के ये हालात हैं, हमारी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी गवर्नमेंट में आपको यह कहते हुए मैंने हाउस में सुना है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने यह सुना मुझसे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपसे ही सुना है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इतना+++ और इतना असत्य कहीं-कहीं तो साहब सत्य भी बोलते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बताता हूं ये दो-तीन मंत्री थे आपके, जब क्वेश्चन का जवाब आता था मुझे मालूम है आप जवाब नहीं दे पाते थे तो मुख्य मंत्री को जवाब देना पड़ता था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो इन दो के बाद में तीसरा संगीन मंत्री था।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न स्थगित किया गया। श्री परसादी लाल जी।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपने पोस्टपोन कर दिया न, साहब ?

श्री अध्यक्ष : हां, स्थगित कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक यह शब्द बोला गया+++ मैं समझता हूं वे विथड्रा कर लेंगे इसको। वे खुद ही विथड्रा कर लेंगे। यह विथड्रा कर लें आप तो।

श्री खेतसिंह राठौड़ ऐसी बात कहूंगा कि मुख्य मंत्री जी असत्य बोलते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह बिलकुल सही है जो आप कह दो ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : और+++ देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ... (व्यवधान) .... कोई दिक्कत नहीं लेकिन भाषा संयत होनी चाहिए।

श्री जीत राम (मालपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस टाइम तत्कालीन हरियाणा सरकार ने भी चारा मुफ्त में भेजा था राजस्थान को तो कइयों ने वहां से मुफ्त आने पर यहां पर पैसा लिया, इसको बेच दिया। इसकी भी साथ ही जांच करवायी जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

पंचायती राज संस्थाओं में प्रधान एवं सरपंचों के रिक्त पद

5. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में प्रधान एवं सरपंचों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो रिक्त पदों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दौसा जिले की पंचायत समिति दौसा एवं महुवा में प्रधान के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों का चुनाव करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

राज्य मंत्री, पंचायती राज (श्री नाथूसिंह गुर्जर) : (1) जी हां। वांछित सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गयी है।

(2) जिला दौसा की पंचायत समिति, दौसा में दिनांक 18-2-97 से एवं पंचायत समिति, महुवा में दिनांक 5-7-97 से प्रधान का पद रिक्त है।

(3) जी हां। पंचायत समितियों में प्रधानों के रिक्त पदों का निर्वाचन इन पदों के रिक्त होने की तिथि से 6 माह के अन्दर कराने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में प्रक्रिया जारी है।

(सूचना के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने प्रश्न के भाग तीन के उत्तर में बताया, प्रधान के रिक्त पद का चुनाव 6 महीने के अन्दर-अन्दर कराने का प्रावधान है। पंचायत समिति दौसा का 18-2-97 से रिक्त पद है। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं कि इसकी सूचना निर्वाचन विभाग को आपने कब भिजवायी ? क्या सी.ई.ओ. ने जानबूझकर इन पदों को रिक्त रखने के लिए समय पर सूचना नहीं भिजवायी ? आज 6 महीने और 20 दिन पंचायत समिति के प्रधान के पद को रिक्त हुए हो गये, जो कि महिला ओ.बी.सी. के प्रधान का पद है। ऐसे ही आपके महुवा में है। महुवा में सिर्फ उसको हटाने के लिए और दूसरे लोगों को लाने के लिए कि यहां अनुसूचित जाति का प्रधान नहीं रहे, इस उद्देश्य से उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और हाई कोर्ट के स्टे के बाद भी उसको जबरदस्ती हटाया गया। मंत्री महोदय, एक को तो 6 महीने से अधिक हो गये, आप 6 महीने के अन्दर अन्दर दोनों पंचायत समितियों के चुनाव के लिए आज ही तारीख की घोषणा करिये। जिन अधिकारियों ने नेग्लीजेंसी की है, 6 महीने के अन्दर चुनाव कराने के लिए अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया है, आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, आप सदन में ही घोषणा करिये। महिलाएं हों, ओ.बी.सी. के हों, अनुसूचित जाति के हों, उन व्यक्तियों को केवल इसलिए हटाया जाता है, महिलाओं को हटाकर पुरुष आ जाते हैं, अनुसूचित जाति के लोगों को हटाकर दूसरे वर्ग के लोग आ जाते हैं। इसी तरह आपके रिक्त पद देख लीजिये। एक-एक डेढ़-डेढ़ साल से सरपंचों के रिक्त पद पड़े हैं दौसा जिले में। वहां क्यों नहीं चुनाव कराये जाते ? दौसा जिले में जो 16 पद रिक्त हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, वे सारे महिला सरपंचों के रिक्त पद हैं, उसमें एस.टी. और एस.सी. के लोगों के ज्यादा हैं। आप इनके चुनाव करा दीजिये या ऐसी कोई व्यवस्था कीजिये, अध्यक्ष महोदय, कानून में कि अनुसूचित जाति का यदि प्रधान का, सरपंच का रिक्त पद होगा तो उसका कार्यभार उसी वर्ग के व्यक्ति को सम्भलाया जाएगा। जैसा हरियाणा में हुआ है, आप भी करिये जिससे कि महिलाओं की, अनुसूचित जाति की, ओ.बी.सी. की रक्षा हो सके। इनको धड़ाधड़ हटाया जा रहा है। आपको पता होगा महुवा पंचायत समिति के प्रधान को हटाया गया हाई कोर्ट के स्टे के बाद। आपकी जिला परिषद् का सी.ई.ओ. उस स्टे को नहीं मानता। उसके खिलाफ हाई कोर्ट में कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है। ऐसी दादागिरी अगर प्रशासनिक अधिकारी करेंगे तो फिर किस बात

(श्री परसादीलाल मीणा)

की डेमोक्रेसी है ? किस बात का गांवों में पंचायती राज को मजबूत बनाना है ? मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, दोनों पंचायत समितियों के सरपंचों के जो रिक्त पद हैं, उनके चुनाव की घोषणा आज ही अविलम्ब करिये और इसी महीने वहां चुनाव कराने की घोषणा करिये ।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय मेरा भी निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी की सुन लें । मंत्री जी ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, ज्यों ही प्रधान का या सरपंच का पद खाली होता है, कानून में प्रोविजन है कि सम्बन्धित अधिकारी अलग-अलग केस में, अलग अलग स्थिति है, वह तुरन्त विभाग के पास सूचना पहुंचाएगा । माननीय सदस्य ने जिक्र किया दौसा का लेकिन जहां तक महुवा का सवाल है, महुवा में अभी दो महीने पहले ही पद रिक्त हुआ है तो अभी उसमें कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है । लेकिन .... (व्यवधान) एक मिनट सुनिये ।

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुन लें ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : जहां तक हाई कोर्ट के स्टे का मामला है उस सम्बन्ध में हाई कोर्ट में कन्टेम्प्ट में अगली पार्टी गयी है, वह मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है । दौसा का जहां तक सवाल है, यह सही है कि समय पर वहां के सी.ई.ओ ने सूचना विभाग को नहीं दी है उसके लिए हमने सी.ई.ओ. को शो कॉज नोटिस दिया । ज्यों ही जवाब प्राप्त हो जाएगा, विभागीय कार्यवाही में वह दोषी पाया जाएगा, करेंगे निश्चित रूप से । अध्यक्ष महोदय .... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, पूरी बात सुनें ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैं सब का ही बता दूंगा । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भर में, एक यह जो 6 महीने की अवधि है उसके बाहर केवल यह दौसा का एक केस ही आया है । हमने बाकी सी.ई. ओज को भी, एक्ट में और रूल्स में तो प्रोविजन है ही, वापस रिमाइण्ड कराया है कि ज्यों ही पद खाली हो तुरन्त विभाग को सूचना दें । अब मैंने कहा 6 महीने का प्रोविजन है कानून में कि 6 महीने के अन्दर-अन्दर चुनाव कराये जाएंगे, 6 महीने अभी दौसा जिले के अलावा कहीं क्रास नहीं हुए हैं ...

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : हो गये ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : नहीं हुए । एक मिनट....(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : आप इनकी पहले बात सुन लीजिये (व्यवधान) .... कोगटा जी बैठें ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सिरोही के जिला प्रमुख के पिछले पौने दो वर्ष से अब तक चुनाव नहीं हुए । जो अधिकारी वहां गये हैं उनके खिलाफ मंत्री महोदय ने क्या कार्यवाही की ? (व्यवधान).... पौने दो वर्ष तक सिरोही में एस. टी. की सीट के जिला प्रमुख के चुनाव नहीं हुए ।

श्री अध्यक्ष : माननीया तारा भण्डारी जी, बिराजें।

श्रीमती तारा भण्डारी : कौन अधिकारी दोषी था, मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। पूरी बात सुन लें। ऐसा तो कोई है नहीं कि मौका ही नहीं दिया जाता हो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मेरी पंचायत समिति का मामला है।

श्री अध्यक्ष : हां, आपकी ही बात करेंगे। पहले आपने हाथ खड़ा किया, इन्होंने भी हाथ खड़ा किया है। आप बोलें।

श्री परसादीलाल मीणा : आप मंत्री जी से कहें कि वे अध्ययन कर लें। गंगानगर, रायसिंहनगर और मसूदा में तो एक साल से भी ज्यादा हो गया।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आप सुन तो लें, मैं दे रहा हूं पूरा जवाब।

श्री अध्यक्ष : कृपा सुनिये। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : चूरू जिला परिषद् के जिला प्रमुख का अक्टूबर में देहान्त हुआ।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, गंगानगर के रायसिंहनगर में 16 साल से चुनाव नहीं हुए। आप बिलकुल गलत कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : राधेश्याम जी, बिराजें।

श्री चन्दनमल बैद : धूड़ाराम जी का स्वर्गवास अक्टूबर, 1996 में हुआ और आज सितम्बर, 1997 चल रहा है, वहां चुनाव नहीं हुए।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आप एक मिनट बिराजें तो जवाब दूं।

श्री चन्दनमल बैद : आप कह रहे हैं नहीं हुआ, इस बात के लिए मैं कह रहा हूं। आप गलत बात मत करिये ....(व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय सरासर गलत बयानी कर रहे हैं सदन में, आप थोड़ी-सी ताड़ना तो दीजिये। यह कोई तरीका हुआ क्या ? पूरे सदन में ही ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, बंटाधार कर दिया, पंचायती राज रहा ही नहीं राजस्थान में।

श्री अध्यक्ष : आप बात सुन लें। हां, मंत्री जी, फरमाएं।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि यह जो सवाल पूछा गया है यह केवल प्रधान और सरपंचों के लिए पूछा गया है। पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य ...(व्यवधान)....

श्री राधेश्याम गंगानगर : प्रधान की बात की है मैंने....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : राधेश्याम जी, पूरी बात तो आने दें। ....(व्यवधान)....

श्री नाथूसिंह गुर्जर : दो पदों के बारे में पूछा है और दोनों की सूचना मेरे पास

(२२)

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

है। बाकी के बारे में हो सकता है कि ज्यादा समय हो गया हो या कम हो गया हो। वह आप सवाल पूछ लेंगे तो मैं वह भी....(व्यवधान) प्रधान और सरपंचों के बारे में पूछा है, आप बाकी पदों के बारे में पूछेंगे तो विभाग से वह भी सूचना मंगाकर दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : आपके पास वह सूचना नहीं आएगी और हम सवाल पूछेंगे जब सूचना आएगी ? इससे ज्यादा और क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : सहरिया साहब, विराजें।

श्री हीरालाल सहरिया : विभागीय सूचना आपके पास नहीं आएगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। माननीय मंत्री जी की बात तो आने दें।

श्री हीरालाल सहरिया : क्या विभागीय सूचना आपके पास ये नहीं भेजते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप इनकी बात तो सुन लें।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा बताया, मेरे पास प्रधानों की सूचना है कि प्रधानों के किस किस समय में कौन कौन से पद रिक्त हैं। स्पष्ट कानून में प्रावधान है कि 6 महीने के अन्दर अन्दर चुनाव होने चाहिए, तुरन्त सी.ई. ओज को सूचना देनी चाहिए। दौसा के मामले में आपने पूछा, सी.ई.ओ. ने समय पर सूचना नहीं दी हमने शो कॉज नोटिस उनको दे दिया।

अब यह जहां तक एस.सी., एस.टी. के, महिलाओं के पद रिक्त होते हैं, यह बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, कि कई लोग इन्ट्रेस्टेड इस बात में होते हैं कि इनको हटाकर जो उप प्रधान है या जो भी उप सरपंच है, वह उस पद को हथिया ले। यह नया कानून है हमारे पास में, जब इस तरह की सूचनाएं आमतः हमारे पास आयीं कि इस तरह से चल रहा है तो तुरन्त विभाग ने अपनी मीटिंग की। मीटिंग करके यह तय किया कि कानून में इस तरह का संशोधन होना चाहिए कि यदि एस.टी. की सीट है तो एस.टी. को ही चार्ज मिलना चाहिए, महिला की सीट है तो महिला को ही मिलना चाहिए, एस.सी. की है तो एस.सी. को मिलना चाहिए, ओ.बी.सी. की है तो ओ.बी.सी. को ही मिलना चाहिए। इस तरह का कानून में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करके लॉ डिपार्टमेंट में भेज दिया है, भेजा हुआ है। आगे भविष्य में जो लॉ डिपार्टमेंट से आएगा हम केबिनेट में ले जाएंगे उस मामले को। अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र में जबरदस्ती कुछ नहीं होता। लोकतन्त्र में कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसको सरकार नहीं रोक सकती, वहां के चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं, यदि वे लाते हैं तो। लेकिन हम उसमें यह व्यवस्था जरूर कर रहे हैं कि जिस पद के लिये जो आरक्षित है उसी को उसका चार्ज मिलना चाहिये। इस तरह से करके हमने लॉ डिपार्टमेंट को भेजा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, दूसरा सप्लीमेंट्री मेरा है कि मंत्री महोदय ने स्पेसिफिक नहीं कहा है कि

(श्री परसादीलाल मीणा)

चुनाव कब तक कराएंगें । जब 6 महीने से ज्यादा हो गये तो आप चुनाव की घोषणा तो करिये । सवाल पूछने का उद्देश्य चुनाव कराना है । आप चुनाव के लिये कहिये, कब तक कराएंगे ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं तुरन्त....

श्री परसादीलाल मीणा : तुरन्त नहीं, कब कराएंगे ? 6 महीने में ज्यादा हो गये ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : जितना सूचना देने का टाइम है उसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2 महीने के अन्दर-अन्दर चुनाव हो जाएंगे ।

श्री परसादीलाल मीणा : 2 महीने क्यों, आखिर 2 महीने क्यों ? दो महीने का सवाल ही नहीं । (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, दो महीने किस बात के ? प्रधान के चुनाव के लिये 5 दिन की सूचना चाहिये । (व्यवधान) 2 महीने की क्या बात है इसमें ? क्या करोगे 2 महीने तक आप? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : जब तक आपके दल का प्रधान नहीं बने तब तक आप चुनाव नहीं कराने वाले हैं ।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने चुनाव नहीं कराये वहां ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने मैग्जीमम पीरियड बताया है । नोटिस देना पड़ेगा ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : भारतीय जनता पार्टी का प्रावधान कब बनेगा, जब माहौल तैयार हो जाएगा तब आप चुनाव कराएंगे । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जब 6 महीने में चुनाव कराने का प्रावधान है, 6 महीने से ज्यादा समय हो गया फिर मंत्री महोदय जानबूझ कर 2 महीने का समय क्यों ले रहे हैं ? चुनाव प्रक्रिया में जितना आपको समय लगता है आप उतना ही समय लीजिए । कितना टाइम लगता है आपको प्रक्रिया में ? केवल 15 दिन का समय लगता है ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि हम यहां से आदेश देंगे, वह आदेश वहां जिला परिषद पहुंचेगा, वे नोटिस निकालेंगे, उस नोटिस की एक अवधि होती हैं....

श्री शैलेन्द्र जोशी : जिला परिषद को तो आपने ही रोक रखा है । (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैंने मैग्जीमम टाइम आपको 2 महीने का बताया है ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : कुछ करना होता है तो आप हमारी दांतली के सरपंच को बिना जांच के सस्पैंड कर देंगे और जो काम नहीं करना होता है उसके लिये आपको समय चाहिये । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय; चुनाव तब तक नहीं कराये जा रहे हैं जब तक कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल नहीं बने; प्रधान नहीं बने । तब तक नहीं कराये जाएंगे ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री

(श्री हरिसिंह)

जी से एक सीधा-सीधा प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि 6 महीने में चुनाव कराने की संवैधानिक बाध्यता है। यह 73वें संविधान संशोधन में आब्लीगेटरी रखा गया है। सरकार इस संवैधानिक बाध्यता से बाधित है और अपने एक्ट में भी प्रावधान कर दिया। मैं मंत्री महोदय यह पूछना चाह रहा हूं कि दौसा जिले में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनके सरपंचों के पद 6 महीने से लेकर 12 महीने की अवधि तक खाली पड़े हैं और प्रधान के पद खाली पड़े हैं? जिन अधिकारियों की आपको सूचना भिजवाने की आब्लीगेटरी ड्यूटी थी, उन्होंने जो सूचना नहीं भिजवाई है उनके खिलाफ आप क्या कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं? और क्या उन पर तुरन्त चुनाव कराने का आप आश्वासन दे रहे हैं? मेरे यहां सलेमपुर थाना ग्राम पंचायत में महिला सरपंच का पद रिक्त हुए पूरे 14 महीने हो गये, चुनाव नहीं हुआ। इसलिए जिन अधिकारियों के स्तर पर यह लटका रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मैं मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : 6 महीने की मियाद खतम होने के बाद भी यदि चुनाव नहीं कराये जाते हैं और ऐसी घटनाएं आपके सामने आ रही है तो क्या सरकार इस मामले में एक संशोधन लाना चाहेगी कि 6 महीने में अगर राज्य सरकार चुनाव कराने में अक्षम रहती है तो चाहे मंत्री है, सैक्रेटरी है, डायरेक्टर है, उनके ऊपर क्या आरोप और सजा आयत की जा सकती है? इस बाबत कोई संशोधन लाने का मन रखती है? (व्यवधान) सिर्फ यह कह देना कि 6 महीने में चुनाव कराये जाएंगे, यदि 6 महीने में चुनाव सरकार द्वारा नहीं कराये जाते हैं तो इनके बाबत भी प्रावधान होना बहुत आवश्यक हो गया है इन हालात को देखते हुए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, परसादीलाल जी का सप्लीमेन्ट्री बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है और कान्स्टीट्यूशनल भी है, आप उसका जवाब आने दें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : एक आपसे अनुरोध है कि हम हाथ खड़े अनुशासन से कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं और आप बोलने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, यह क्या मतलब हुआ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। शैलेन्द्र जी ने और माननीय गुर्जर साहब दोनों ने पहले हाथ खड़े किये थे। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : प्रश्नकाल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जवाब आ जाएगा। आप पहले इसका जवाब दिलवा दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शैलेन्द्र जी, बोलिए आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, शैलेन्द्र जी बोल रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 18.2.97 को दौसा की कांग्रेस पार्टी की प्रधान श्रीमती शोभना गुर्जर ने कण्डीशनल रेजिग्नेशन दिया था और यह कहा था कि सी. ई. ग्रो. ग्रौर विकास ग्रधिकारी उसको कमरे में नहीं घुसने दे रहे हैं, उसको काम नहीं करने दे रहे हैं। सरकार ने, मंत्री महोदय ने कांग्रेस की महिला प्रधान को जो ओ. बी सी की थीं, प्रोटेक्शन नहीं दिया बल्कि उसका जो कण्डीशनल रेजिग्नेशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया ग्रौर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस दिन तक चुनाव करना नहीं चाहती है जिस दिन तक ग्रापकी पार्टी का माहौल नहीं बन जाए कि ग्रापकी पार्टी का ही प्रधान बनेगा, सही बात यह है। इस तरह से ग्रादमी की प्रतिबद्धता से सरकार काम कर रही है, यह शर्मनाक स्थिति है। Within the prescribed time in the Constitution by six months. चुनाव नहीं कराया गया है।

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया जवाब ग्राने दें। राजेन्द्र जी कोई बात कह रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इससे मान होता है कि मंत्री महोदय राजनैतिक रूप से भ्रष्ट भावना से काम कर रहे हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ग्रादरणीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे को आपने समय दिया है....

श्री ग्रध्यक्ष : एक मिनट, सबको दे दूंगा। श्री राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज इस सदन में इस बात की चिन्ता व्यक्त की जा रही है कि जो संविधान संशोधन की मूल भावना है उसके ग्रनुसार, जैसा कि मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है, प्रधानों के पद का प्रावधान 6 महीने का दिया है। तो क्या सरकार इस बात का इन्तजार करना चाहती है कि 5 महीने ग्रौर 29 दिन तक वे पद खाली रखे जाएं? मैं ग्रापके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, मैं ग्रापका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, लिस्ट उन्होंने यहां पर पढ़ कर बतायी है, जब किसी भी माध्यम से आपका सी. ई. ग्रो. आपको सूचना नहीं दे ग्रौर किसी अन्य माध्यम से जब ग्रापको सूचना मिल जाती है, ग्रापको सदन के सदस्य या किसी माध्यम से सूचना मिलती है उसके बाद में भी किस तरह से मंत्री महोदय ने 6 महीने बाद की बात कही है कि हम 2 महीने और लेंगे? 14 दिन के नोटिस पर चुनाव होता है। ग्राज सदन के ग्रन्दर इस बात की सूचना दी जा रही है कि 6 महीने हो गये ग्रौर मंत्री जी यह कह रहे हैं कि हम 2 महीने ग्रौर लेंगे।

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : ग्रध्यक्ष महोदय, यह संवैधानिक मसला है। इसलिए मेरे प्रश्न का जवाब ग्रा जाए। (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। समय जा रहा है, मंत्री जी को जवाब तो देने दें (व्यवधान) बिराजें ग्राप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : इसके बारे में मुख्य मंत्री जी जवाब दें।

श्री ग्रध्यक्ष : बिराजें ग्राप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि चुनाव समय पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होने चाहिये। जहां-जहां भी चुनाव नहीं हुए हैं और जिनके चुनाव कराने है, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक पद के लिये कब-कब चुनाव कराये जाएंगे विधिवत् व्यवस्था करके आपको इस सदन में जानकारी दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय खंगारसिंह जी। **(व्यवधान)**

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों की गलती रही है; समय पर सूचना नहीं दी है, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सिर्फ। हमारे मंत्री महोदय ने अभी कहा था कि अगर प्रधान का पद खाली हो जाएगा तो उप प्रधान को चार्ज न देकर किसी और को दिया जाएगा, इसका स्पष्टीकरण करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, मंत्री महोदय ने अभी फरमाया था कि अगर प्रधान का पद खाली होगा तो किसी दूसरे व्यक्ति को, अगर कास्ट का है तो कास्ट वाले को दिया जाएगा। तो उप प्रधान वाला पद जो है उसका क्या होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री अतरण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, हजारों आदमी यहां बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। मैं खुद बाहर धरने पर बैठा हुआ था। मजबूरी में मुझे आना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, हजारों औरतें और आदमी धरने पर बैठे हुए हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप जवाब दो।

(12.00)

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, माननीय, आप बिराजिये।

श्री अतरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी आवाज उन लोगों के साथ बुलन्द करूंगा। आपको सुननी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी की बात सुनें।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां भी जिन-जिन अधिकारियों ने समय पर सूचना नहीं दी उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये मैंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं। दूसरा, जो पद खाली हैं, हमने यह भी निर्देश दिये हैं कि वहां पर चुनाव करा लिये जाएं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इससे सम्बन्धित निवेदन करना चाहता हूं कि यह तीसरी सन्तान के मामले में जो अयोग्यता का मामला है, इस मामले में कानून की अस्वस्थता के कारण एक-एक वर्ष तक निर्णय नहीं हो रहा है। सी. ई ओ. इनकी इत्तिला नहीं दे पा रहे हैं और इन्क्वायरी नहीं करते....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(श्री)

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(4) क्या सरकार के पास पेंशनरों को एंजियोग्राफी व्यय का पुनर्भरण करने के लिये मामले लम्बित हैं ? यदि हां, तो किस-किस के ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पेन्शनरों के अन्तरंग रोगी के रूप में भर्ती होने पर राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने हेतु राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना के पैरा 4 में स्पष्ट प्रावधान निहित है। मेडिकल रिलिफ सोसायटी द्वारा भी पेंशनरों को निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण की सुविधा देने के बारे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दिनांक 2-6-97 को निर्देश जारी किये हैं, प्रति संलग्न है।

(2) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में पेंशनर के अन्तरंग रोगी के रूप में भर्ती होने पर उसके एंजियोग्राफी परीक्षण (टेस्ट) का कोई लैब शुल्क नहीं लिया जाता है। यह चिकित्सालय द्वारा ही वहन किया जाता है। अप्रेल, 1997 से 15 अगस्त, 1997 तक कुल 32 पेंशनरों का एंजियोग्राफी टेस्ट किया गया। इनमें से 11 पेंशनरों से किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं कराया गया।

(3) जी हां, एंजियोग्राफी लेबोरेट्री फीस के बारे में प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में दर्शाया जा चुका है। पेंशनर की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए निःशुल्क एंजियोग्राफी की जाती है। पेंशनर को राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना के अन्तर्गत एंजियोग्राफी टेस्ट के व्यय का पुनर्भरण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) जी नहीं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट—3 देखें)

पेंशनरों को चिकित्सा सुविधाएं

2. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार ने पेंशनरों के लिए सेवारत कर्मचारियों की भांति ही आंखों पर चश्मा अथवा लेन्स लगवाने, दन्तावली तथा श्रवणयन्त्र निःशुल्क देने के लिए चिकित्सा राहत योजना में प्रावधान किया है ? यदि हां, तो आदेश/निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्या सरकार पेंशनरों को यह सुविधा देने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं, पेंशनरों को आंखों पर चश्मा अथवा लेन्स लगवाने, दन्तावली तथा श्रवणयन्त्र निःशुल्क देने के लिए राजस्थान राज्य पेन्शनर्स चिकित्सा रियायत योजना में कोई प्रावधान निहित नहीं है। इस प्रकार की सुविधायें दिये जाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

स्टाम्प विक्रय के लाइसेन्स जारी करने की प्रक्रिया

3. **श्री गोपीचन्द गुर्जर** (नगर) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, महारानी कॉलेज के सामने लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। (व्यवधान)

श्री कुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक शर्मनाक काण्ड हुआ है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, अत्याचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। (व्यवधान) विधेयकों का विवरण, विगत सत्रों में पारित विधेयकों का विवरण।

श्री रतनलाल ताम्बी : ....(व्यवधान) के मामले को लेकर उस कानून का राजस्थान की सरकार और उसके अधिकारी। खुब उल्लंघन कर रहे हैं जिसके लिये स्वयं मुख्य मंत्रीजी पूरे देश में वाहवाही लूट रहे हैं। उसके कारण से... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : लाठी-चार्ज किया जा रहा है।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : गिरफ्तार नहीं किया गया है, अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : महारानी कॉलेज के सामने लाठीचार्ज किया गया है। शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट बिराजिये। आपकी सब बातों के लिये यह फोरम है। (व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट–2 पर देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पेंशनरों के अन्तरंग रोगी के रूप में प्राप्त चिकित्सा सुविधाएं

1. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा न्यासी बोर्ड के निर्णय के अनुसार पेंशनरों के अन्तरंग रोगी के रूप में भर्ती होने पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा तथा मेडिकल रिलीफ सोसायटी द्वारा भी पेंशनरों को निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण (मेडिकल टेस्ट) की सुविधा देने के विषय में कोई आदेश/निर्देश प्रसारित किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में पेंशनर के अन्तरंग रोगी के रूप में भर्ती होने पर उसके एंजियोग्राफी का सारा व्यय चिकित्सालय द्वारा वहन किया जाता है ? यदि हां, तो अप्रेल, 1997 से 15 अगस्त, 1997 तक किन–किन पेंशनरों को यह सुविधा दी गई और किन–किन को किस–किस कारण से नहीं दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय द्वारा केवल एंजियोग्राफी लेबोरेट्री फीस वहन की जाती है और अधिकतर पेंशनरों को एंजियोग्राफी का सारा व्यय स्वयं वहन करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके द्वारा किये गये व्यय का पुनर्भरण करने का विचार रखती है ?

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा 1 जनवरी, 1997 से 31 जुलाई, 1997 की अवधि में जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, जयपुर नगर निगम एवं सिविल न्यायालय आदि के परिसरों हेतु स्टाम्प विक्रय के लाइसेन्स जारी किए गए हैं ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कब-कब ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्थानों पर लाइसेन्स जारी करने से पूर्व जिला कलक्टर द्वारा उक्त परिसरों के नियन्त्रक यथा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, आयुक्त, नगर निगम एवं सिविल न्यायालय, जयपुर से अनुमति प्राप्त करनी होती है ? यदि हां, तो किस आदेश के अन्तर्गत ? इस प्रक्रिया तथा इस सम्बन्धी आदेशों की प्रति विवरण सहित सदन की मेज पर रखें। क्या जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा पैरा 1 में वर्णित अवधि में जारी लाइसेन्सों हेतु भी अनुमति प्राप्त की गई ? यदि हां, तो अनुमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, जयपुर को महानिरीक्षक स्टाम्प्स, अजमेर द्वारा माह मार्च, 1997 के पश्चात् जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय, जयपुर में स्टाम्प विक्रेता के लाइसेन्स जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को एवं कब ? महानिरीक्षक, स्टाम्प अजमेर द्वारा जारी पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि महानिरीक्षक स्टाम्प्स द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा स्टाम्प्स विक्रेता के लाइसेन्स जारी नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार अब उक्त को लाइसेन्स जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 1 जनवरी, 1997 से 31 जुलाई, 1997 तक की अवधि में प्रश्न में वर्णित परिसरों में निम्नलिखित दो व्यक्तियों को उनके नाम के आगे अंकित तिथि पर मुद्रांक विक्रेता के लाइसेन्स जारी किये गये हैं।

क्र. सं.	नाम मुद्रांक विक्रेता	स्थान	महानिरीक्षक से प्राप्त सहमति का विवरण	अनुज्ञा पत्र जारी करने की तिथि
1.	श्री प्रेमचन्द जाटव	सिविल कोर्ट	पत्र संख्या 233 दिनांक 15–2–97	24–2–97
2.	श्री श्यामसुन्दर गुप्ता	हाई कोर्ट	पत्र संख्या 3302 दिनांक 1–3–97	11–3–97

(उप मुख्य (वित्त) मंत्री)

(2) जी, नहीं। स्टाम्प विक्रेता के लाइसेन्स राजस्थान स्टाम्प रूल्स 1955 के नियम 22 के तहत जारी किये जाते है। जिसमें कलक्टर (स्टाम्प्स) को महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान अजमेर की सहमति प्राप्त कर लाइसेन्स जारी करने के अधिकार दिये हुये है। इसमें किसी अन्य को अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है। पैरा एक में वर्णित स्टाम्प विक्रेता हेतु भी कोई पूर्व अनुमति इसी आधार पर नहीं ली गई थी।

(3) जी, हां। यह सही है कि अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 22–5–97 को पत्र क्रमांक 1292 द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर को एक व्यक्ति श्री सत्यनारायण शर्मा को जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में स्टाम्प विक्रेता का लाइसेन्स जारी करने हेतु निर्देशित किया गया था (जैसा कि श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चाहा गया था) तथा अतिरिक्त महानिरीक्षक के इसी पत्र में एक अन्य व्यक्ति श्रीमती सरिता गुप्ता को भी उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार अनुज्ञा पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु श्रीमती सरिता गुप्ता का प्रार्थना पत्र राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में लाइसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में था। अतिरिक्त महानिरीक्षक के उक्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(4) जी, हां। यह सही है कि अभी तक अतिरिक्त महानिरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप उक्त दोनों प्रकरणों में स्टाम्प विक्रेता लाइसेन्स जारी नहीं किये गये है क्योंकि विभिन्न राजकीय कार्यालयों के परिसरों में मुद्रांक विक्रेता के बैठने के स्थान के अभाव के कारण प्रायः उनके विभागों द्वारा उनके कार्यालय के लिये लाइसेन्स जारी ना करने हेतु कहा जाता है इसलिये पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि जिस स्थान के लिए अनुज्ञा पत्र चाहा गया है वहां मुद्रांक विक्रेता के बैठने का स्थान उपलब्ध है या नहीं अथवा सम्बन्धित विभाग/कार्यालय को मुद्रांक विक्रेता के बैठने का स्थान देने में कोई आपत्ति तो नहीं है।

इस कार्यालय द्वारा पैरा एक में वर्णित श्री श्यामसुन्दर गुप्ता को दिनांक 11-3-97 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के लिए लाइसेन्स दिया गया था जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन) ने अपने पत्र क्रमांक 1778 दिनांक 5-5-97 द्वारा इस कार्यालय को यह लिखा गया कि श्री गुप्ता को लाइसेन्स जारी करने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय से विचार विमर्श करना चाहिये था तथा मुद्रांक विक्रेता के बैठने के लिए न्यायालय परिसर में कोई उचित स्थान भी नहीं है इसलिये उन्हें किसी अन्य स्थान पर लाइसेन्स दिया जावे। इसी प्रकार श्री गिरीराजप्रसाद गुप्ता को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31-3-97 को मिनी सचिवालय परिधि के लिए लाइसेन्स जारी किया गया था जिस पर अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 105 दिनांक 23-4-97 द्वारा यह स्पष्टीकरण चाहा गया कि बिना सम्भागीय आयुक्त/कार्यालय अध्यक्ष की सहमति के मिनी सचिवालय परिसर में लाइसेन्स क्यों

(उप मुख्य (वित्त) मंत्री)

जारी किया गया। इस प्रकार की व्यवहारिक समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए पैरा तीन में वर्णित अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान अजमेर का पत्र प्राप्त होने के पश्चात् दोनों प्रार्थीगण के कार्यालय में उपस्थित होने पर उन्हें जयपुर विकास प्राधिकरण से जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय परिसर में स्थान की उपलब्धता के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र लाकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था क्योंकि जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय परिसर के लिए पूर्व से ही तीन स्टाम्प विक्रेता लाइसेन्स जारी किये हुये है। इस कारण भी जयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक था। (ऊपर संदर्भित पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न है)

(5) जी, हां। जयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में उक्त प्रार्थीगण के बैठने के स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर लाइसेन्स जारी किये जाने में कोई कठिनाई नहीं है।

(प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कर निरीक्षकों की सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पदों पर पदोन्नतियां

4. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या दिनांक 31 जुलाई, 1997 को कर अनुभाग द्वारा कर निरीक्षक से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की पदोन्नति की गयी है? यदि हां, तो पदोन्नत अधिकारियों की डी. पी. सी. व तदर्थ आधार पर की गई पदोन्नत व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पदोन्नति दिये जाने में योग्यता एवं वरिष्ठता का क्या अनुपात और यह सरकार के किस नियम या आदेश के अन्तर्गत रखा गया है? नियम/आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखे।

(3) इन दोनों पदोन्नति सूची के अन्तर्गत किये गये अधिकारियों की गोपनीय प्रतिवेदनों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। पदोन्नत अधिकारियों की सूचियां संलग्न हैं।

(2) पदोन्नति किये जाने में योग्यता एवं वरिष्ठता का अनुपात 50-50 प्रतिशत होता है। 50 प्रतिशत वरिष्ठता एवं योग्यता तथा 50 प्रतिशत योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971 के नियम 18(4) के अन्तर्गत प्रावधान है। नियम की छाया प्रति संलग्न है।

(3) गोपनीय प्रतिवेदनों का विवरण प्रेषित किया जाना वांछनीय नहीं है।

(छाया प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

(32)

राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले

5. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में औद्योगिक दृष्टि से कौन-कौन से जिले पिछड़े हैं तथा इन जिलों को विशेष रूप से क्या-क्या सहायता कब-कब से दी जा रही है।

(2) उक्त क्षेत्रों में उद्योग लगाने वालों को मिलने वाली सहायता के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि इस संबंध में किसी प्रकार के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा अपनी प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक 4-1-81 एवं दिनांक 21-4-83 द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का वर्गीकरण प्रसारित किया गया, जिसके अन्तर्गत राजस्थान के "अ" श्रेणी में 2 जिले व "ब" श्रेणी में 6 जिले तथा "स" श्रेणी में 8 जिले घोषित किये गये। तत्पश्चात प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 9-4-85 द्वारा "अ" श्रेणी में 4 जिले हो गये, "ब" श्रेणी में 5 जिले तथा "स" श्रेणी में 7 जिले घोषित किये गये, जिलेवार श्रेणी निम्न प्रकार है :—

"अ" श्रेणी— (1) जैसलमेर (2) सिरोही (3) बाडमेर तथा (4) चूरू

"ब" श्रेणी— (1) अलवर (2) जोधपुर (3) भीलवाड़ा (4) नागौर तथा (5) उदयपुर

"स" श्रेणी— (1) बांसवाड़ा (2) डूंगरपुर (3) जालौर (4) झुन्झुनूं (5) झालावाड़ (6) सीकर तथा (7) टोंक

इन जिलों में केन्द्रीय विनियोजन अनुदान योजना वर्ष 1971 (समय समय पर संशोधित) दिनांक 30-9-88 तक निम्न प्रकार से देय थी :—

1—"अ" श्रेणी—इन जिलों में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को उनके स्थायी पूंजी विनियोजन पर 25% की दर से किन्तु अधिकतम 25 लाख रुपये तक का अनुदान देय था।

2—"ब" श्रेणी—इन जिलों में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को उनके स्थायी पूंजी विनियोजन पर 15% की दर से किन्तु अधिकतम 15 लाख रुपये तक का अनुदान देय था।

3—"स" श्रेणी—इन जिलों में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को उनके स्थायी पूंजी विनियोजन पर 10% की दर से किन्तु अधिकतम 10 लाख रुपये तक का अनुदान देय था।

भारत सरकार द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है।

(उप मुख्य (उद्योग) मंत्री)

राज्य सरकार ने जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही व चूरू जिलों को औद्योगिक विहिन जिले मानकर एवं ट्राइबल सब एरिया प्लान में राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 के अन्तर्गत दिनांक 19-8-92 को परिपत्र जारी कर नई और पात्र लघु औद्योगिक इकाईयों को उनकी पात्र पूंजी विनियोजन का 10% अथवा 10 लाख रुपये, जो भी कम हो, का अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार इन क्षेत्रों में नई और पात्र बृहद और मध्यम औद्योगिक इकाईयों को उनकी पात्र पूंजी विनियोजन का 5% या 5 लाख रुपये, जो भी कम हो, अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

(2) केन्द्रीय पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1971 से 30-9-88 तक राज्य में प्रभावी रही जिसके अन्तर्गत अनुदान आवेदन पत्रों पर निर्णय हेतु जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय अनुदान समिति एवं राज्य स्तर पर शासन सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुदान समिति द्वारा अनुदान आवेदन पत्रों पर निर्णय लिया जाता था।

जिला स्तरीय अनुदान समिति द्वारा 2500/- रुपये तक के अनुदान स्वीकृति प्रदान की जाती थी इस राशि के ऊपर का अनुदान की स्वीकृति राज्य स्तरीय अनुदान समिति द्वारा दी जाती थी।

राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 के अन्तर्गत अनुदान हेतु प्राप्त लघु औद्योगिक इकाईयों के आवेदन पत्रों पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय अनुदान समिति एवं बृहद तथा मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों से आवेदन पत्रों का राज्य स्तर पर शासन सचिव उद्योग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अनुदान समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर समस्त प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है।

(3) जी, हां। वह भी सही है कि केन्द्रीय पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1971 एवं राज्य पूंजी विनियोजना अनुदान योजना, 1990 के दिशा निर्देश जारी किये गये थे, जिनकी प्रतियां संलग्न हैं।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत मावण्डा (सीकर) की राशन की दुकानों का निरीक्षण

8. **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नीम का थाना, जिला सीकर में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं, चीनी एवं केरोसीन की मात्रा प्रति यूनिट सरकार द्वारा समान रूप से वितरित की जा रही है? यदि हां, तो कितनी-कितनी ?

(2) ग्राम पंचायत मावण्डा कलां तह-

(श्री इन्द्रसिंह मुनिया)

सीम नीम का थाना में कितने प्रधिकृत राशन डीलर कब से नियुक्त हैं? सूची सदन की मेज रखें। इनको गत तीन वर्षों में कितना-कितना गेहूं, चीनी व केरोसीन तेल आवंटित किया गया? क्या आवंटित कोटा नियमित रूप से उपभोक्ताओं को वितरित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? ग्राम मावण्डा कलां, में गत तीन वर्षों से वितरित सामग्री का विक्रय रजिस्टर/यूनिट रजिस्टर की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में कभी विभागीय अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत मावण्डा कलां की दुकानों का निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो कब-कब व किसके द्वारा? निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार निरीक्षण में दोषी पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त राशन सामग्री के रिकार्ड का संधारण अधिकृत राशन सामग्री विक्रेता द्वारा नहीं किया जाकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करवाया जाता है? यदि हां, तो किस के द्वारा क्या सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जी, हां। गेहूं प्रति परिवार 10 किलो, चीनी 300 ग्राम प्रति यूनिट एवं केरोसीन 5 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह से वितरण करवाया जा रहा है।

(2) ग्राम पंचायत मावण्डा कलां में दो राशन के डीलर क्रमशः श्री रावतसिंह दिनांक 3. 6. 90 एवं श्री छोटूसिंह दिनांक 21. 11. 96 से नियुक्त हैं। उक्त डीलरों को वर्ष 1995 से जुलाई, 1997 तक गेहूं, चीनी एवं केरोसीन के आवंटन का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। उक्त डीलरों द्वारा नियमित रूप से उपभोक्ताओं को वितरण किया गया है। उक्त अवधि के विक्रय रजिस्टरों एवं यूनिट रजिस्टरों की प्रतियां, सदन की मेज पर अल्प अवधि में रखना संभव नहीं है, क्योंकि उक्त तीन वर्षों के रजिस्टरों की फोटोप्रतियां अधिक हैं।

(3) जी, हां। श्री लियाकत अली खां, प्रवर्तन-निरीक्षक द्वारा दिनांक 6. 9. 95 एवं श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 11. 4. 96 व श्री मुरलीधर व्यास, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 16. 1. 97, 11. 2. 97 एवं 12. 2. 97 को निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

(4) निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी, हां। श्री रावतसिंह बुजुर्ग होने के कारण स्वयं की उपस्थिति में वितरण कराते हुए रेकार्ड का संधारण अपने

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

भतीजे श्री रतनसिह द्वारा एवं श्री छोटूसिह एक हाथ से विकलांग होने के कारण रेकार्ड का संधारण स्वयं की उपस्थिति में अन्य लोगों की सहायता से करता है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

राज्य को आवंटित राशन सामग्री

9. श्री अमरारोम (धोद) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

गत 6 माह में केन्द्र सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए कितना गेहूं व चावल राज्य सरकार को आवंटित किया गया है और सरकार द्वारा कितने गेहूं व चावल के आवंटन हेतु केन्द्र सरकार से मांग की गई ?

उत्तर

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये केन्द्र सरकार की नई नीति लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1 जून, 1997 से प्रारम्भ की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये प्रति परिवार प्रति माह 10 किग्रा. खाद्यान्न 3/- रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह 21450 मै. टन गेहूं व 250 मै. टन चावल राज्य सरकार को आवंटित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रति परिवार 10 किग्रा. खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह के बजाय कम से कम 40 किग्रा. की दर से खाद्यान्न आवंटन हेतु केन्द्र सरकार से मांग की गई है।

जिला रसद अधिकारी, झुन्झुनूं द्वारा राशन डीलरों की जांच

10. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1996 से अगस्त, 1997 तक जिला रसद अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा राशन सामग्री वितरण हेतु नियुक्त किस-किस डीलर के खिलाफ जांच की जाकर शिकायतों का निस्तारण किया गया और किस-किस डीलर को क्या-क्या दण्ड दिया गया तथा किस-किस डीलर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई ?

(2) उक्त में से किस-किस डीलर को पुनः राशन सामग्री वितरण हेतु दी गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1996 से अगस्त, 1997 तक जिला झुन्झुनूं में नियुक्त राशन डीलरों के खिलाफ जांच की जाकर प्रकरण दर्ज कर उनका निस्तारण किया गया एवं डीलर्स को जिस-जिस दण्ड से दण्डित किया गया, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जिस-जिस डीलर को पुनः राशन सामग्री दी गयी है, की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बून्दी के स्वीकृत कार्य

11. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बून्दी जिले में वर्ष 1996–97 में कितनी–कितनी लागत से कौन–कौन से कार्य करवाये जाने थे. तथा किस कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई है ? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1996–97 में करवाये जाने वाले कार्य के लिये निर्धारित एवं स्वीकृत राशि का उपयोग अन्य कार्य के लिये किया गया है ? यदि हां, तो कितनी राशि किस कार्य में व्यय की गई ? कार्य तथा राशि के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बून्दी जिले में वर्ष 1996–97 में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" में मय लागत व व्यय की सूचना के संलग्न है।

(2) जी नहीं, वर्ष 1996–97 में करवाये जाने वाले कार्य के लिए निर्धारित एवं स्वीकृत राशि का उपयोग अन्य कार्य के लिए नहीं किया गया।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

गंगनहर के मोघों का परिवर्तन

12. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गंगनहर में मोघें में परिवर्तन किया गया था ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मोघा परिवर्तन करने में भ्रष्टाचार फैलाने पर किसान संघ द्वारा सिंचाई उप मंत्री को ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा मोघा परिवर्तन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार मोघा परिवर्तन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) जनवरी, 1995 से जुलाई, 1997 तक कितने मोघों में परिवर्तन किया गया तथा कितने प्रार्थना-पत्र पेश किये गये। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। कोई ज्ञापन दिये जाने की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) परिवर्तन किये गये मोघों का विवरण प्रपत्र "अ" पर उपलब्ध है। सूची

(सिंचाई मंत्री)

के समस्त मोघों के परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

साहवा जलोत्थान सिंचाई परियोजना

13. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) साहवा जलोत्थान सिंचाई परियोजना क्षेत्र की कुल कितनी लम्बाई है और इस परियोजना पर कुल कितनी राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है ? अब तक कुल कितनी राशि व्यय की जाकर, कितने किलोमीटर नहर का निर्माण कार्य किया जा चुका है ?

(2) यह परियोजना अपने निर्माण से अब तक कितनी बार क्षतिग्रस्त हुई तथा इसके पुनर्निर्माण पर कितनी–कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) क्या यह सही है कि साहवा नहर परियोजना के निर्माण में घटिया टाइलें लगाने व निर्धारित मात्रा में काफी कम सीमेंट लगाने के कारण इसका निर्माण कार्य अत्यधिक निम्न स्तर का होने से यह बार-बार टूट जाती है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) साहवा जलोत्थान सिंचाई परियोजना का संशोधित परियोजना प्रारूप के अनुसार 107 कि.मी. की लम्बाई है एवं उनकी वितरण प्रणालियों की कुल लम्बाई 377.80 कि. मी. है । परियोजना पर अनुमानित लागत 397.54 करोड़ रुपये है । साहवा लिफ्ट नहर 52 कि.मी. एवं नहर प्रणाली की 60 कि.मी. का लाईनिंग निर्माण कार्य माह अगस्त, 1997 तक पूर्ण किया जा चुका है । जिस पर अब तक 95.19 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है ।

(2) माह अगस्त, 1994 में कि.मी. 32.800 से 33.200 के मध्य 400 मी. में पानी रिसाव से क्रॅक्स आ जाने से क्षति ग्रस्त हुई । उसे ठीक कराने में 3,40,948 रुपये खर्च किये गये हैं । इस नहर का पुनः निर्माण का कोई कार्य नहीं किया गया है और न ही कोई व्यय हुआ है । माह जून, 1997 में कि.मी, 32.800 से 33.200 के मध्य नहर की बांई ओर क्रेक आने से नहर में दरारें आ गई । जिन्हें सीमेंट के खाली थैलों में बालू मिट्टी भरकर बंधा बनाया जाकर पानी नहर में प्रवाहित कर दिया गया है । क्रेक आने का मुख्य कारण नहर के तल के नीचे चूने की परत होना प्रतीत होता है । इसके लिए नमूने जोधपुर विश्व विद्यालय (अभियांत्रिकी संकाय) को भेजे गये हैं जिनकी टेस्टिंग रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जानी संभव होगी ।

(3) जी नहीं, नहर निर्माण कार्यों के उपयोग में ली जाने वाली निर्माण सामग्री का उपयोग निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही किया जाता है । इनके जांच हेतु समय-समय पर उच्चाधिकारियों एवं गुण नियन्त्रण सतर्कता अनुभाग द्वारा भी जांच की जाती है । जहां तक नहर टूटने के सम्बन्ध

(सिंचाई मंत्री)

है, वहां नहर के नीचे तल में चूने की परत/प्रतिकूल रसायनिक तत्वों का होना प्रतीत होता है। जिसकी जांच हेतु नमूने जोधपुर विश्व विद्यालय (अभियांत्रिकी संकाय) को भेजे गये हैं। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है। प्राप्त होने के पश्चात् ही स्थाई समाधान किया जाना संभव होगा।

उदयपुर संभाग में जल का संरक्षण

14. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) गत पांच वर्षों में उदयपुर संभाग में वर्षा का कुल कितना पानी उपलब्ध हुआ ? कितने प्रतिशत पानी के रोकने का प्रबन्ध सरकार के पास है ? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से सिंचाई/पेयजल का अभाव प्रति वर्ष बना रहता है ? यदि हां, तो क्या इसके संरक्षण के सम्बन्ध में कोई विस्तृत योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) संभाग में वर्षा के पानी की उपलब्ध मात्रा वर्ष प्रतिवर्ष वास्तविक वर्षा की तीव्रता, फैलाव, विस्तरता, मेड़बन्दी, वन विस्तार, कृषि कार्य भौगोलिक परिस्थिति आदि के आधार पर बदलती रहती है, तथा इसमें राज्य के बाहर से आने वाले पानी (विशेषकर माही बेसिन) का भी काफी योगदान रहता है। वर्तमान में हर वर्ष उपलब्ध पानी को मापने की कोई व्यवस्था नहीं है और इतने वित्तीय संसाधन भी नहीं है कि वास्तविक आवक को नापने की व्यवस्था की जा सके। इसी कारण से पिछले पांच वर्ष में वर्षा के पानी की उपलब्ध मात्रा तथा रोके जाने वाले पानी का प्रतिशत बताना संभव नहीं है। लेकिन सिंचाई विभाग के अधीन (माही संगठन के अलावा) आने वाले बांधों में पिछले पांच वर्ष की जल संग्रह क्षमता एवं वास्तविक जल संग्रह का विवरण जिलेवार संलग्न है। (परिशिष्ट–"अ") इसके अनुसार वास्तविक जल उपलब्धि संग्रह क्षमता का 41 प्रतिशत से 75.5 प्रतिशत ही रही है।

(2) जी हां, वर्षा के जल के अधिक संग्रह की व्यवस्था करने का कार्य सरकार लगातार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व तकनीकी उपादेयता के आधार पर कर रही है। कुल जल उपलब्धता का अनुमान व इसके संग्रहण हेतु बेसिनवाईज मास्टर प्लान बनाने का कार्य मुख्य अभियन्ता, डिजाईन एवं अनुसंधान इकाई के निर्देशन में मैसर्स तहल कन्सलटेन्ट, को दिया हुआ है, जिसकी रिपोर्ट शीघ्र ही अपेक्षित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

राजस्थान राज्य तकनीकी सिंचाई श्रमिक फेडरेशन, सूरतगढ़ के साथ समझौता प्रकरण

15. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री भीमसेन चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य तकनीकी सिंचाई श्रमिक फेडरेशन, सूरतगढ़ व मुख्य अभियन्ता सिंचाई (उत्तर) के मध्य 1 मई, 1997 को श्रमिकों की मांगों पर कोई लिखित समझौता हुआ था ? यदि हां, तो उक्त समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त समझौते के अन्तर्गत किन-किन मांगों की क्रियान्विति हेतु प्रसशान ने अब तक क्या कदम उठाये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं, परन्तु दिनांक 1 मई, 1997 को मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, हनुमानगढ़ के कार्यालय में राजस्थान स्टेट इरीगेशन टेक्नीकल वर्क्स फेडरेशन, सूरतगढ़ से वार्ता हुई थी । बैठक की कार्यवाही का विवरण प्रपत्र "क" पर संलग्न है ।

(2) यद्यपि कोई समझौता नहीं हुआ परन्तु उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की रिपोर्ट बिन्दुवार प्रपत्र "ख" पर उपलब्ध है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

जिला भरतपुर में सिंचाई कार्यों पर व्यय

16. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1996–97 व 1997–98 में भरतपुर जिले में सिंचाई कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई ? कार्यवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त कार्य ठेके पर कराये गये अथवा अन्य प्रकार से ? ठेके पर कराये गये कामों के ठेकेदारों की सूची उनको किये गये भुगतान राशि के विवरण सहित, सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1996–97 व 1997–98 में भरतपुर जिले में सिंचाई कार्यों पर क्रमशः रुपये 849.99 एवम् रुपये 581.06 लाख राशि व्यय की गई । कार्यवार सूची प्रपत्र "अ" पर संलग्न है ।

(2) ठेकेदारों से तथा अन्य प्रकार के ठेके पर कराये गये कार्यों एवं ठेकेदारों को किये गये भुगतान की सूची प्रपत्र "ब" व "स" पर संलग्न है ।

(प्रपत्र विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

अधिशासी अभियन्ता, उप खण्ड सवाई माधोपुर द्वारा सामान की खरीद

17. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जनवरी, 1997 में सामान खरीदने पर रोक लगा दी गई है ? यदि हां, तो अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई उप खण्ड सवाई माधोपुर द्वारा लाखों रुपये का सामान तिगुनी कीमत पर कैसे खरीदा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(40)

(श्री हरिनारायण बैरवा)

(2) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई उप खण्ड सवाई माधोपुर द्वारा पिछली तिथियों में सप्लाई आर्डर दिये गये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता सिंचाई उप खण्ड सवाई माधोपुर द्वारा ई. पी. टेण्ट, अशोक पाटनी व दी राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी से तिगुनी दर पर सामान खरीदा गया है ? यदि हां, तो क्या-क्या सामान किस दर से कब खरीदा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं, सरकार द्वारा जनवरी, 1997 से सामान खरीदने पर रोक नहीं लगाई गई है । सरकार ने रोक अपने आदेश क्रमांक : प. 5 (14) वित्त/साविले/86-II दिनांक 28-2-97 (प्रतिलिपि परिशिष्ट "अ" संलग्न है) द्वारा 31-3-97 तक के लिए केवल कुछ विशेष आईटमों की खरीद पर रोक लगाई गई थी । अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, सवाई माधोपुर द्वारा तिगुनी कीमत पर कोई सामान नहीं खरीदा गया ।

(2) जी नहीं, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सवाईमाधोपुर द्वारा कोई सप्लाई आदेश पिछली तिथियों (Back Date) में नहीं दिये गये हैं ।

(3) जी नहीं, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड सवाईमाधोपुर द्वारा ई. पी. टेण्ट, अशोक पाटनी व दी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान से तिगुनी रेट पर सामान नहीं खरीदा गया है । बल्कि वाजिब बाजार दरों पर ही दी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान से जो सामान खरीदा गया था वह परिशिष्ट "ब" में दर्शाया गया है ।

(प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

कनिष्ठ अभियन्ता, निवाई (टोंक) का निलम्बन प्रकरण

18. श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निवाई में कोई विभागीय कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत है ? यदि हां, तो कब से व उनका कार्यालय किस स्थान पर है ?

(2) क्या यह सही है कि मौजूदा कनिष्ठ अभियन्ता श्री अशोक जैन को गत वर्ष सरकार द्वारा निलम्बित किया गया था, यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । कनिष्ठ अभियन्ता दिनांक 24-9-92 से कार्यरत है । कनिष्ठ अभियन्ता का कार्यालय निवाई मुख्यालय पर स्थित डाक बंगला (गेंगहट) में स्थित है ।

(2) जी हां । श्री अशोक जैन कनिष्ठ अभियन्ता को गत वर्ष मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) सिंचाई, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 9-9-96 को निलम्बित किया गया था । बिडोली बांध की वर्षा ऋतु में सुरक्षा में लापरवाही बरतने के कारण बांध को जो क्षति हुई उसमें प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उन्हें निलम्बित किया गया था ।

पंचायत समिति के अधिकारियों के दौरों की सीमा

19. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायती राज नियम, 1996 में यह व्यवस्था की गई है कि पंचायत समिति अधिकारी सप्ताह में दो दिन दौरे पर नहीं जायेंगे और कार्यालय में उपस्थित रहेंगे ? यदि हां, तो वो दो दिन कौन-कौन से हैं और इनकी अनुपालना जिला नागौर की कौन-कौन सी पंचायत समिति में हो रही है ? अनुपालना नहीं होने पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही किन-किन के विरुद्ध की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन नियमों में यह भी व्यवस्था है कि पंचायत समिति के अधिकारी प्रत्येक माह में ज्यादा से ज्यादा इतने दिन दौरा करेंगे ? यदि हां, तो कितने दिन ? इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनायी गई है तथा जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसका प्रभाव कहां तक सफल हुआ है ? पंचायत-समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में यह व्यवस्था की गई हैं कि पंचायत समिति अधिकारी सप्ताह में दो दिन क्रमशः सोमवार एवं बृहस्पतिवार को कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। नागौर जिले की समस्त पंचायत समितियों द्वारा इसकी पालना की जा रही है।

(2) जी, हां। इन नियमों में यह व्यवस्था हैं कि पंचायत समिति के अधिकारी जिला परिषद जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, की बैठकों न्यायालय में उपस्थिति तथा राज्य स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण। कार्यशालाओं इत्यादि के अतिरिक्त एक माह में 10 दिन से अधिक दौरे पर नहीं रहेंगे, जिसकी अनुपालना नागौर जिले की समस्त पंचायत समितियों के द्वारा की जा रही हैं।

पंचायत समिति लालसोट (दौसा) में अध्यापक के पदों का सृजन

20. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति लालसोट (दौसा) में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय हैं ? प्राथमिक विद्यालयों की सूची मय छात्र संख्या के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 50 छात्रों पर एक अध्यापक होने के मानदण्ड के अनुपात में पंचायत समिति लालसोट में अध्यापकों के पद कम स्वीकृत हैं। यदि हां, तो विद्यालय में वर्तमान में कितने-कितने अध्यापक कार्यरत हैं ?

(3) वर्तमान में पंचायत समिति लालसोट के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुसार कितने अध्यापकों के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है ?

(श्री परसादीलाल मीणा)

(4) क्या सरकार पंचायत समिति लालसोट में प्रतिरिक्त अध्यापकों के पद स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति लालसोट (दौसा) में 159 प्राथमिक विद्यालय है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। वर्तमान में विद्यालय-वार कार्यरत अध्यापकों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) पंचायत समिति लालसोट में छात्र संख्या के अनुसार 14 अध्यापकों के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है।

(4) बजट की उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त अध्यापकों के पद स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

पंचायत समिति बिलाड़ा (जोधपुर) में प्रधान का रिक्त पद

21. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर पुनः निर्वाचन के क्या प्रावधान हैं ?

(2) पंचायत समिति बिलाड़ा (जोधपुर के प्रधान का पद कब रिक्त हुआ एवं उसके पुनः निर्वाचन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) सरकार उक्त रिक्त पद पर पुनः निर्वाचन कब तक कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 26, 27, 28 एवं 29 के अनुसार रिक्त पदों पर 6 माह की कालावधि के अन्दर निर्वाचन कराये जाने का प्रावधान है परन्तु कोई रिक्ती एक माह से कम के लिये है तो पुनः निर्वाचन नहीं कराये जावेंगे।

(2) पंचायत समिति, बिलाड़ा के प्रधान श्री हाथीराम का पद दिनांक 26-7-97 को रिक्त हुआ हैं। इस पद हेतु प्रावधानों के अनुसार 6 माह की अवधि में निर्वाचन कराने की प्रक्रिया जारी हैं।

(3) पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर।

ग्राम जालसू (जयपुर) में पेयजल टंकी का निर्माण

22. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेंगू) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जालसू, तहसील आमेर, जिला-जयपुर में पूर्व सरपंच द्वारा पेयजल हेतु टंकी निर्माण का कार्य करवाया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त टंकी में लोहा एवं सीमेन्ट की मात्रा कम उपयोग में लिये जाने एवं टंकी का निर्माण कार्य घटिया स्तर का होने के कारण टंकी से पानी टपकता है ?

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

(3) क्या यह सही है कि टंकी के उपयोग में लिया जाने वाला कुआं पुराने जमाने का था और पूर्व सरपंच ने उसका नया निर्माण बताकर राजकोष से राशि उठाई है ?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरणों की जांच कराकर दोषी पूर्व सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, नहीं । परन्तु यह सत्य है कि इसके आर.सी.सी. जोईन्ट में से पानी टपकता है ।

(3) जी, हां । पूर्व सरपंच द्वारा पुराने कुएं की मरम्मत हेतु राशि 4,712/– पंचायत कोष से व्यय की हैं ।

(4) प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्व सरपंच के विरुद्ध कोई शिकायत विचाराधीन नहीं हैं ।

ग्राम पंचायत जालसू (जयपुर) के पूर्व सरपंच का वसूली प्रकरण

23. श्री मोतीलाल खरेरा (रूपवास) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर के नाम निर्माण कार्य हेतु उठाई गई नियम विरुद्ध राशि काफी समय से बकाया निकल रही है ? यदि हां, तो कब से एवं कितनी ?

(2) क्या सरकार उक्त पूर्व सरपंच पर बकाया निकल रही राशि की वसूली करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । पूर्व सरपंच के विरुद्ध वर्ष 1992 से पंचायत की राशि रु. 65,369-93/– बकाया निकल रही है ।

(2) जी, हां । विकास अधिकारी पंचायत समिति आमेर द्वारा पूर्व सरपंच को राशि रु. 65,369-93/– जमा करवाने हेतु नोटिस दिया गया हैं ।

पंचायत समिति डेगाना (नागौर) के प्राथमिक विद्यालय

24. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति डेगाना, जिला नागौर में कुल कितनी प्राथमिक पाठशालायें कार्यरत हैं ? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें ।

(2) शिक्षा सत्र 1997–98 के दौरान तहसील डेगाना (नागौर) में कुल कितने नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) तहसील डेगाना, जिला नागौर में ऐसे कितने ग्राम एवं ढाणियां हैं, जिनकी

(श्री रिछपाल सिंह)

जनसंख्या 250 अथवा इससे अधिक होने के बावजूद अभी तक वहां शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, डेगाना जिला नागौर में 124 प्राथमिक पाठशालायें कार्यरत हैं । सूची संलग्न है ।

(2) वर्ष 1997–98 में पंचायत समिति, डेगाना में निम्न दो प्राथमिक विद्यालय खोले गये :—

1. डूंडियों की ढाणी (खिदाल)
2. चोखा की ढाणी (खड़ीकला)

(3) पंचायत समिति, डेगाना में 250 से अधिक जनसंख्या वाली सभी ढाणी, ग्रामों में विद्यालय हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

पंचायत समिति विराटनगर का पुनर्गठन

25. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार राज्य की बड़ी पंचायत समितियों का पुनर्गठन कर छोटी पंचायत समितियां बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कौनसी ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील कोटपूतली की ग्राम पंचायतों को विराटनगर पंचायत समिति लगा रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पंचायत समिति का पुनर्गठन कर एक पंचायत समिति पावटा स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । पंचायत समिति, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, नोहर, बीकानेर, ओसियां, तालेड़ा, सांचौर व खैरवाड़ा के पुनर्गठन का विषय राज्य सरकार के सम्मुख विचाराधीन है ।

(2) यह सही है कि तहसील कोटपूतली की 10 ग्राम पंचायत समिति विराटनगर (जयपुर) में है । वर्तमान में 2 लाख से अधिक जनसंख्या एवं 60 पंचायतों से अधिक की पंचायत समितियों का पुनर्गठन करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है । पंचायत समिति विराटनगर का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

ग्राम पंचायत पटेलनगर के निर्माण कार्यों में अनियमितताएं

26. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत पटेलनगर, पंचायत समिति बिलाड़ा (जोधपुर) के सम्बन्ध में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो ये शिकायतें कौन-कौनसी थीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(2) क्या वर्तमान सरपंच के कार्यकाल में खातियों की ढाणी प्राथमिक स्कूल के कमरे की राशि का उपयोग लम्बे समय तक नहीं करना, जवाहर रोजगार योजना में उच्च प्राथमिक विद्यालय, पटेलनगर के दो हाल का अपूर्ण निर्माण, ग्राम के पीछे नलकूप का अपने भाई को बिना लिखित कार्यवाही एवं बिना अमानत राशि जमा कराये ठेके पर देना, वार्ड पंचों से घर पर हस्ताक्षर कराना, सेटलमेंट के रास्ते पर स्वयं द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाये जाने के सम्बन्ध में एवं कई अन्य मामलों में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच की जा रही है? यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम रहे?

उत्तर

(1) जी, हां। शिकायत में अंकित बिन्दुओं का विवरण निम्न प्रकार है:—

1. पंचायत कोष व पद का दुरुपयोग करना।

2. एक साथ बैठकें आयोजित करना।

(2) जी, हां। विभिन्न प्रकरणों में जांच कार्यवाही चल रही है।

जिला चूरू की प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों के रिक्त पद

27. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदारशहर): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चूरू की समस्त पंचायत समितियों में कुल कितनी प्राथमिक शालाएं हैं तथा उनमें छात्र संख्या क्या है एवं कितने अध्यापक नियुक्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह भी सही है कि कई प्राथमिक शालाओं में तीन-तीन, चार-चार माह तक अध्यापक नहीं रहे हैं? यदि हां, तो जिले में ऐसी कितनी शालाएं हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार निर्धारित मानदण्ड के अनुसार स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला चूरू में सात पंचायत समितियों में कुल 730 प्राथमिक शालायें हैं। इन प्राथमिक शालाओं में छात्र संख्या 94,999 है तथा 1,831 अध्यापक नियुक्त हैं। छात्र संख्या व स्टाफ का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र सं.	पं. स. का नाम व शालाएं		अध्यापक संख्या	छात्र सं.
1.	चूरू	83	232	10165
2.	रतनगढ़	80	255	11949

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

1	2		3	4
3.	सुजानगढ़	113	265	14178
4.	सरदारशहर	114	222	14947
5.	श्रीडूंगरगढ़	79	172	11451
6.	तारानगर	82	232	11306
7.	राजगढ़	172	453	21003
	योग	730	1831	94999

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शालाओं में छात्र संख्या के अनुपात में अतिरिक्त अध्यापकों के पद सृजन करने हेतु जिला परिषदों से प्रस्ताव मंगवायें गये हैं। नवीन पद सृजन होने पर अध्यापकों को चयन प्रक्रिया के आधार पर नियुक्ति देना संभव होगा।

पंचायत समिति डग की ग्राम पंचायतों की आय

28. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति डग के अन्तर्गत स्थित ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनकी वार्षिक निजी आय एक लाख रुपये से अधिक है? सूची सदन की मेज पर रखें? वर्ष 1993-94 से 1996-97 का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसी ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त की जाने वाली निजी आय के स्रोतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में उक्त ग्राम पंचायतों द्वारा निजी आय को किस-किस मद में खर्च किया गया? प्रत्येक मद के खर्च का विवरण मय प्रस्तुत किये गये बिलों की प्रमाणित प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(4) इन सभी ग्राम पंचायतों की उक्त अवधि की आडिट रिपोर्ट की प्रति भी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति के अन्तर्गत स्थित ऐसी तीन ग्राम पंचायतें :— 1. चोमहला 2. गंगधार 3. डग है, जिनकी वार्षिक निजी आय एक लाख रुपये से अधिक है। सूची व विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) निजी आय के स्रोतों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) निजी आय से खर्च की मदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। प्रत्येक मद के खर्च बिलों की प्रमाणित प्रतिया

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

प्रस्तुत करना व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है ।

(4) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग कोटा की ग्राडिट रिपोर्ट की प्रति ग्राम पंचायत, डग गंगधार, की वर्ष 1993-94 से 1996-97 तक तथा ग्राम पंचायत चोमहल्ला की वर्ष 1995-96, 1996-97 की ग्राडिट प्रति संलग्न है ।

(विवरण व प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सरपंच ग्राम पंचायत नरायणा (जयपुर) द्वारा की गई अनियमितताएं

29. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम पंचायत की बैठकें कब-कब एवं कितने-कितने समय से होनी ग्रावश्यक हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत नरायणा, तहसील सांभर, जिला जयपुर की बैठकें गत 6 महीनों में एक बार भी नहीं हुई ? यदि हां, तो बैठकें कब-कब हुई एवं उक्त बैठकों में कौन-कौन से प्रस्ताव पारित किये गये ? बैठकों की कार्यवाही एवं उपस्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि सरपंच नरायणा ने अपने रिश्तेदारों एवं आदमियों की मदद से सरकारी भूमि एवं सरकारी सम्पत्ति पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ।

(4) वर्ष 1995 में पंचायत नरायणा द्वारा कितनी रसीद बुकचुंगी हेतु जारी की गई ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त समय में रसीद बुक संख्या 358 भी जारी की गई थी ? यदि हां, तो उक्त बुक द्वारा कितनी राशि जमा की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां । राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 45 के अनुसार कोई पंचायत कारबार के समव्यवहार के लिए उतनी बार ग्रावश्यक हो और 15 दिन में कम से कम एक बार पंचायत के कार्यों की पंचायत के कार्यालय पर बैठक ग्रायोजित करने का प्रावधान है जो सरपंच अवधारित करें ।

(2) जी, नहीं । ग्राम पंचायत नारायणा द्वारा प्रत्येक माह में दो बार बैठकें ग्रायोजित की जाती है । गत 6 माह में 9 बैठकें आयोजित की गई हैं किन्तु दिनांक 7 4. 97 एवं 28. 7. 97 के अतिरिक्त अन्य बैठकें कोरम के अभाव में स्थगित की गई बैठकों का विवरण संलग्न हैं ।

(3) जी, नहीं । सरपंच नारायणा के विरुद्ध सरकारी सम्पत्ति एवं भूमि अतिक्रमण कराने सम्बन्धी ऐसी कोई शिकायत

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

प्राप्त ही नहीं हुई हैं। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) वर्ष 1995 में ग्राम पंचायत नरैना 564 चुंगी हेतु रसीदें काटी गई हैं।

(5) जी, हां। रसीद बुक संख्या 358 से कुल राशि 1000/– रुपये जमा किये गये हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत नरायणा (जयपुर) की आय

30. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम पंचायत नरायणा (सांभर) की गत पांच वर्षों की आय का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरपंच द्वारा की जा रही गम्भीर अनियमितताओं के कारण पंचायत को भारी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है? यदि नहीं, तो आय के कमी के क्या कारण हैं?

(3) उक्त अवधि में सरपंच द्वारा कौन-कौनसी सामग्री कब कब, कितनी-कितनी, कहां कहां से, किस कार्य हेतु क्रय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत, नरायणा की वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक पांच वर्ष की मदवार आय की सूची संलग्न है।

(2) जी, नहीं। सरपंच द्वारा कोई गम्भीर अनियमितता करने सम्बन्धी तथ्य जानकारी में नहीं आया है। पंचायत की में भी कोई कमी नहीं आई है।

(3) वर्तमान सरपंच के कार्यकाल में क्रय की गई सामग्री की सूची संलग्न है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सरपंच ग्राम पंचायत नरायणा (जयपुर) द्वारा पद का दुरुपयोग

31. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत नरायणा तहसील सांभर द्वारा कौन-कौन से कार्य करवाये गये हैं? कार्यवार लागत एवं कार्य की वर्तमान स्थिति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग कर सरकारी सम्पत्ति पर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है? यदि हां, तो कहां-कहां?

(3) क्या सरकार उक्त सरपंच के विरुद्ध जांच करवाने का विचार रखती है?

(श्री बाबूलाल)

यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चाही गयी सूचना की बिन्दुवार सूची संलग्न है।

(2) जी, नहीं। उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर अतिक्रमण सरकारी सम्पत्ति पर नहीं किया गया।

(3) वर्तमान में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

ग्राम पंचायत सेवा (जयपुर) के निर्माण कार्यों में अनियमितताएं

32. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम पंचायत सेवा के ग्राम नवरंगपुरा तहसील सांभर (जयपुर) में सरपंच द्वारा कौन-कौनसे निर्माण कार्य किस-किस संस्था से कितनी-कितनी लागत के करवाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों में से कुछ कार्य निजी ठेकेदारों से भी करवाये गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसे एवं कितनी-कितनी लागत के ? क्या निजी ठेकेदारों को कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही सरपंच द्वारा भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या ? क्या इस विषय में कोई जांच भी चल रही है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा में स्कूल भवन की चार दीवारी निर्माण की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो कितनी राशि की एवं कब ? क्या यह निर्माण कार्य पूर्ण हो गया ? यदि नहीं, तो सरपंच द्वारा पंचायत समिति से इस कार्य का भुगतान किस आधार पर उठाया गया है।

उत्तर

(1) चाही गई सूचना की बिन्दुवार सूची संलग्न है।

(2) जी, नहीं। निजी ठेकेदारों से निर्माण कार्य नहीं करवाये गये है।

(3) जी, हां। अकाल राहत योजना अन्तर्गत ग्राम नोरंगपुरा में विद्यालय की चार दीवारी निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है। जिसकी जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर द्वारा करवाई जा रही है।

(4) विद्यालय की चार दीवारी का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

जिला श्रीगंगानगर में अतिवृष्टि से क्षति

33. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के सम्बन्ध में प्रतिनिधि मण्डल ने राहत एवं पुनर्वास मंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ज्ञापन में किसानों ने फसलों व मकानों में हुए आंशिक नुकसान के सम्बन्ध में मुआवजे की मांग की थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विषय में क्या निर्णय लिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ने अब तक अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों की सूची तैयार की है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रतिनिधि मण्डल ने मिलकर इस सम्बन्ध में अवगत कराया नियमानुसार सहायता हेतु निर्देशित किया गया।

(3) सर्वे के अनुसार माह जुलाई, 1997 में अतिवृष्टि से फसलों को क्षति नहीं हुई थी, जुलाई में मकानों की हुई क्षति वाले पात्र व्यक्तियों को 1,99,500/- रुपये सहायता राशि आवंटित की जाकर वितरित कराई जा रही है तथा अगस्त, 1997 में हुई अतिवृष्टि का सर्वे कराया जा रहा है। क्षति पूर्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाती है नियमानुसार सहायता दी जाती है।

(4) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर-माउण्ट आबू मार्ग पर सुपर डीलक्स बस सेवा

34. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में जोधपुर से माउण्ट आबू तक कितनी वातानुकूलित/सुपर डीलक्स बसें पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार भविष्य में उक्त मार्ग पर निगम की बसें संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी व कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) माउण्ट आबू तक राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों से कितनी वातानुकूलित/सुपर डीलक्स बसें संचालित की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(3) अन्य राज्यों से उक्त स्थल तक कितनी वातानुकूलित बसें/सुपर डीलक्स बसें संचालित की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्तमान में जोधपुर से माउण्ट आबू तक परिवहन निगम द्वारा कोई वातानुकूलित/सुपर डीलक्स (सुविधा वाहन) संचालित नहीं की जा रही है ।

माउण्ट आबू एक पर्वतीय पर्यटक स्थल है जहां के लिए केवल सीजन में ही कुछ यात्रीभार उपलब्ध होता है जिसकी सुविधार्थ निगम द्वारा जोधपुर से माउण्ट आबू के बीच आवश्यकतानुसार द्रुतगामी बस सेवाएं संचालित की जाती है । जोधपुर से आबूरोड के बीच उपलब्ध यात्रीभार के अनुरूप वर्तमान में दो सुविधा वाहनें संचालित की जा रही हैं । जोधपुर से माउण्ट आबू के लिए अपेक्षित मात्रा में सीधा यात्री भार उपलब्ध नहीं है, अतः निकट भविष्य में इस मार्ग पर वातानुकूलित/सुविधा वाहन संचालित किये जाने का कोई विचार नहीं हैं ।

(2) माउण्ट आबू के लिये परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध यात्री भार के अनुरूप केवल जयपुर जिला मुख्यालय से ही सुविधा वाहन सेवा का संचालन किया जा रहा है ।

(3) अन्य राज्यों से माउण्ट आबू के लिये कोई वातानुकूलित बस सेवा संचालित नहीं है । केवल गुजरात राज्य परिवहन निगम द्वारा अहमदाबाद से माउण्ट आबू के बीच दो एकल परिचक्र लक्जरी बस सेवा के रूप में संचालित किये जा रहे हैं ।

कोटा–रावतभाटा बस का रात्रि विश्राम प्रकरण

35. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि मुख्य आगार प्रबन्धक, कोटा ने कोटा–रावतभाटा बस का रात्रि विश्राम, खाती खेड़ा में करने की लिखित सहमति दी थी ? यदि हां तो उक्त सहमति के बाद भी बस का रात्रि विश्राम खाती खेड़ा में क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या अब सरकार इस सहमति की पालना कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां । कुण्डाल क्षेत्र की तीन पंचायतों– खातीखेड़ा, एकलिंग पुरा व रैनखेड़ा के गांवों के लोगों को कोटा व रावतभाटा तक बस सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से रावतभाटा में रात्रि विश्राम करने वाली बसों में से एक बस का रात्रि विश्राम ग्राम चेचट में किये जाने हेतु सहमति दी गई थी । वर्षाकाल में चेचट से रावतभाटा तक का मार्ग वाहन संचालन योग्य न होने के कारण बस सेवा का रात्रि विश्राम ग्राम चेचट में नहीं कराया जा सका ।

हां, राज्य सरकार माह अक्टूबर, 1997 से इस सहमति की पालना कराने का विचार रखती हैं ।

बस स्टेण्डों पर/संचालित जल-पान गृहों का नियमन

36. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के संचालन मण्डल ने पूर्व में इस आशय का निर्णय लिया था कि उसके बस स्टेण्डों पर संचालित जल पान गृह एव स्टाल्स जिनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत और निगम की कोई राशि बकाया नहीं हो, उनके निर्धारित किराये की राशि में 10 प्रतिशत राशि की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी कर नवीनीकरण कर दिया जाए ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि संचालन मण्डल ने ऐसा कोई निर्णय लिया है कि पुराने जलपान गृहों और स्टालों के सम्बन्ध में उक्त निर्णय से हटकर प्रतिवर्ष नये सिरे से टेण्डर्स आबंटित किये जावें ? यदि हां, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है ? क्या संचालक मण्डल ने इस प्रक्रिया से आम जनता पर पड़ने वाले आर्थिक भार का आकलन किया है ? यदि हां, तो किस रूप में और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निगम में केन्टीन व स्टाल हेतु दुकानों को किराये पर देने का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि दुकानें स्टालधारियों को लाइसेन्स फीस के आधार पर आबंटन की जाती है। निगम मण्डल ने अपने निर्णय संख्या 205/75 दिनांक 29-12-75 के द्वारा निर्णय लिया था कि केन्टीन एवं स्टाल की लाइसेन्स फीस हेतु खुली निविदाओं के माध्यम से अधिकतम राशि के निविदादाता को 5 वर्ष हेतु लाइसेन्स फीस पर आबंटित किया जावें। जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावें। इसके उपरान्त समय-समय पर लाइसेन्स की फीस एवं अवधि के सम्बन्ध में संशोधन किये गये।

(2) जी नहीं। वर्तमान नीति के अन्तर्गत भी पुनः निविदाएं 5 वर्ष उपरान्त आमन्त्रित करने की व्यवस्था है।

सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन स्वीकृति में विलम्ब

37. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) : क्या राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री गोविन्दराम शर्मा, सेवानिवृत्त बेलदार (सी. पी. एफ. खाता संख्या डब्ल्यू/5846) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रतनगढ़ (चूरू) द्वारा दिनांक 1-5-91 को पेन्शन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये विकल्प-पत्र पर वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प. 1 (2) वित्त/ग्रुप–3/95 दिनांक 16-6-96 द्वारा उक्त पेंशनर को पेन्शन स्वीकृत कर तथा पूर्व में सी. पी. एफ. की भुगतान की गयी राशि का पेन्शन में समायोजन करने की सहमति से सम्बन्धित विभाग को अवगत कराया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त संदर्भित पत्र के अनुसरण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

(श्री परसराम मोरदिया)

विभाग, रतनगढ़ द्वारा प्रकरण राज्य बीमा विभाग, जयपुर व चूरू को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु माह अक्टूबर, 1996 में प्रेषित किया गया ?

(3) क्या राज्य बीमा विभाग द्वारा उक्त पेंशनर के पेंशन विकल्प-पत्र पर वित्त विभाग के निर्णयानुसार कार्यवाही कर सम्बन्धित विभाग रतनगढ़ को भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ? अब कब तक कार्यवाही कर प्रकरण को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रतनगढ़ को लौटा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) श्री गोविन्दराम शर्मा, सेवानिवृत्त बेलदार की पेंशन स्वीकृति के सन्दर्भ में वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प. 1(12) ग्रुप-3/95 दिनांक 16-6-96 द्वारा सहमति से अवगत नहीं कराया है बल्कि मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान जयपुर को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 5 (11) कार्मिक/क-2/80 दिनांक 18-6-92 के सन्दर्भ में पुनर्विचार कर पेंशन दिलाने और सी पी.एफ. की भुगतान की गयी राशि के समायोजन की कार्यवाही करवाने हेतु पत्र भेजा था।

(2) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रतनगढ़ ने उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुसरण में अक्टूबर, 1996 में पत्र प्रेषित नहीं किया बल्कि उनके द्वारा उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, चूरू को पत्र क्रमांक जन. स्वा./स्था-1/96-97/10274 दिनांक 27-2-92 द्वारा पेन्शन विकल्प पत्र स्वीकृत करने हेतु भिजवाया गया। बीमा विभाग, जयपुर को कोई पत्र नहीं भिजवाया गया।

(3) कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 5 (11) कार्मिक/क-2/80 दिनांक 18 जून, 1992 के अन्तर्गत उक्त कर्मचारी का प्रकरण नहीं आता है क्योंकि कर्मचारी नियम-22 (ए) के अन्तर्गत स्थायी नहीं किया गया है बल्कि कर्मचारी को दिनांक 1-4-85 से नियमित पद पर आमेलित किया गया है एवं दिनांक 22-4-92 को कर्मचारी को राजकीय अंशदान की राशि का भुगतान किया जा चुका है। अतः कर्मचारी का विकल्प पत्र वित्त विभाग के निर्देश की पालना में स्वीकृति योग्य नहीं है।

पेंशन विकल्प पत्र स्वीकृति योग्य न होने के कारण पेंशन देय नहीं है।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र
विधेयकों का विवरण

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :-

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर विधेयक, 1990

(2) राजस्थान सरकार स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1994

(श्री सचिव)

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1997

(2) राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या 2) विधेयक, 1997

(3) राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1997

(4) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1997

(5) राजस्थान वित्त विधेयक, 1997

(6) राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1997

(7) राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1997

(8) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1997

(9) राजस्थान निविदाओं में पारदर्शिता विधेयक, 1997

अधिसूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गंगारामजी चौधरी, राजस्व मंत्री।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6 (6) राज-6/92 दिनांक 11 मार्च, 1997 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 1992 में संशोधित किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : ये अधिसूचनाएं दो मिनट बाद में भी रखी जा सकती हैं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रकुमार मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। यूनिवर्सिटी में बलात्कार हुआ है और आप कार्यवाही चला रहे हैं। (व्यवधान)

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री ललितकिशोर जी चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :-

राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

(क) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1995-96.

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर का प्रतिवेदन

(ख) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर का प्रतिवेदन वर्ष 1987-1994. सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : राजस्थान के अन्दर बलात्कार होते जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : सदन की मेज पर अपना इस्तीफा भी रख दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : पूरे के पूरे, सबके सब इस्तीफा रख दीजिए आप।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्ययक अनुमान

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 61(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण आय-व्ययक वर्ष 1997-98 सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस तरह बलात्कार हो रहे हैं+++इस सबके बावजूद भी आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था बिलकुल बिगड़ चुकी है।

श्री अध्यक्ष : श्री किशन सोनगरा। (व्यवधान)

राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

श्री श्रीकिशन सोनगरा (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के वर्ष 1994–95 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम यह कहते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए। (व्यवधान) जिस तरह अबला... (व्यवधान)... जिस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही है....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : बलात्कार किया जा रहा है। पूरा जयपुर शहर बन्द पड़ा हुआ है। जब तक बलात्कारियों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह शर्मनाक है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सदन इस तरह से नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : जयपुर शहर का सबसे बड़ा बाजार बन्द है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो मिनट बिराजें आप। ये टेबल पर रखे जाने वाले हैं। (व्यवधान) दो मिनट बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह इस तरह की घिनौनी घटना, टेररिस्ट-एक्टिविटी है, यह कलंक है। राजस्थान सरकार के माथे पर कलंक है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले चर्चा होनी चाहिए इस काण्ड के ऊपर।

श्री राजेन्द्र पारीक : पूरे समाज के लिये कलंक है कि जयपुर में इतना बड़ा

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

हादसा हो....(व्यवधान) और आप यहां पर अभी दूसरा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी संवेदनशीलता कहां गयी? लगता है कि आप संवेदनहीन हो गये।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है, आप चाहे जो कह सकते हैं। आप विराजिये। (व्यवधान) अभी शोकाभिव्यक्ति हो जाने दीजिए आप। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जो बलात्कार की अभिव्यक्ति हो रही है. जो सामूहिक बलात्कार की अभिव्यक्ति हुई है, उसमें शोकाभिव्यक्ति क्या हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : 23 साल की लड़की के लिये शोकाभिव्यक्ति करिये जिसके साथ ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जिस तरह की गैंग रेप हुई है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, आपकी ओर से पहल होनी चाहिए थी। आप स्वयं संवेदनहीन हो गये। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : खुलेआम यह अखबारों में आ रहा है (व्यवधान) प्रदेश देह-व्यापार का अड्डा बनने जा रहा है। यह आज की खबर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं। अभी तो शोकाभिव्यक्ति ले लेते हैं। शोकाभिव्यक्ति।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह जो लाठी-चार्ज हो रहा है, इसके बारे में बोलिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी शोकाभिव्यक्ति।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मदेरणा साहब, कुछ फरमा रहे हैं? आप फरमाएंगे?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय कुछ फरमाना चाहते हैं, आप उनका नाम पुकारें।

श्री अध्यक्ष : हां, सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, मदेरणा साहब फरमाएंगे। आप फरमाएं, मदेरणा साहब को आप सुनें।

अनुरोध

नारी शोषण की घटना पर चर्चा के लिए समय का नियतन

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दल के लोगों से और सदन के बाकी माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी नारी शोषण की जघन्य घटना घटी, वह एक ऐसा अपराध है जिसमें सरकार निश्चित तौर पर कारगर कदम उठाएगी। अभी बिजनस एडवाइजरी कमेटी में उसकी चर्चा

(श्री परसराम मदेरणा)

करेंगे । मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि अब शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव आ रहा है और इसमें भारत-रत्न और संसार की विभूतियों को हम यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं । शोकाभिव्यक्ति के पहले इस सदन में, मामला गम्भीर होते हुए भी, क्योंकि उसके बाद में बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसमें चर्चा के लिये कोई समय निकाल लिया जाएगा, अभी इस सोलेम आकेजन को किसी तरह से डाइल्यूट नहीं होना चाहिए । यह सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं होगा ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : किसी लड़की के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया जाए, इतना तो आश्वासन सरकार दे ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आज छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है । यूनिवर्सिटी के सामने, महारानी कॉलेज के सामने लाठीचार्ज किया गया है (व्यवधान) पुलिस के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : शर्मनाक घटना घटी है । (व्यवधान) जयपुर का हर वर्ग इसके लिये उद्वेलित है... (व्यवधान) आज शोकाभिव्यक्ति के बाद इस मामले को लिया जाए । आज ही शोकाभिव्यक्ति के बाद में इसको लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति हो जाने दें आप ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आज विश्वविद्यालय की छात्राओं को गिरफ्तार किया गया है, उन पर लाठीचार्ज किया गया है । अध्यक्ष महोदय, साक्षरता दिवस के दिन छात्राओं पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया है । (व्यवधान) साक्षरता दिवस हम मना रहे हैं लाठीचार्ज करके छात्राओं और छात्रों पर । (व्यवधान) शर्म आनी चाहिए सरकार को जो साक्षरता दिवस पर इस तरह बेरहमी से प्रदर्शन कर रही है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिए । आपने अपनी बात कह दी । पूरा मौका मिल गया है । अभी बिजनस एडवाइजरी कमेटी में सारी बात हो जाएगी । पहले शोकाभिव्यक्ति तो हो जाने दें । माननीय मुख्य मंत्रीजी ।

श्रीमती कमला : यह तो आप घोषणा कर दें । शोकाभिव्यक्ति जरूर करिये, उसके बाद में आज ही चर्चा करिये इस पर । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप आगे बढ़कर सदन से अनुरोध करते । (व्यवधान) उसमें आप पूरे सदन को विश्वास में लेकर अपनी तरफ से यह कहते कि मामला बड़ा गम्भीर है और मैं पूरी इस पर व्यवधान व्यक्त करता हूं ।

श्रीमती कमला : सारे जयपुर का हर वर्ग कितना उद्वेलित है । बाहर जुलूस आया हुआ है, उस पर लाठीचार्ज हो रहा है । ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, लोक महत्व के विषय का मतलब क्या है ? अविलम्बनीय लोक महत्व का अर्थ होता क्या है ? अराजकता की स्थिति फैल रही है, (व्यवधान) अण्डरवर्ल्ड काम कर रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है और आप कहते हैं कि कोई स्थिति बिगड़ी ही नहीं है । (व्यवधान) और सरकार में रहा क्या

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

है ? आज लॉ एण्ड आर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है, अण्डरवर्ल्ड फैल रहा है, भू-माफिया काम कर रहे हैं, पूरी तरह धू-धू करके जल रही है और आप कह रहे हैं कि स्थिति बिगड़ी नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : महिलाओं के मामले में विपक्ष की माननीय सदस्यों की (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। (व्यवधान) माननीय, अब विराजिये। दो मिनट विराजिए। शोकाभिव्यक्ति हो जाने दीजिए, इतना पायस काम है, आप इसको समझिये माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री कुबेर खान : इसके बाद में कोई बिजनस हो नहीं सकता है। अध्यक्ष महोदय, जहां मदर टेरेसा को श्रद्धांजलि दी जाए, उसके बाद आप समझते हैं इस सदन में कोई चर्चा की जाएगी + + +

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इतना कह दें कि अब इन लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आज माननीय सदस्यों ने जिस घटना को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है, रोष व्यक्त किया है, मैं स्वयं उनके साथ हूं। जितना उनको दर्द है, उतना मुझे भी दर्द है और मैं आपको इतना ही विश्वास दे सकता हूं कि (व्यवधान) सुनो तो सही। इतना ही आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप जब भी चर्चा करना चाहें, इस पर चर्चा कर लें।

श्रीमती कमला (बैराठ) : आज ही होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज जो मैं समझता हूं थोड़ा उचित नहीं होगा। मेरे कोई दिक्कत नहीं है आज में, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आज बिजनस एडवाइजरी कमेटी में भी तय होता है, जिस समय भी आप चाहेंगे उस समय चर्चा कर लीजिये। मैं इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी अपराधी हैं, चाहे मेरे परिवार का व्यक्ति भी हो, उसको इस मामले में छोड़ूंगा नहीं, जितनी जल्दी कोशिश होगी उसको पकड़ूंगा।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : जो नाम आ रहा है, उससे तो आप इस्तीफा ले लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मोदीजी, आप ऐसी बातों में मत पड़ो तो ही ज्यादा अच्छा है। यह बहुत गम्भीर मामला है, आपके लिये भी गम्भीर है और मेरे लिये भी गम्भीर है।

शोकाभिव्यक्ति

मदर टेरेसा (मिशनरीज ऑफ चैरिटीज संस्थापक), गणाधिपति तुलसी, (अणुव्रत अनुशास्ता), श्री बीजू पटनायक (पूर्व मुख्यमंत्री उड़ीसा) सर्वश्री भैरूलाल भारद्वाज, श्री भैरवलाल कालाबादल, श्री त्रिलोकचन्द जैन, श्री गोविन्द सिंह चूण्डावत, श्री ब्रजमोहन लाल शर्मा, श्री जनार्दन राय नागर, श्री मथुरालाल करील (सभी पूर्व सदस्य, विधान सभा), श्री रूपलाल सोमानी (पूर्व सांसद), श्री एम. ए. कासमी (स्वतंत्रता सेनानी), श्री मोहन पूर्विया (जनसेवी नेता), देश व प्रदेश के दिवंगत [redacted] स्वतंत्रता सेनानी।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अप्रकाशित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, भारत रत्न से सम्मानित, नोबल पुरस्कार से पुरस्कृत मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की संस्थापक मदर टेरेसा; अणुव्रत अनुशास्ता गणाधिपति तुलसी; पूर्व मुख्य मंत्री, उड़ीसा एवं वरिष्ठ जनता दल नेता श्री बीजू पटनायक; सदस्य, सप्तम् एवं अष्टम राजस्थान विधान सभा श्रीमान् भैरूंलाल भारद्वाज, सदस्य द्वितीय, तृतीय, पंचम एवं अष्टम् राजस्थान विधान सभा श्री भैरव लाल काला-बादल; सदस्य, षष्टम् राजस्थान विधान सभा श्री त्रिलोक चन्द जैन; सदस्य, तृतीय राजस्थान विधान सभा श्री गोविन्द सिंह चूण्डावत; सदस्य, द्वितीय राजस्थान विधान सभा श्री बृज मोहन लाल शर्मा; सदस्य, द्वितीय राजस्थान विधान सभा श्री जनार्दन राय नागर; सदस्य, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ राजस्थान विधान सभा श्री नाथूलाल करोल; पूर्व सांसद, स्वतंत्रता सेनानी श्री रूपलाल सोमानी; वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता श्री एम. फारूकी; मजदूर नेता श्री मोहन पूनमिया इनके देहावसान पर मैं मेरी ओर से और विधान सभा की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही इस अवसर पर, अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता की इस पचासवीं वर्ष-गांठ के अवसर पर देश की आजादी के आन्दोलन के उन ज्ञात और अज्ञात, सारे शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हू, जिसके त्याग और तपस्या के कारण देश आजाद हुआ, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई और हम सब लोग उसी व्यवस्था में आकर विधान सभा में आज बैठकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मैं इस विषय में अभी केवल इतना ही कहना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि बिजनस एडवाइजरी कमेटी में, जैसे लोक सभा में इस प्रकार की चर्चा हुई है, हम भी कुछ समय के लिये स्वतन्त्रता संग्राम की पचासवीं वर्षगांठ के ऊपर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये अलग से समय रखें और साथ ही दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम देश के विकास की प्रगति और देश की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो सकता है इस पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय, मदर टेरेसा एक ममतामयी मां के नाम से सारे संसार में जानी जाती थीं। अल्बानिया में पैदा हुई, भारत में आयीं और भारत में शिक्षा के माध्यम से शनैः शनैः उन्होंने केवल अपने विद्यार्थियों को ही नहीं समाज के पीड़ित और गरीब, इस प्रकार के लोगों को अपनी छाती से लगाया। उसी का परिणाम है कि आज संसार में मदर टेरेसा के नाम से बच्चा-बच्चा परिचित है। वास्तव में मां की भावना कितनी पवित्र होती है, यह इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि चाहे कोढ़ी हो, चाहे किसी प्रकार के रोगी हों, उन रोगियों में जाकर मां जैसे भेद नहीं करती- -चाहे किसी प्रकार की छुआ-छूत की बीमारी हो, मां उस बच्चे के पास बैठेगी, गोद में भी लेगी- उसी प्रकार की भावना में मदर टेरेसा ने इन गरीबों और बीमारों में जाकर उनकी उत्कृष्ट सेवा की है और उनमें एक विश्वास उत्पन्न किया है कि तुम लोगों की सेवा करने के लिये हम सब लोग हैं। उसी सेवा के आधार पर उनको समय-समय पर इस प्रकार के पुरस्कार मिले हैं। मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि वर्ष 1979 में नोबल शांति

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पुरस्कार तथा वर्ष 1980 में आपको भारत रत्न से विभूषित किया गया था। इसके अतिरिक्त आपको पोप जॉन शांति पुरस्कार, कांग्रेसनल गोल्ड मैडल, यू. एस. ए., नेहरू पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सहित देश-विदेश के अस्सी से अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, लेकिन आपका त्याग सेवा और करूणा इन पुरस्कारों की सीमाओं से परे है।

अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा, जो उन्होंने कही थी और कई बार उनकी पुस्तकों में भी छपा है कि मैं जन्मी अल्बानिया में, नागरिकता ली भारत की लेकिन हूं मैं पूरे संसार की। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि उस ममतामयी मां का हृदय किस प्रकार का था, वे पीड़ितों से कितनी दु:खी होती थी और दु:खी होकर किस प्रकार से गरीबों की सेवा की जाए, इस प्रकार की स्थिति उन्होंने अपने जीवनकाल में उत्पन्न की। उनका सारा जीवनकाल गरीबों की सेवा में लगा, बीमारों की सेवा में लगा। उनको एक प्रश्न पूछा गया था कि आपके पास ये साधन कहां से आते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं सेवा करती हूं, भगवान प्रसन्न होता है और भगवान अपने दूतों के माध्यम से मेरे पास जितना भी आवश्यक धन चाहिये, उस प्रकार का धन उपलब्ध करवाता है। मैंने पांच रुपये से काम शुरू किया था और आज जिस क्षेत्र में मैं जाती हूं उस क्षेत्र में जनता ही उसकी व्यवस्था करती है। न तो मेरे पास पूंजी है और न पूंजी एकत्रित करनी। इस काम के अतिरिक्त और किसी काम में मैं विश्वास नहीं करती।

मैं समझता हूं कि उनका देहावसान हमारे सबके लिये एक प्रकार का बहुत ही दु:ख है। इस आधार पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से आचार्य तुलसी, जिनके बारे में राजस्थान का ही नहीं, हिन्दुस्तान का बच्चा-बच्चा जानता है। ग्यारह वर्ष की उम्र में उन्होंने तप और तपस्या का एक व्रत लिया और शनैः शनैः उस ओर बढ़ते गये। सारे समाज के अन्दर उन्होंने अपनी सारी बुद्धिमानी से कुछ इस प्रकार का परिवर्तन करने का प्रयत्न किया कि भगवान महावीर के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति के अनुसार और उन उद्देश्यों के आधार पर वे संचालन करें।

मुझे मालूम है, अणुव्रत के सम्बन्ध में जब यहां पर विधेयक पेश हुआ था और उस समय अणुव्रत के पक्ष में जो जनमानस बना था। उस जनमानस का इतना बड़ा दबाव था कि राजस्थान विधान सभा को भी उस अणुव्रत के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास करना पड़ा। वे ज्ञाता थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी हैं कि उनकी स्वयं की लगभग 70 से अधिक पुस्तकें हैं। उनको राष्ट्रीय एकता हेतु किये गये प्रयासों में सन् 1993 में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मैं समझता हूं कि उस व्यक्ति को चाहे हम सम्मानित करें, या नहीं करें, अपना जीवन ही उनका सारा सम्मानित था। जीवन के ज्ञान के कारण से, तपस्या के कारण से सारे समाज में उन्होने एक प्रकार की छाप छोड़ी कि जिस छाप का यदि हम अनुकरण

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

करें, उससे प्रेरणा लें तो समाज की कई समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आजीवन मानवता के प्रति समर्पित आचार्य तुलसी का दिनांक 23 जून, 1997 को देहावसान हुआ। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं किउनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, जनता दल के वरिष्ठ नेता बीजू पटनायक, मैं ऐसा समझता हूं कि आजादी के आन्दोलन में इण्डोनेशिया में जिस प्रकार का उन्होंने चमत्कार दिखाया, आज सारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। बीजू पटनायक जवानी से लेकर अन्त तक लगातार एक संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं। चाहे संघर्ष उनको अपनी पार्टी में करना पड़ा हो, चाहे संघर्ष उनको विदेशों से करना पड़ा हो, चाहे संघर्ष किसी व्यवस्था के विरोध में उनको करना पड़ा हो, सब प्रकार के उन्होंने संघर्ष किये। वे मुख्य मंत्री भी रहे, वे केन्द्र में मंत्री भी रहे, वे पार्टियों के अध्यक्ष भी रहे लेकिन उस आदमी में मानवता और सहम स्वभाव था। जब से वे राजनीति में आये हैं और जब से मैं उनसे परिचित हुआ हूं, वे मेरे साथ 19 महीने तक रोहतक की जेल में भी रहे। जेल में उनका स्वभाव देखा, मैं ऐसा समझता हूं कि एक वयोवृद्ध और परिवार का आदमी, जिस प्रकार से जेल के इन्मेट्स में सारी व्यवस्था करके चलते थे, उस व्यवस्था से मैं इतना प्रभावित था कि निश्चित रूप से हम जेल में तो आये हैं लेकिन जेल में भी हमारी सारी व्यवस्था करने के लिये इस प्रकार का एक महान व्यक्ति बैठा है जो सबकी चिन्ता कर रहा है।

जब मैं उनके दाह संस्कार में उड़ीसा गया था कितनी भीड़ थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है। जगन्नाथपुरी में उनका दाह संस्कार हुआ था, कितनी भीड़ थी और किस प्रकार से लोग रो रहे थे। उससे अनुमान लगता है कि बीजू पटनायक केवल मुख्य मंत्री ही नहीं थे, वे केन्द्रीय सरकार के मंत्री ही नहीं थे वे दिलों के अन्दर लोगों में एक ऐसी छाप छोड़े हुए थे कि लोग उनकी अर्थी को देखकर सुबक-सुबक कर रो रहे थे। जिस समय उनके दाह संस्कार में चिता प्रज्ज्वलित की गयी उस समय तो ऐसी चीत्कार उठी जिससे ऐसा लगता है कि इस आदमी ने राज नहीं किया, जनता के दिलों में राज किया है, जनता के दिलों में अपने प्रति और समाज के प्रति स्नेह पैदा किया है।

अध्यक्ष महोदय, श्री बीजू पटनायक का 17 अप्रैल, 1997 को निधन हो गया। मैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करता हूं। उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति मिले, इसकी भी साथ ही प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री भैरूंलाल भारद्वाज इसी विधान सभा के सदस्य रहे हैं इस विधान सभा में मंत्री रहे हैं। जमवारामगढ़ से चुनकर आते थे और एक ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं ऐसा समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के सम्बन्ध में उनको जानकारी भी थी और संघर्षशील व्यक्ति थे। वे विधान सभा के बाहर भी संघर्ष करते थे और विधान सभा के अन्दर भी संघर्ष करते थे। जिस बात को उचित समझते थे उस बात को लेकर विधान सभा में किसानों का, गरीबों का और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। वह व्यक्ति भी हमारे बीच से उठकर चला गया। उनका निधन 22 अगस्त, 1997 को हो गया। मैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, मैरव लाल जी काला-बादल स्वतन्त्रता सेनानी थे। इन्होंने गीतों के आधार पर लोगों को जगाने की कोशिश की थी, कोई धन के आधार पर नहीं। स्वतन्त्रता संग्राम में लोग किस प्रकार से आगे बढ़े, गीत गाकर गांव-गांव में जाकर गीतों के माध्यम से उन व्यक्तियों ने एक जनचेतना पैदा की और जनचेतना पैदा कर लोगों के दिल में अपने लिये स्थान बनाया। गरीब घर से निकला हुआ व्यक्ति कई कठिनाइयां भोगते हुए भी इस आन्दोलन से पीछे नहीं हटा।

वे राजस्थान विधान सभा के सदस्य भी रहे। वे मंत्रिमण्डल में 1977 से लेकर 1980 तक के मंत्री भी रहे। वे विधान सभा में जब बोलते थे तो लोग बोलने का अर्थ यह लगाते थे कि अब विधान सभा में काफी इस प्रकार की चर्चा होगी जिससे कोई टेंशन किसी के दिमाग में हो तो वह टेंशन खतम हो जाए। वह व्यक्ति लगातार जनता के अन्दर रहा, जनता के बाहर कभी नहीं निकला और जनता को ही अपनी पूंजी मानकर उस पूंजी के माध्यम से वह राजस्थान की और समाज की सेवा करता रहा। उनका भी निधन हो गया। आदिवासी और वनवासी क्षेत्र में उनकी इतनी पकड़ थी, जिस क्षेत्र के बारे में चर्चा करें उनको इस बात की जानकारी थी कि इस क्षेत्र की समस्या क्या है और इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। उनका निधन 20 अप्रैल, 1997 को हो गया। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, त्रिलोक चन्द जी जैन राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे हैं। ये सर्वोदयी थे। वे मंत्रिमण्डल के भी सदस्य रहे हैं। उनका सारा राजनीतिक जीवन रचनात्मक जीवन था। उम्र भर खादी पहनी। जिस प्रकार के गांधीजी के सिद्धान्त थे उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर अपने जीवन में उसी प्रकार की प्रवृत्तियां डालीं। त्यागी थे, तपस्वी थे खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड से राजस्थान के गरीबों को किस प्रकार से रोजगार दिया जा सके, यह उनकी लाइफ का एक मिशन था। इस मिशन को खादी बोर्ड में रहकर भी पूरा किया, खादी संस्थाओं में रहकर भी पूरा किया और मजदूरों में घूम-घूमकर उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि उनकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान खादी और ग्रामोद्योग है। उसमें जनचेतना पैदा की और खादी और ग्रामोद्योग के इस काल में उन्होंने काफी लोगों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था की।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वे भी हमारे बीच से उठ गये। मैं उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, गोविन्द सिंह जी चूण्डावत राजस्थान विधान सभा में सदस्य थे। 2 जनवरी, 1917 को उनका जन्म हुआ। वे विशेष रूप से वनों की सुरक्षा के सम्बन्ध में एक प्रकार से काफी एक्सपर्ट थे। वनों की सुरक्षा के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाए, इस सम्बन्ध में लगातार इस विधान सभा में चर्चा कर रहे थे। अपने क्षेत्र का सही प्रकार का प्रतिनिधित्व किया। मैं उसके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बृज मोहन लालजी शर्मा ने स्वतन्त्रता संग्राम में तो भाग लिया ही लेकिन इन्होंने अपना जीवन लेबर मूवमेंट के रूप में खड़ा किया। लेबर को किस प्रकार से आर्गेनाइज किया जाए, उस आर्गेनाइजेशन के आधार पर इन्होंने अपनी राजनीतिक चेतना लोगों में फैलाने की कोशिश की। मजदूरों के हकों के लिए लड़ना और संगठन बनाकर लड़ना–मजदूरों के लिए उम्र भर वे संघर्ष करते रहे।

वे पहले अजमेर विधान सभा के सदस्य चुने गये। अजमेर का जब राजस्थान में विलीनीकरण हुआ तो राजस्थान विधान सभा के ब्यावर से सदस्य चुने गये। अभी वे जब बीमार हुए तो मैं भी दो–तीन बार उनको देखने के लिए गया था। बीमारी में भी वे इस बात के लिए कान्शस थे कि मैं जो काम कर रहा था उस काम करने की क्षमता किसी व्यक्ति में पैदा हो जाए। इनका देहावसान हो गया, मुझे इस बात का बहुत खेद है और मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ पूर्व विधायक और साहित्यकार श्री जनार्दन राय नागर का स्वर्गवास हो गया। जनार्दन राय नागर के बारे में मैं कितना कहूं, मेरे पास शब्द नहीं हैं। इस व्यक्ति के बारे में कई पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। हिन्दुस्तान का जाना-माना एक साहित्यकार और लेखक, हिन्दुस्तान का जाना-माना एक कवि था और हिन्दुस्तान का जाना-माना एक कवि हृदय व्यक्ति था। कवि हृदय व्यक्ति जो भी होगा वह सरल स्वभाव का होगा, स्पष्ट होगा। जनुभाई जब यहां विधान सभा में सदस्य थे, जब चर्चाएं करते थे तो लगता था कि हिन्दी के ऊपर उस व्यक्ति का कितना कमांड है। मैंने राजस्थान विधान सभा में दो ही सदस्य देखे हैं, एक थे रूपनारायण जी शास्त्री श्रीमाधोपुर के और एक जनार्दन राय जी नागर थे जो हिन्दी में जिस प्रकार से बोलते थे उससे ऐसा लगता था कि इस प्रकार की हिन्दी बोलना हम भी सीखें, इस प्रकार के हिन्दी के शब्दों को हम भी याद करें। हिन्दी और राष्ट्र भाषा के सम्बन्ध में उस आदमी का जितना योगदान था कम ही लोगों का इस प्रकार का योगदान होगा। उन्होंने एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। उस विश्वविद्यालय को मान्यता दी डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में। वहां पर खर्चे की व्यवस्था होती थी। मुझे वे आखरी पत्र लिखकर गये कि मैं ज्यादा बचने वाला नहीं हूं लेकिन इस विश्वविद्यालय की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि इसमें जो काम मैंने अधूरा छोड़ा है वह काम मैं पूरा कर सकूं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। अभी तीन महीने पहले मैं उनसे मिलने गया था तो उनको सुनता भी कम था, दिखता भी कम था। मैं उनसे मिलने गया तो कहने लगे कि अब तो भगवान जल्दी से जल्दी ठीक कर दे तो ठीक है। मैंने कहा आज मुझे खुशी है कि आपने इस उम्र में आकर भगवान को याद किया है। उनके परिवार के लोग बहुत कम ऐसे थे जो ईश्वर में विश्वास रखते थे या अध्यात्मवाद में किसी प्रकार का उनका कोई विश्वास था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है। इतने बर्षों तक मैंने उस भगवान की उपेक्षा की लेकिन मुझे अब अंत में जाकर यह पता लगता है कि इस जीवन में और आगे चलकर भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा, जनु भाई, यह बहुत अच्छा हुआ कि आपको इस समय यह ज्ञान मिला। यदि पहले ज्ञान आपको मिल जाता तो जैसे हिन्दी साहित्य में आपने एक जबरदस्त क्रांतिकारी कदम उठाया है धार्मिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आप उसी प्रकार की व्यवस्था कर सकते थे। खेद है वे हमारे बीच से चले गये।

बहुत ही हंसोड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत ही विनोदप्रिय थे। उनकी पुस्तकें लिखी हुई हैं, उन पुस्तकों को यदि आप पढ़ लें तो एक पेज पढ़ने के बाद में आप की इच्छा होगी कि दूसरा पेज पढ़ूं और दूसरा पेज पढ़ने के बाद में तीसरे के लिए आपकी इच्छा होगी। मैं समझता हूं कि एक किताब सब लोगों ने पढ़ी है, उस किताब को लेकर विधान सभा में एक चर्चा हुई थी, उस पर काफी विश्लेषण किया गया। बहुत जबरदस्त लेखक थे। सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। किसी का मन से कोई विरोध करने वाले हों, इस प्रकार का स्वभाव ही उनका नहीं था। वह व्यक्ति भी हमारे बीच से चला गया। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की भगवान शक्ति प्रदान करे, इसके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, नाथूलालजी करौल स्वतंत्रता सेनानी भी थे, विधान सभा के पूर्व विधायक भी थे। तीन या चार बार वे विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। उस आदमी की एक विशेषता थी, मैंने 1952 से लेकर मृत्यु हुई उस समय तक एक बात देखी जो हम हमेशा अदला-बदली करते रहे। वे हमेशा एक साफा बांधते थे और पीले रंग का साफा बांधते थे। पीले रंग का साफा दिख जाए तो आप हाथ पकड़ लें, पता लगेगा कि नाथूलालजी करौल हैं। गांवों में उनका प्रभाव था, जातियों में उनका प्रभाव था। बड़े-बड़े पारिवारिक मामलों में उस व्यक्ति की सलाह लिये बिना कोई काम नहीं होता था। पंचायत के अन्दर चाहे किसी भी जाति के लोग हों, करौल साहब को बुलाकर उनसे निपटारा कराने की बात चलती थी। ऐसे व्यक्ति भी हमारे बीच से चले गये। मैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, रूपलाल जी सोमानी ये संसद सदस्य थे। भीलवाड़ा के रहने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वाले थे। स्वतन्त्रता सेनानी थे। स्वतन्त्रता के समय इन्होंने काम किया, जेल की यातनाएं भोगीं। ग्यारह-ग्यारह महीने की इस व्यक्ति को जेल हुई है। कठोर दण्ड इनको दिया गया लेकिन इसके उपरान्त भी स्वतन्त्रता का मन में जो ध्येय था उस ध्येय को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। लोक सभा के सदस्य के रूप में गांधी, गांधीवाद और खादी और ग्रामोद्योग को लेकर हमेशा चर्चा करते रहे।

मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, वे स्वभाव से इतने सरल थे कि कोई आदमी किसी तरह की उनकी आलोचना कर दे, उस आदमी को क्रोध आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वे भी हमारे बीच से चले गये। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता मुकीमुद्दीन फारूकी का जन्म 1920 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। 20 वर्ष की उम्र में इस आदमी ने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और अंत तक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने रहे। विद्वान व्यक्ति थे। कम्युनिस्ट पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी बनाने में फारूकी का जितना बड़ा हाथ है वह और आर्गेनाइजेशन के लिये प्रेरणादायक है कि किस प्रकार से लोगों को एक कमिटेड कैडर बनाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है।

सरल स्वभाव, खान-पान और रहन-सहन को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि उस प्रकार के व्यक्ति को खोकर निश्चित रूप से इस देश को हानि हुई है। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

फारूकी के साथ राजस्थान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री मोहन पूनमिया का भी स्वर्गवास हो गया। मोहन पूनमिया से मेरे व्यक्तिगत सम्बन्ध भी अच्छे थे और विधान सभा के सदस्य भी रहे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर या लेबर मूवमेंट में मैंने इस प्रकार का व्यक्ति अभी तक नहीं देखा जो पांच लेबर के अन्दर खड़ा हो जाए, भाषण दे और भाषण देने के बाद में उनका केस किसी वकील के माध्यम से नहीं वरन् किसी कोर्ट में जाकर खड़े हो जाएं तो लोगों को यह लगता था कि लेबर लॉ के सम्बन्ध में जितनी भी रूलिंग हुई हैं, जो व्यवस्थाएं हुई हैं, मोहन पूनमिया जैसा व्यक्ति इनको ज्यादा जानता है। उस ज्यादा जानने वाले व्यक्ति के सामने कोई वकील खड़ा होता था तो तैयारी के साथ जाता था।

बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। भाषण चाहे कितने ही उत्तेजित होकर दें लेकिन अगर आप उनसे परस्पर बातचीत करें तो उस बातचीत से यह झलक मिलती थी कि यह आदमी नेता के रूप में कुछ और है और व्यक्ति के रूप में कुछ और है।

इस प्रकार का व्यक्ति हमारे बीच से उठ गया। मैं समझता हूं कि न केवल श्रमिक आन्दोलन को ही धक्का लगा है बल्कि निश्चित रूप से राजस्थान को इससे हानि हुई है। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, इन सब नेताओं के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को वह स्वीकार करे और इनको हमारी तरफ से अपनी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को व्यक्त करते हुए सम्मानित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय परसराम जी।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दिवंगत आत्माओं के प्रति शोक प्रकट करने के लिये शोक प्रस्ताव सदन के सम्मानित नेता महोदय ने प्रस्तुत किया है। मैं मेरे दल की ओर से और मेरी तरफ से उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, दया, ममता, शांति और स्नेह की दूत "भारत रत्न" मदर टेरेसा का तीन दिन पूर्व देहांत हो गया। मदर टेरेसा मां के नाम से जानी जाती थीं। वे 1929 में 19 साल की आयु में कलकत्ता आयी थीं। कलकत्ते में उन्होंने सेंट मेरी लोरेंटो कान्वेंट में अध्यापन का कार्य प्रारम्भ किया। अध्यापन कार्य के दौरान कलकत्ता जैसे शहर में जब उन्होंने दु:खी और पीडित लोगों की दुर्दशा देखी तो मदर टेरेसा ने एक चैरिटी मिशन की स्थापना 1950 में की। उस चैरिटी मिशन की कई शाखाएं, बाद में धीरे-धीरे मिशनरीज का पूरे संसार भर में फैलाव हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों, निस्सहायों, उपेक्षितों, अपाहिजों, कुष्ठ रोगियों, बेसहारों, अनाश्रितों, वंचितों और अपंगों को अपना प्रेम, स्नेह और सेवा, सब समर्पित किया और ऐसे समाज के ठुकराये हुए लोगों की वे एकमात्र सहारा थीं। सभी धर्मों और समुदायों के पीड़ितजनों की वे मां के समान थीं और वास्तव में मानवता की सेवा में जीवन भर समर्पित व निष्ठावान रहीं। इसलिए वे दुनिया भर के अनेक पुरस्कारों से अलंकृत हुईं। जैसा कि सदन के नेता महोदय ने अभी उल्लेख किया था कि 80 पुरस्कारों से अलंकृत हुईं, मैं उन सबकी सूची पढ़ना उचित नहीं समझते हुए संक्षेप में बताऊं। 1962 में वे 'मैग्सेसे पुरस्कार' से सम्मानित हुईं, 1962 में "पद्म श्री" से सम्मानित हुईं, 1972 में जवाहर लाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार से अलंकृत हुईं, 1979 में मानवता की सेवा के लिये "नोबेल शांति पुरस्कार से अलंकृत हुईं, 1980 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से वे सम्मानित हुईं, 1989 में 'कैनेडी इंटरनेशनल अवार्ड' से सम्मानित हुईं, 1989 में वे "पोप जॉन शांति पुरस्कार" से अलंकृत हुईं, 1992 में "लियो टालस्टाय अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार" प्रदान किया गया, 1993 में "राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना" पुरस्कार से सम्मानित की गयीं, 1995 में "दयावती मोदी पुरस्कार" से सम्मानित हुईं। और भी 70 के आसपास पुरस्कारों से वे सम्मानित हुई थीं लेकिन सच तो यह है कि ये पुरस्कार मदर टेरेसा को देकर गौरवान्वित हुए हैं, मदर टेरेसा नहीं हुईं। वे इतनी एक अंतरराष्ट्रीय महान विभूति थीं कि संसार में जहां कहीं भी वे गयीं सभी राज्याध्यक्षों ने

(श्री परसराम मदेरणा)

उन्हें आदर के साथ में बहुत बड़ा सम्मान दिया है।

मदर टेरेसा करूणा, दया, स्नेह और मानवता की मां थीं और मानवता ने उनके निधन से अपनी मां को खो दिया है। वे शांति और दया की देवी थीं, सेवा भावना की जीवन्त मिसाल थीं। विश्व ने एक सबसे दयालु सेवक को खो दिया है। यद्यपि वे विश्व की मानवता की प्रतिमूर्ति थीं लेकिन विशेष रूप से भारतीय संस्कृति की आत्मा के अनुरूप एक सच्ची भारतीय थीं और भारत उनकी कर्म भूमि रहा। विश्व मातृत्व की प्रतिमूर्ति उठने से विश्व को अपार क्षति हुई है और इस प्रकार से वंचित, पराश्रित और अपाहिज लोग अनाथ हुए हैं। एक मायने में पूरा विश्व भारत विशेष तौर से अनाथ हुआ है, हालांकि वे अंतरराष्ट्रीय मां समझी जाती थीं। मदर के कार्य पूरी विश्व की मानवता के लिए आदर्श रहेंगे और मदर का निःस्वार्थ प्रवृत्त जीवन हम सबके लिए सदा प्रेरणा स्रोत रहेगा।

इसके साथ ही हमारे देश की एक बहुत बड़ी विभूति गणाधिपति तुलसी हमारे बीच में नहीं रहे। वे प्रतिभा सम्पन्न और तीक्ष्ण बुद्धि के थे। उनका रुझान बचपन से ही धर्म की ओर था। ग्यारह वर्ष की आयु में ही संसार से विरक्ति लेकर तेरापंथ आचार्य मुनिजी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और 1936 में 22 वर्ष की आयु में देश-व्यापी तेरापंथ संघ के वे आचार्य बने। देश के विभाजन के बाद जब राष्ट्र में साम्प्रदायिक उन्माद बहुत जोरों पर चल रहा था, उस समय शांति स्थापित करने के लिए विभाजन के बाद 1949 में उन्होंने अणुव्रत आन्दोलन का सूत्रपात किया। इस इस आन्दोलन को, शांति और सद्भावना के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए भारत के लोगों में उसकी गहरी छाप छोड़ने के लिये उन्होंने कच्छ से कन्याकुमारी तक एक बहुत लम्बे अरसे तक एक लाख किलोमीटर की पदयात्रा भी की।

गणाधिपति तुलसी एक विद्वान व्यक्ति थे। संस्कृत के विद्वान थे, हिन्दी में उन्होंने किताबें लिखीं, राजस्थानी में किताबें लिखीं कविताएं भी लिखीं मानवतावादी धर्माचार्य के रूप में अहिंसा प्रशिक्षण पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों का भी उन्होंने राजस्थान में आयोजन किया। 1993 में राष्ट्र की एकता के लिए उन्होंने जो प्रयास किये, उसके परिणामस्वरूप उन्हें इन्दिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1995 में आपको हाकिम खां सूरी सम्मान से अलंकृत किया गया। वे एक विशेष लेखक और साहित्यकार भी थे और 70 से ज्यादा पुस्तकें उन्होंने लिखीं। गणाधिपति तुलसी ने साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण तैयार करने में व राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका शांति और सद्भावना का सन्देश हिन्दुस्तान की सीमाओं में ही नहीं बल्कि अन्तरराष्ट्रीय जगत में भी व्यापक हुआ, उनके इस प्रयास से लोगों को प्रेरणा मिली है। मानवता के प्रति आजीवन समर्पित महान विभूति गणाधिपति तुलसी का 23 जून, 1997 को महाप्रयाण हो गया।

श्री बीजू पटनायक जी एक बहुत दिलेर और हिम्मत वाले व्यक्ति थे। वे एक

(श्री परसराम मदेरणा)

पायलट थे और एयरोनोटिकल इंजीनियर भी थे। वे छः बार उड़ीसा विधान सभा के सदस्य और दो बार मुख्य मंत्री रहे। तीन बार लोक सभा के सदस्य और एक बार राज्य सभा के सदस्य भी रहे। केन्द्र में भी दो बार मंत्री रहे। अपने मंत्रित्व-काल में वह आदमी एक लोक सभा का सदस्य या मंत्री ही नहीं था, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था और यही कारण था कि उनकी क्वालिटी और गुणों से प्रभावित पण्डित जवाहर लाल नेहरू के वे बहुत नजदीक व्यक्तियों में से थे। जैसा कि सदन के नेता महोदय ने उल्लेख किया है, इण्डोनेशिया की आजादी के लिए स्वतन्त्रता संग्राम चल रहा था, उस समय उन्होंने जिस तरह प्लेन में जाकर डेयरिंग और बहादुरी का एक प्रदर्शन किया, उससे उनको 1953 में इण्डोनेशिया की आजादी के बाद सुकर्णो के राष्ट्रपति बनने के बाद वहां पर सम्मानित भी किया गया था।

ऐसा व्यक्ति जिसके व्यक्तिगत जीवन से मेरा सम्बन्ध नहीं रहा है, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने उनके जीवन के सम्बन्ध में जो प्रकाश डाला है उसका समर्थन करते हुए मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि वे इस सार्वजनिक जीवन में कई पार्टियों में और जनता दल में भी रहे, कांग्रेस में बहुत लम्बे अरसे तक रहे। उड़ीसा के औद्योगिकीकरण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्होने बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है। वे सार्वजनिक जीवन में राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, वरन विश्वविद्यालय की टीमों के अन्दर उच्च कोटि के एथलीट भी थे और कई टीमों के वे कप्तान भी थे। 17 अप्रेल, 1997 को उनका निधन हो गया।

श्री भैरूंलाल जी भारद्वाज सातवीं और आठवीं विधान सभा में हमारी विधान सभा के सदस्य थे। वे पंचायत राज मंत्री भी रहे, ग्रामोद्योग मंत्री भी रहे और राष्ट्रीय हाथ करघा विकास निगम के वे निदेशक भी थे। बहुत लम्बे अरसे तक वे जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। एक लम्बे अरसे, 1965 से 1977 तक वे पंचायत समिति जमवारामगढ़ के प्रधान भी रहे। इसलिये उनके कार्य कलाप और उनकी सेवाएं पंचायती राज के सम्बन्ध में, ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में, सहकारिता के सम्बन्ध में और कृषि के सम्बन्ध में अच्छी रही हैं। वे हालांकि बहुत कम पढ़े-लिखे थे लेकिन अपने समाज की समस्याओं तथा किसान और शोषित वर्ग के सम्बन्ध में उनका गहरा अध्ययन था और वे दबंग तरीके से अपनी बात को मंच पर रखा करते थे। उनका भी 22 अगस्त, 1997 को निधन हो गया।

इसी प्रकार श्री भैरवलाल जी कालाबादल चार विधान सभाओं के कार्यकाल में यहां पर सदस्य रहे। उन्होंने कविताओं के माध्यम से जनजागृति पैदा करने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वे सदन में उस साइड में बैठते थे। वे कई दफा अपने भाषण के बीच में कविता का पाठ किया करते थे और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अपनी बात इस सदन के अन्दर रखते थे। वे मंत्री भी रहे। वे सार्वजनिक जीवन में 1935 से सक्रिय हो गये थे। 1941 में

(श्री परसराम मदेरणा)

जेल भी गये। हाड़ौती प्रजा मण्डल से सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे। उन्होंने रूढ़िवादिता, सामाजिक बुराइयों और ग्रन्धविश्वास के खिलाफ उल्लेखनीय कार्य किया। ग्रादिवासी ग्रौर वनवासी क्षेत्रों के ग्रन्दर उन्होंने कविताग्रों के माध्यम से ग्रनेक रचनाएं पढ़ी ग्रौर सक्रिय रहे, जिनमें "गांव की पुकार", "ग्राजादी की लहर" और "सामाजिक सुधार" ये गीत उनके प्रमुख हैं। वह जमीन का एक व्यक्ति था, धरातल का। उनका 21 ग्रप्रेल, 1997 को निधन हो गया।

श्री त्रिलोक चन्द जी जैन जाने माने सर्वोदयी नेता ग्रौर शिक्षाविद् थे। साहित्य रत्न ग्रौर एम.ए. की उपाधि प्राप्त करने के बाद वे महिला मण्डल, उदयपुर के प्रधानाध्यापक रहे। छठी विधान सभा में वे विधायक चुने गये और राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे। जब मंत्री रहे उस वक्त मुझे उनके सान्निध्य में जाने का ग्रवसर मिला। वे उच्च विचारों के ग्रौर सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। प्रारम्भ से ही, विद्यार्थी काल से ही वे राष्ट्रीय ग्रान्दोलन से जुड़े रहे। गांधी ग्रध्ययन केन्द्र की स्थापना जो सिद्धराज जी ढड्ढा ने की, उसके तीन साल तक वे निदेशक भी रहे। उसके बाद राजस्थान समग्र सेवा संघ के सचिव भी रहे लम्बे ग्ररसे तक। जब विनोबा जी ने राजस्थान की पदयात्रा की तो राज्य भर में उस पदयात्रा के संचालन की बागडोर उनके हाथ में थी। 1965 में प्रौढ़ शिक्षा पर एक इन्टरनेशनल कांफ्रेंस थी, अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन, यूनेस्को द्वारा, उसमें उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। हरिजनों ग्रौर बेरोजगार लोगों को रोजी दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पत्रिका के क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा है। "ग्राम राज्य" साप्ताहिक का सम्पादन भी उन्होंने किया। उनका 25 मार्च, 1997 को निधन हो गया।

श्री गोविन्दसिंह चूण्डावत तीसरी विधान सभा के सदस्य थे कुम्भलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से। वे स्वतन्त्र पार्टी के विधायक थे। वे प्रधान भी रहे ग्रामेर पंचायत समिति के। राजनीति के क्षेत्र के ग्रलावा कृषि उद्योग और मुर्गी पालन के ग्रन्दर उनका रुझान था ग्रौर अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदन में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई। चूण्डावत साहब का 30 ग्रप्रेल, 1997 को निधन हो गया।

श्री बृजमोहन लाल जी शर्मा स्वतन्त्रता सैनानी, श्रमिक नेता ग्रौर जो मजदूरों के हितैषी थे वे हमारे बीच में नहीं रहे। द्वितीय विधान सभा में जब ग्रजमेर का विलीनिकरण राजस्थान के साथ हुग्रा उससे पहले वे अजमेर विधान सभा के सदस्य चुने गये 1952 में ग्रौर 1 नवम्बर, 1956 को जब ग्रजमेर का राजस्थान में विलय हो गया तो वे इस विधान सभा के सदस्य बन गये। वे ग्रजमेर में भी मंत्री रहे कई विभागों के ग्रौर राजस्थान में भी वे श्रम मंत्री नियुक्त किये गये थे। स्वतन्त्रता ग्रांदोलन में सक्रिय रहने के फलस्वरूप 1940 में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया, वे जेल गये। "भारत छोड़ो" 1942 के ग्रांदोलन में भी उनको कारागार में बन्द किया गया। वे बहुत लम्बे ग्ररसे तक ब्यावर कांग्रेस कमेटी के ग्रध्यक्ष भी रहे। लेकिन उनका मुख्य क्षेत्र श्रमिकों के हितों को

(श्री परसराम मदेरणा)

संरक्षक रहा था और इसलिए 1957 से 1962 और 1965 से 1970, दो बार वे [illegible] के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने मजदूरों और किसानों के उत्थान के लिए अविस्मरणीय प्रयत्न किये। वयोवृद्ध सेनानी श्री शर्मा जी का 29 मार्च को निधन हो गया।

अध्यक्ष महोदय, जनार्दन राय जी नागर एक बहुत रिनाउण्ड साहित्यकार थे। उन्होंने एम.ए. की डिग्री उदयपुर भूपाल कॉलेज से प्राप्त की। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से एलएल.बी. की, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से उन्होंने साहित्य रत्न और विद्या रत्न अलंकार की उपाधियां लीं। वे दूसरी विधान सभा में यहां सदस्य थे। इतना बड़ा साहित्कार और विद्वान आदमी जब इस विधान सभा में सदस्य था तो यह बात निश्चित है कि अपनी भाषा के ऊपर आधिपत्य की बात जो अभी सदन के नेता ने कही है, निश्चित तौर पर इस सदन में उन्होंने अपनी एक अमीट छाप छोड़ी थी और हमेशा वे कुछ न कुछ लिखते रहते थे। उन्होंने राजस्थान विश्व विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की स्थापना की। राजस्थान हिन्दी सम्मेलन, अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वे पदाधिकारी भी रहे। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने गद्य, गीत भी लिखे, कविताएं भी लिखीं, नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, कहानियां भी लिखीं और सभी विधाओं में वे बराबर लिखने में लगनशील रहे। 1957 में राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना हुई प्रथम बार और वे उसके प्रथम अध्यक्ष मनोनीत किये गये थे। साहित्य जगत में सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति, राजस्थान साहित्य एकेडमी ने अपना सर्वोच्च सम्मान साहित्य मनीषी और महाराणा मेवाड़ फाउन्डेशन ने हरित ऋषि पुरस्कार से उनको सम्मानित किया। वे बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करने वाले, निरभिमान एक उच्च व्यक्तित्व और गुणों के धनी थे। ऐसे साहित्यकार और विद्वान का 16 अगस्त को निधन हो गया।

नाथूलाल जी करौली एक सक्रिय विधान सभा के सदस्य रहे और वे मुझ से कई दफा मिले थे। अपने क्षेत्र के विकास को लेकर वे निरन्तर सक्रिय रहे। वे काश्तकारी में भी रुचि रखते थे और उनकी स्वतन्त्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में वे लगातार प्रयत्नशील रहे। उनका अभी 5 सितम्बर को देहान्त हो गया।

रूपलाल जी सोमानी एक स्वतन्त्रता सेनानी और पूर्व सांसद और शिक्षाविद् थे। गांधी दर्शन के पूरे समर्थक थे और सर्वोदय आंदोलन से जुड़े हुए थे। मेवाड़ प्रजा मण्डल की गतिविधियों में भी वे सक्रिय रहे। 1935 के अन्दर कठोर कैद की सजा भुगतनी पड़ी और "भारत छोड़ो" आंदोलन 1942 में भी उनको 11 महीने की सजा मिली। आप 1977 में भीलवाड़ा से छठी लोक सभा के सदस्य रहे। साहित्य, गांधी दर्शन, धर्म, नीति शास्त्र और राजनीति की विशेष रुचि रखने वाले सोमानी जी अनेक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े रहे। ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी जिनका सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा था, 30 अगस्त को उनका निधन हो गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

(13.00)

श्री मुकीमुद्दीन फारूकी सेन्ट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से एम. ए. की उपाधि प्राप्त करने के बाद 1941 में आल इण्डिया स्टूडेन्ट्स फैडरेशन के महासचिव बने। स्वतन्त्रता संग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। 1940 से वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गये और 25 वर्ष तक लगातार पार्टी के सचिव रहे। 1972 में पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने और 1981 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय सचिवालय के रूप में उनका निर्वाचन हुआ। वे स्वतन्त्रता आन्दोलन में तीन बार जेल गये और उनका स्वतन्त्रता संग्राम में उल्लेखनीय योगदान रहा। जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने अभी कहा, फारूकी जैसी मुझे जानकारी मिली, कि जब वे केन्द्रीय सचिवालय में सदस्य थे उनसे जो लोग मिले और अग्रलेख भी मुझे पढ़ने को मिले, वे सहज सरल, हंसमुख और मृदुभाषी, ईमानदार, निष्ठावान तथा अपने सिद्धान्तों के प्रति समर्पित नेता व स्वतन्त्रता सेनानी थे। उनके निधन से देश को और कम्युनिस्ट पार्टी को गहरा धक्का लगा है।

श्री मोहनजी पूनमिया ने बम्बई में शिक्षा ग्रहण की। पहले रूईया कालेज में उन्होंने बी. एससी. की और विल्सन कॉलेज से एम. एससी. की उपाधि करने के बाद में स्टूडेंट फैडरेशन के वे सदस्य बने। सामाजिक विषमता और आर्थिक शोषण समाप्त करने के उद्देश्य से वे समाजवादी दल के सदस्य बन गये और बम्बई में ही उन्होंने विभिन्न श्रमिक संगठनों और मजदूरों के अन्दर अपना काम करना प्रारम्भ किया। 1970 में राजस्थान में सेन्ट्रल इण्डियन ट्रेड यूनियन (सीटू) की स्थापना की और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक शीर्ष नेताओं में वे एक थे। मजदूर नेता पूनमियाजी कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया के राज्य सचिव और पार्टी की केन्द्रीय समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने 1985 में राष्ट्रीय स्तर की मार्क्सवादी पार्टी का अलग से गठन किया, चूंकि उनकी पार्टी में मतभेद हो गये थे। उनका जन्म पाली जिले में हुआ था। उनके कई अनुयायी पाली जिले के बाली निर्वाचन क्षेत्र में जिसका प्रतिनिधित्व मुख्य मंत्रीजी करते हैं, आज भी सक्रिय हैं। 4 जुलाई, 1997 को उनका निधन हो गया।

इन 13 दिवंगत आत्माओं के साथ भारत की स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर देश और प्रदेश में स्वतन्त्रता आन्दोलन के अन्दर चाहे वे महानायक रहे हों, चाहे सेनानी रहे, स्वतन्त्रता के संग्राम में जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग और उत्सर्ग किया और कई लोगों ने बलिदान भी किया भारत मां की गुलामी की बेड़ियां कटवाने के लिए। उसके बाद में बहुत से स्वतन्त्रता सेनानी जो आन्दोलन में सब कुछ न्यौछावर करने के बाद में जिन्दा थे, वे भी आज संसार में नहीं रहे, स्वतन्त्रता संग्राम में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है उन सभी दिवंगत आत्माओं को और इन 13 दिवंगत आत्माओं को मैं अपनी ओर से और कांग्रेस विधायक दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करें और उनके शोकसंतप्त परिवार को इस क्षति और बिछोह को सहन करने की शक्ति दे।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय ने जो शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। प्रतिपक्ष के नेता और सदन के नेता ने उनके कार्य और जीवन परिचय के बारे में जो विस्तार से रखा है उसका समर्थन करते हुए, आज हमारे बीच में विश्वविख्यात मदर टेरेसा तथा इस देश और प्रदेश को अपना योगदान देने वाली महान विभूतियां नहीं रही हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं–मदर टेरेसा गणाधिपति, तुलसी, श्री बीजू पटनायक, इस सदन के सदस्य श्री भैरूंलाल भारद्वाज, श्री भैरवलाल कालाबादल, श्री त्रिलोकचन्द जैन, श्री गोविन्द सिंह चूण्डावत, श्री बृजमोहन लाल शर्मा, श्री जनार्दन राय नागर, श्री नाथूलाल करोल और संसद सदस्य श्री रूपलाल सोमानी, जो हमारे बीच में नहीं रहे एवं एम. फारूकी, वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता और मोहन पूनमिया, मजदूर नेता और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जिनका मेरे विद्यार्थी जीवन से मेरा परिचय रहा जब तक वे कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सैक्रेटरी राज्य के रहे, जब तक वे पार्टी में रहे। उनकी जहां तक मैं समझता हूं, शोषणविहीन समाज स्थापित करने में, मजदूरों को संगठित करने में तो विशेष योग्यता थी ही थी लेकिन जो विद्यार्थी और नौजवान इस समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हैं, अपने कार्य के अलावा, निश्चित रूप से उनके इन्हीं गुणों–सादा जीवन और उच्च विचार से काफी प्रभावित होकर इस सामाजिक कार्य में आने में बहुत बड़ा योगदान श्री मोहन पूनमिया का मैं अपने आपके जीवन में भी समझता हूं, जो हमारे बीच में आज नहीं रहे।

उसके बाद स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्वाधीनता संग्राम में जाने-अनजाने तमाम शहीद जिन्होंने इस देश की स्वतन्त्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपना योगदान दिया तथा जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनको मैं मेरी ओर से इस शोकाभिव्यक्ति के प्रस्ताव के समय अपने आपको शामिल करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रकृति से कामना करता हूं कि उनके अनुयायी और उनके परिवार के सदस्यों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलालजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्षजी, सदन के सम्माननीय नेता और सम्माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है उसमें मैं अपने आपको जोड़ते हुए इस देश व प्रदेश की महान हस्तियां जो हमारे बीच से उठ गयी हैं उनको मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मदर टेरेसा, गणाधिपति तुलसी, श्री बीजू पटनायक, श्री भैरूंलाल भारद्वाज, श्री भैरवलाल कालाबादल, श्री त्रिलोकचन्द जैन, श्री गोविन्द सिंह चूण्डावत, श्री बृज मोहन लाल शर्मा, श्री जनार्दन राय नागर, श्री नाथूलाल करोल, श्री रूपलाल सोमानी श्री एम. फारूकी, श्री मोहन पूनमिया एवं इस देश को स्वाधीन कराने में शहीद उन हस्तियों को जिनकी आज जानकारी नहीं है, उन सभी को मैं मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आचार्य गणाधिपति का सरदारशहर से विशेष तौर से विशेष ही लगाव था प्रथम आचार्य के रूप में आने के बाद पहला चौमासा गणाधिपति तुलसी का सरदारशहर ही हुआ था। सरदारशहर अणुव्रत अनुशास्ता की भूमि है। उन्होंने एक वातावरण पूरे देश में अणुव्रत का जो कायम किया, अहिंसा का जो वातावरण कायम किया, फिर शासन निज अनुशासन का जो नारा दिया वह इस देश में हमेशा के लिए धार्मिक, सामाजिक छाप छोड़ गया। वर्षों तक आने वाली पीढ़ियां जैन धर्म को याद करेंगी। महावीर स्वामी के बताए हुए जो भी मार्ग हैं, प्रत्यक्ष में गणाधिपति तुलसी अपने व्याख्यान में साक्षात वाणी से सारी बातें प्रकट करते थे।

इसी प्रकार इस दल के नेता बीजू पटनायक पंडित नेहरू जी के टाइम में उनकी केबिनेट में रहे, दो बार उड़ीसा के मुख्य मंत्री रहे। सदन के माननीय नेता महोदय ने जैसा बताया कि वे सिर्फ मुख्य मंत्री और मंत्री ही नहीं थे केन्द्र में बल्कि वर्षों तक उन्होंने उड़ीसा की जनता के दिलों में राज किया, यह सत्य बात है। मुख्य मंत्री, मंत्री बन जाना कोई विशेष बात नहीं है, आम जनता के दिलों में जिस व्यक्ति की छाप हो, वही सबसे बड़ी उपलब्धि इस जीवन की है।

श्री भैरूंलाल जी भारद्वाज, भैरवलाल कालाबादल और श्री त्रिलोकचन्द जी जैन से मैं व्यक्तिशः परिचित हूं। भैरूंलाल जी भारद्वाज ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए थे, पंचायती राज से जुड़े हुए थे। प्रधान रहे और उसके बाद पंचायती राज मंत्री भी रहे। समाज सेवा में उनका काफी योगदान था।

श्री भैरवलाल कालाबादल 1977 में जनता पार्टी में थे और आदिवासी आन्दोलन के अगवा थे। बहुत ही सीधे थे। उनको देखकर यह कोई नहीं बता सकता था कि ये मंत्री भी हैं और ये व्यक्ति विधायक भी रहे हैं। बिलकुल साधारण ग्रामीण वेशभूषा में ग्रामीण भाषा में बात करते थे।

श्री त्रिलोक चन्द जी जैन भी काफी सुलझी हुई हस्तियों में थे और उनका राजनीतिक जीवन भी एक सफेद चादर की तरह से था।

बाकी सदन के सदस्य रहे और संसद के सदस्य रूपलाल सोमानी श्री एम. फारूकी, मोहन जी पूनमिया, इन सभी को मैं मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके परिवार को यह कष्ट सहन करने की सहनशक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्माओं को शांति मिले।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : **अध्यक्षजी,** सदन के नेता महोदय ने हमारे उन दिवंगत नेताओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, शोक प्रकट करने के लिए प्रस्ताव रखा और अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। हम सभी साथी भी उनकी भावनाओं में अपने आपको सम्मिलित करते हुए सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति आदर, सम्मान, श्रद्धा पेश करते हैं।

(श्री शिवनाथ सिंह)

अध्यक्षजी, मदर टेरेसा एक ऐसी ज्योति थी जो इस संसार से उठ गयी। वे ममता की मूर्ति थीं, त्याग की मूर्ति थीं और मानवता की सेवा के लिए समर्पित थीं। क्या कहूं उसको, मानवता के दुःखों से इतनी पीड़ित थीं कि अपना जीवन उनकी सेवा में उन्होंने लगा दिया। वे हर पीड़ित के अन्दर भगवान के दर्शन करती थीं और भगवान मानकर उस पीड़ित को जो कुछ उनसे बन सकता था, उनकी सेवा में लगा दिया। धर्म, जाति, देश, भाषा, सब बाधाओं को पार करते हुए मदर टेरेसा ने सम्पूर्ण मानव जाति की मां का रूप लिया उनके सामने कोई धर्म नहीं था, जाति नहीं थी। एक ही धर्म था कि जो पीड़ित है उसकी सेवा की जाए। आज संसार का वह वर्ग जो पीड़ित है, दुःखी है, माता के बिना हो गया है आज हम सब यह सोचते हैं, देखते हैं कि इस प्रकार की विभूतियां संसार में कभी-कभी पैदा होती हैं। इस शताब्दी की उन महान विभूतियों में मदर टेरेसा भी अपना एक बहुत ऊंचा स्थान रखती हैं जो मानवता के प्रति समर्पित थीं। उनके सम्बन्ध में जितना कहा जाए उतना कम है। हम सब, पूरा संसार आज नत मस्तक है, दुःखी है अपनी मां को खोकर।

माननीय अध्यक्षजी, सदन के नेता महोदय ने दूसरे माननीय दिवंगत आत्माओं के प्रति अपने विचार प्रकट किये, मैं भी उन सबके लिए सम्मान प्रकट करता हूं, इनमें से बहुत-से साथी ऐसे रहे हैं जिनसे मेरा, हमारा व्यक्तिगत सम्पर्क रहा है, पहले विधान सभा के अन्दर और फिर विधान सभा के बाहर संगठन के रूप में साथ-साथ बैठने, सोचने और विचारने का समय मिला है।

अध्यक्षजी, बीजू पटनायक एक महान देशभक्त, देश नेता और आजादी के युग में समर्पित भावना से कार्य करने वाले एक नेता थे। उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। जैसा माननीय नेता महोदय ने कहा, सुकर्णो साहब को हवाई जहाज से लाने में जो अद्भुत साहस का उन्होंने परिचय दिया, अविस्मरणीय रहेगा। मुझे याद है, उस मौके पर यहां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। जवाहर लालजी नेहरू बड़े विचलित थे। इंडोनेशिया की खबरें बार-बार आ रही थीं और जैसे ही उनको सूचना मिली कि पटनायकजी सुकर्णो साहब को बचा लाये हैं, उन्होंने यहां भरी सभा में लाखों आदमियों के सामने पटनायकजी की जितनी प्रशंसा की, थोड़ी थी। ऐसे बहादुरों के लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है और हम श्रद्धा से उनके आगे नत मस्तक होते हैं।

अध्यक्षजी, भेरूंलालजी भारद्वाज के साथ में बैठने-उठने का समय मिला। देहाती समाज के लिए वे समर्पित थे और जहां भी उनकी बात होती थी, जिनको बात करने का अवसर मिलता था, गांव की बात वे निधड़क, बिना किसी हिचक और बिना किसी भय के कहा करते थे।

अध्यक्ष जी, भैरव लाल कालाबादल एक जलती हुई आग का गोला थे। जिस प्रकार से उन्होंने ग्रामीण जगत में अपने गीतों के माध्यम से एक जन चेतना पैदा की, ऐसी विभूतियां कम मिलती हैं। उनका वह गीत "अब तो बरसा दे जलती आग रे काला बादल" जन-जन की जबान पर था, बच्चा-बच्चा उसको गाता था और उससे इतनी प्रेरणा मिलती थी कि आज उनकी याद हमको सताती है।

(श्री शिवनाथ सिंह)

अध्यक्षजी, दूसरे अन्य महानुभाव बृज मोहन लाल जी शर्मा, जनार्दन राय जी, नाथूलाल जी, इनके सबके साथ भी बैठने का मौका मिला है। जनार्दन राय जी नागर अपने जीवन में साहित्य सेवा के लिए शिक्षा के लिए समर्पित थे। इन्होंने जो काम किया, आज जो उदयपुर में इनकी यूनिवर्सिटी है और जहां जिस प्रकार से लोग, बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, एक उदाहरण है। मैं इन्हीं सब आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्षजी, स्वतन्त्रता आन्दोलन में जो शहीद हुए उनको भी हम नमन करते है, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सदन के नेता महोदय ने एक बात कही, मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं, आज देर से सही लेकिन उनके दिमाग में एक बात आई कि आजादी की जंग के शहीदों को हम याद करें, स्मरण करें और जैसा पर्लियामेंट में हुआ उस प्रकार का कार्यक्रम यहां रखें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा-सदन के नेता महोदय से, अध्यक्ष जी से और प्रतिपक्ष के नेता महोदय से कि यदि इस प्रकार का विचार हैं तो हमें इस सैशन के साथ में उसको नहीं जोड़ना चाहिये। उसकी गरिमा कम होती है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप विशेष सत्र का दर्जा उसको दीजिए। चाहे दो रोज के गैप में हो, चार रोज के बाद में हो, विशेष सत्र उस काम के लिये बुलाइये ताकि हम अपने उन सेनानियों को जिनकी वजह से हम आज यह सब कुछ भुगत रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है, श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकें और 50 साल में हमने क्या किया और क्या नहीं किया, आगे हम क्या करना चाहते हैं इस प्रकार का उसमें खुलकर विचार-विमर्श हो। यह सदन के नेता महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इस प्रकार के आयोजन करें तो विशेष सत्र के रूप में करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन सभी दिवंगत आत्माओं को हम सभी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्माओं को चिरशांति प्रदान करे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, जो सदन के नेता ने शोक प्रस्ताव रखा है उसमें मैं अपने आपको भी सम्मिलित करके यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि लेडी डायना, प्रिंसेस आफ वेल्स, उसका नाम आप सैक्रेटेरिएट ने भूल से छोड़ दिया, उसके लिये भी हमें शोक प्रस्ताव लेना चाहिये, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि वे एक प्रिंसेस थीं और उसके लिये हम उसका शोक प्रस्ताव रखें, मैं इसलिए शोक प्रस्ताव और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं क्योंकि मदर टेरेसा की भी इच्छा थी कि वे भी फ्युनरल में जाएं। मदर टेरेसा ने भी यह कहा कि मेरी 90–100 की उम्र के अन्दर जो मैं नहीं कर पाया, यह छोटी-सी लड़की कर पायी है।

यह एक ऐसी लेडी थी जिसने एच.आई.वी. के, जितने भी एड्स के पेशेन्ट हैं, खुशी दी उन लोगों को। वह एक ही महान लेडी थी जिसने पर्सनल माइनिंग जैसे नेग्ले-

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

स्टेड एरियाज के अन्दर अपनी भूमिका बतायी। आज सब जितने भी बड़े-बड़े इन्टरनेशनल लीडर्स हैं, वे इसके लिये ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है, यह गलत प्रिसिडेन्स होगा कि हम कूप मेंढक रहकर उसके लिए शोक प्रस्ताव नहीं दें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मदर टेरेसा ने एक इच्छा व्यक्त की थी। जब लेडी डायना हिन्दुस्तान आयी थीं, जितना पैसा लेडी डायना के कारण मदर टेरेसा को मिला वह अभूतपूर्व है।

मैं इसलिये आपसे निवेदन करूंगा, यह हंसने की बात नहीं है और सही बात है कि हमको इसके लिये भी ट्रिब्यूट पे करना चाहिये ....(व्यवधान) हद हो गयी। तकलीफ क्या हो रही है अगर अपन कर दें? श्रद्धांजलि अर्पित कर दें तो डाइल्यूट हो गया? ....(व्यवधान)

श्री कुबेर खान (रामगढ़) : पूरे विश्व में इसने चैरिटी शो आर्गेनाइज किये और मदर टेरेसा ....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : अपने यहां के फण्ड्स विकलांग लोगों के लिये........ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री कुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आज अगर हम इस सदन में लेडी डायना को श्रद्धांजलि दे देते हैं तो हमारे लिये अच्छा होगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : हम श्रद्धांजलि देने में भी कंजूसी कर रहे हैं।

श्री कुबेर खान : हमारे लिये यह अच्छा होगा कि इस तरह की महिला को जिन्होंने पहली बार एड्स के रोगी को अपने हाथ में, गोदी में लिया और विश्व में दिखाया कि एड्स के बच्चों से, किसी बच्चों से नफरत मत करिये, इनको भी गले लगाइये।

साउथ अफ्रीका में माइंस के मजदूरों के लिये जाकर उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन माइन्स में जहां डाइनामाइट लगाकर काम किया जाता है, वे भी मानव हैं, उनके लिये भी लड़ाई लड़ी जानी चाहिये। लेडी डायना को भी हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिये और इस सदन में पहले हुआ भी है। बाल ठाकरे की पत्नी को जब यहां श्रद्धांजलि दी जा सकती है तो मैं यह मानता हूं कि लेडी डायना को भी यहां श्रद्धांजलि अर्पित की जानी चाहिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि लेडी डायना को वास्तव में यहां श्रद्धांजलि देनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : पूरा संसार लेडी डायना की मौत पर स्तब्ध है।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में हमने 13 महान हस्तियों को खो दिया। उन 13 महान हस्तियों में से अधिकांश को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था। इन महान हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता तथा अन्य पार्टियों के नेताओं ने जो विचार प्रकट किये हैं, उन विचारों से सहमत होते हुए

(श्री चन्दनमल बैद)

अन्तरराष्ट्रीय जगत की जिन दो महान हस्तियों का हमसे बिछुड़ना हुआ है उनके बारे में मैं थोड़े से विचार प्रकट करना चाहता हूं।

मदर टेरेसा करूणा, सेवा और प्रेम की प्रतिमूर्ति थीं। मेरा सौभाग्य है इस बात का कि मुझे उनके दर्शन दो बार करने को मिले। एक बार दिल्ली से कलकत्ता मैं हवाई जहाज से जा रहा था, तत्कालीन मुख्य मंत्री शिवचरण जी माथुर भी हमारे साथ थे। मदर टेरेसा उस हवाई जहाज में थीं। हमको ज्योंही नाश्ता परोसा गया, मदर टेरेसा ने आकर हम लोगों को कहा कि आप लोग जितना खाएं, खा लीजिएगा, बाकी खराब मत कीजिएंगा, फेंकिएंगा मत। मेरे बच्चे खाने का इन्तजार कर रहे हैं, मैं झोली में भरकर उसको ले जाऊंगी। वे एयर होस्टस के साथ आयीं और एक थैले में भरकर जितना भोजन बचा हुआ था, क्योंकि हवाई जहाज में जितना खाना दिया जाता है उतना पैसेन्जर खाते नहीं हैं, वह सारा बचा हुआ थैले में डालकर ले गयीं। मैंने कहा, देखो, कितनीं करूणा की मूर्ति हैं कि अपने बच्चों का इतना ख्याल कर रही हैं कि मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और यह खाना फेंका जाएगा इस वास्ते इस खाने को मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊं।

दूसरी बार मुझे उनके दर्शन का अवसर मिला, जब आचार्य तुलसी के पास दिल्ली में वे पधारी थीं। उस समय मुझे उनके दर्शन करने का मौका मिला और सही मायने में एक मां की मूर्ति थीं। सही मायने में उनको देखकर ऐसा मालूम पड़ता था जैसे करूणा खुद सामने आकर खड़ी हो गयी है। ऐसी महान हस्ती का दुनिया से चले जाना सचमुच में दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने जो ज्योति जलायी है, 4 हजार नन उनकी सारी दुनिया में आज गरीबों की सेवा कर रही हैं और 7 हजार कितने ही अनाथालय उनके चल रहे हैं। जयपुर में भी मिशनरीज आफ चैरिटी का एक होम चल रहा है। उनके कार्यकर्त्ता जो भी अनाथ या ऐसा आदमी जो सड़क पर पड़ा है जिनकी कोई परवाह नहीं करता है, खून से लथपथ या पेशाब और टट्टी से लथपथ पड़ा हुआ है, उसको उठाकर ले जाते हैं। उस होम में उसकी सेवा होती है और ऐसी सेवा होती है कि जैसी सेवा हम अपने शायद मां-बाप की भी नहीं करते होंगे।

ऐसे महान व्यक्ति के चले जाने से दुनिया का जो नुकसान हुआ है वह सचमुच एक महान नुकसान है और उसके लिये उस महान आत्मा को हम जितनी श्रद्धांजलि प्रकट करें उतनी ही थोड़ी है। हमारी श्रद्धांजलि को सम्मान मिलेगा, उनको कोई सम्मान नहीं मिलेगा।

इसी तरीके से एक विभूति गणाधिपति गुरुदेव तुलसी जिन्होंने देश की एकता, देश के भाईचारे को, देश की अखण्डता को कायम रखने के लिये जो अखण्ड काम किये, जो अटूट काम किये उनकी जितनी प्रशंसा की जाएं वह थोड़ी है। वे राजनीतिक आदमी नहीं थे लेकिन राजनीति से जो विकृतियां पैदा होती हैं उनको ठीक करने में बराबर वे अपना सहयोग देते थे। जब लोक सभा में गतिरोध पैदा हुआ, कोई पार्टी का सवाल नहीं था कि इस पार्टी की मदद करें या उस पार्टी की मदद करें।

(श्री चन्दनमल बैद)

गणाधिपति गुरुदेव तुलसी उस समय दिल्ली में थे, उन्होंने कोशिश की। सारे एम पी. को पत्र लिखे और पत्र लिखकर यह कोशिश की कि यह गतिरोध समाप्त होना चाहिये क्योंकि इस पार्टी या उस पार्टी का सवाल नहीं होकर यह देश के सम्मान का सवाल है। जब यह गतिरोध समाप्त हुआ तो उस समय के राष्ट्रपति शंकरदयाल जी शर्मा ने जो शब्द कहे थे मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं :– "लोक सभा का गतिरोध समाप्त करवाकर अणुव्रत अनुशास्ता श्री तुलसी ने बहुत बड़ा कार्य किया है, इसके लिये हम उनके आभारी है।" डा. शंकर दयाल शर्मा जो उस समय अपने राष्ट्रपति थे, उन्होंने यह कहा था।

वे एकधर्म विशेष के आचार्य थे। लेकिन उन्होंने अपने आपको धर्म विशेष से बांधा नहीं। उन्होंने 25 साल पहले कहा था कि मैं पहले मानव हूं, उसके बाद धार्मिक हूं, तत्पश्चात् जैन हूं, तेरापंथ आचार्य हूं। मैं पहले मानव हूं। उन्होंने यह भी कहा, "इन्सान पहले इन्सान फिर हिन्दू या मुसलमान।" अणुव्रत आंदोलन के द्वारा उन्होंने धर्म, आचार, प्रमाणिकवाद और नैतिकता की जो लहर सारे देश में फैलाई उसकी आवाज झोंपड़ियों से महलों तक गूंजी। सारे राष्ट्रपतियों ने, सारे प्रधान मंत्रियों ने, देश के सारे बुद्धिजीवियों ने, नेताओं ने उसकी तारीफ की, वह आवाज सब जगह गूंजी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं कहना चाहता कि उन्होंने जो आवाज उठाई नैतिकता, प्रामाणिकता और सदाचरण की और जो ज्योति जलाई, वे तो चले गए लेकिन सदियों तक वह ज्योति जलती रहेगी।

एक महान् लेखक, न केवल संस्कृत के वरन् हिन्दी के और राजस्थानी के भी। राजस्थानी के बड़े भारी पोषक थे। मुझे बराबर कहते रहते थे कि सब भाषाओं को जब मान्यता प्राप्त है तो राजस्थानी भाषा को मान्यता क्यों प्राप्त नहीं हो सकती? ऐसी मीठी भाषा दूसरी कोई हो नहीं सकती। वे कहते थे कि जब मैं राजस्थानी में बोलता हूं या राजस्थानी में लिखता हूं या राजस्थानी में कविता करता हूं तो मुझे जो आनन्द प्राप्त होता है वह किसी दूसरी भाषा में लिखने से मुझे प्राप्त नहीं होता। वे राजस्थानी के भी बहुत बड़े लेखक थे। राजस्थानी, संस्कृत और हिन्दी में उन्होंने कम से कम 70 पुस्तकें लिखीं। बहुत ओजस्वी वक्ता थे, गायक थे। जब वे गाते थे तो सामने पांच हजार आदमी बैठे हों चाहे दस हजार आदमी बैठे हों, सारे मंत्र-मुग्ध हो जाते थे। ऐसे महान पुरुष के चले जाने से नैतिकता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि उन जैसे महान् सन्त दुनिया में कई शताब्दियों में आते हैं, ऐसे महान सन्त ने जो ज्योति जलाई है, वह ज्योति सदियों तक जलती रहेगी, जलती रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, प्रतिपक्ष के नेता ने और दूसरे नेताओं ने जो उद्गार प्रकट किए हैं उनमें अपने आपको शामिल करता हूं। मैं भी चाहता था कि सारे महान व्यक्तियों के बारे में जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, कुछ कहता लेकिन मैं समझता हूं कि जो शब्द माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, हमारे सदन

(श्री चन्दनमल बैद)

के नेता, ने प्रतिपक्ष के नेता ने और दूसरे नेताओं ने कहे हैं उनके साथ मैं अपने विचार मिलाता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर इस सदन में माननीय सदन के नेता प्रतिपक्ष दल के नेता,अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने भारत रत्न मदर टेरेसा, गणाधिपति श्री तुलसी, उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बीजू पटनायक और इस विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री भैरूलाल भारद्वाज, भैरवलाल कालाबादल, त्रिलोकचन्द जैन, गोविन्द सिंह चूण्डावत, बृजमोहन लाल शर्मा, जनार्दन राय नागर व नाथूलाल करोल और स्वतन्त्रता सेनानी एवं पूर्व सांसद श्री रूपलाल सोमानी, वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता श्री एम. फारूकी, श्रमिक नेता श्री मोहन पूनमिया तथा भारत की स्वतन्त्रता की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर देश एवं प्रदेश के सभी दिवगत स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना व्यक्त की है उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से सम्मिलित करता हूं।

संसार में मानवता, प्रेम और सेवा का सन्देश फैलाने वाली मदर टेरेसा का वास्तविक नाम एग्नेस गोंजा बोजाक्सिऊ था। आपका जन्म अल्बानिया में 27 अगस्त, 1910 को हुआ। आप बचपन से ही अपनी मां के साथ मिशनरियों द्वारा चलाए जाने वाले परोपकारी कार्यों में रुचि लेने लगी थीं।

नोबल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा 18 वर्ष की आयु में भारत आ गई और वर्ष 1929 में सेंट मेरी लोरेंटों कान्वेंट हाई स्कूल में अध्यापन का कार्य शुरू किया। आप वर्ष 1931 में लोरेंटों बहनों की टोली में शामिल होकर 'एग्नेस' से 'टेरेसा' बन गई। वर्ष 1948 तक शिक्षिका और फिर प्राचार्या के रूप में लोरेंटों बहनों के साथ सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने के बाद आपने वर्ष 1950 में 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' की स्थापना की। आप आजीवन उपेक्षित, निराश्रित और दरिद्र लोगों की सेवा के प्रति समर्पित रहीं।

भारत रत्न मदर टेरेसा ने चालीस वर्ष पूर्व कलकत्ता से कुछ दूर टीटागढ़ में कुष्ठ रोगियों के लिए एक अस्पताल की स्थापना की। वर्ष 1980 में आपने मादक द्रव्यों एवं महिला शोषण के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया तथा वर्ष 1985 में एड्स के रोगियों के कल्याण के लिए न्यूयार्क में एक संस्था स्थापित की। निराश्रितों और दीन-दुखियों की सेवा के लिए आपके द्वारा 123 देशों में स्थापित संस्थाएं सभी प्रकार के सामाजिक कल्याण के कार्यों में लगी हुई हैं।

स्नेह, सेवा और ममता की साक्षात् मूर्ति मदर टेरेसा को उनके द्वारा मानव मूल्यों को अक्षुण्ण रखते हुए समर्पित भाव से किए गए सेवा कार्यों के लिए वर्ष 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार तथा वर्ष 1980 में भारत रत्न से विभूषित किया गया। इसके अतिरिक्त आपको पोप जॉन पॉल शांति पुरस्कार, कांग्रेसनल गोल्ड मैडल (यू.एस.ए.) नेहरू पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सहित देश-विदेश के 80 से

(श्री अध्यक्ष)

अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है लेकिन आपका त्याग, सेवा और करुणा इन पुरस्कारों की सीमाओं से परे हैं।

यद्यपि भारत मदर टेरेसा की कर्मस्थली रहा है लेकिन पूरे विश्व में जहां कहीं भी मानवता की पुकार होती, आप वहीं पहुंचकर बिना किसी भेदभाव से सेवा में जुट जाती थीं। सेवा और त्याग में ईश्वर का दर्शन करने वाली मदर टेरेसा का जीवन उनकी इस पंक्ति में चरितार्थ होता है—

"मैं जन्मी अल्बानिया में, नागरिकता ली भारत की, लेकिन हूं पूरे संसार की।" दीन दुखियों की मसीहा मदर टेरेसा दिनांक 5 सितम्बर, 1997 को चिर निद्रा में लीन हो गई।

अणुव्रत अनुशास्ता श्री तुलसीजी का जन्म 20 अक्टूबर, 1914 को नागौर में लाडनूं ग्राम में हुआ। अणुव्रत अनुशास्ता श्री तुलसी मानव धर्म के महान व्याख्याता थे। उनका चिंतन और दृष्टिकोण साम्प्रदायिक संकीर्णता से सर्वथा मुक्त था। उन्हीं के शब्दों में आज से 25 वर्ष पूर्व दिया गया उनका परिचय कि मैं पहले मानव हूं उसके बाद धार्मिक हूं, तत्पश्चात् जैन हूं, तेरापंथ का आचार्य हूं, श्री तुलसी के इस असाम्प्रदायिक और व्यापक दृष्टिकोण ने उन्हें मानवतावादी धर्माचार्य के रूप से प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने धर्म को रूढ़िवाद, अनावश्यक कर्मकांड से बचाकर अध्यात्म और नैतिकता प्रधान बनाने की अपेक्षा की जो जाति वर्ग और सम्प्रदाय से ऊपर उठकर, राष्ट्र में अहिंसा, शांति और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए था।

अणुव्रत अनुशास्ता श्री तुलसी ने 9 जुलाई, 1985 को संत लोंगोवाल को प्रेरित करके समझौते का मार्ग प्रशस्त किया। राजीव–लोंगोवाल के मध्य हुए ऐतिहासिक पंजाब समझौते के मूल में अणुव्रत अनुशास्ता श्री तुलसीजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

अणुव्रत अनुशास्ता श्री तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर, 1914 को लाडनूं में हुआ। वे बचपन से ही प्रतिभा सम्पन्न और तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। 11 वर्ष की छोटी-सी उम्र में ही उन्होंने संसार से विरक्त होकर तेरापंथ संघ के आठवें आचार्य श्री कालूगणी से 1925 में मुनि दीक्षा ग्रहण की। थोड़े समय में ही उन्होंने आत्म साधना का अध्ययन किया। उनकी विशिष्ट योग्यता का आकलन करते हुए कालूगणी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस प्रकार 1936 में केवल 22 वर्ष की उम्र में युवावस्था में सैकड़ों साधु–साध्वियों के साथ देशव्यापी विशाल तेरापंथ संघ के आचार्य बने।

श्री तुलसी ने अनुभव किया कि जनता के नैतिक और चारित्रिक विकास की ओर ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस बुनियाद को मजबूत बनाकर ही इस राष्ट्र को संतुलित किया जा सकता है। देश के विभाजन और आजादी के समय उठे साम्प्रदायिक उन्माद को शांत करने के लिए उन्होंने 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। शांति सद्भावना और जन जन को इस अणुव्रत अभियान से जोड़ने के

(श्री अध्यक्ष)

लिए उन्होंने कच्छ से कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष की लगभग एक लाख से अधिक किलोमीटर की पदयात्राएं कीं।

राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय ऋषि परम्परा के प्रतीक पुरूष श्री तुलसी ने यह सन्देश दिया कि इंसान पहले इंसान, फिर हिन्दू या मुसलमान। एक गरीब की झोंपड़ी से लेकर, राष्ट्रपति भवन तक अणुव्रत की आवाज पहुंचाई और इससे भी आगे अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर इसका स्वर गूंजा। दक्षिण भारत की अपनी पदयात्रा के दौरान 1979 में तमिलनाडु के अन्नामलाई विश्वविद्यालय में हिन्दी विरोधी छात्रों के समक्ष हिन्दी में अपना तेजस्वी भाषण देकर राजभाषा हिन्दी के महत्व को उजागर ही नहीं किया बल्कि हिन्दी विरोधी आग का शमन भी किया।

अणुव्रत के नैतिकतापूर्ण कार्यक्रम को राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे, जयनन्द कुमार आदि अनेक चिन्तनशील व्यक्तियों का सहयोग और समर्थन मिला। इसी दिशा में अणुव्रत शिक्षक संसद् और अणुव्रत छात्र संसद् का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है तथा लाखों अध्यापकों और विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णजी ने अपने ग्रन्थ "लिविंग विथ परपज" में जिन प्रमुख 14 महापुरुषों का जीवतवृत्त प्रस्तुत किया है उनमें तुलसी भी एक थे जो जीवनपर्यन्त देश को सद्भाव तथा राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने के लिए सतत् प्रयत्नशील थे। 1961 में आचार्यकाल के 25 वर्ष सम्पन्न होने पर तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन ने, 1971 में युग प्रधान आचार्य के रूप में वी. वी. गिरी ने, षष्ठिपूर्ति के अवसर पर 1974 में राष्ट्रपति श्री फखरूद्दीन अली अहमद ने और आचार्य काल 50 वर्ष सम्पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह जी ने उन्हें सम्मानित किया।

अणुव्रत अनुशास्ता श्री तुलसी ने और उनके यशस्वी उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षाध्यान के रूप में जन-जन के लिए तनावमुक्त और मानसिक शांति का मार्ग प्रशस्त किया। अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की दिशा में एक अभिनव प्रयोग कर उन्होंने चिन्तनशील वर्ग का ध्यान अहिंसा की ओर आकर्षित किया। उनके नेतृत्व में 1989 में लाडनूं और 1991 में राजसमन्द में अहिंसा प्रशिक्षण पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किये गये। राजसमन्द घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय एकता हेतु किये गये विशेष प्रयासों के लिए अक्टूबर, 1993 में उन्हें इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व 14 जून, 1993 में सारनाथ के तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा वाग्पति डाक्टर विवेत द्वारा विभूषित किया गया।

19 जुलाई, 1995 को अणुव्रत अनुशास्ता श्री तुलसी को हाकिम खां सूरी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। आचार्य तुलसी एक विशिष्ट लेखक एवं साहित्यकार भी थे। आपके हिन्दी, संस्कृत

(श्री अध्यक्ष)

और राजस्थानी में विभिन्न विषाओं पर 70 से अधिक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। उनकी प्रेरणा, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से अनेक साहित्यिक प्रतिभाएं सामने आईं। अणुव्रत अनुशास्ता श्री तुलसी ने देश के किसी भी राजनीतिक दल से अप्रभावित होते हुए निष्पक्ष, तटस्थ भाव से देश की राजनीति को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित किया। सभी धर्मों, वर्गों और जातियों और लोगों को एक मंच पर लाने और देश में साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण बनाने तथा राष्ट्रीय एकीकरण को सुदृढ़ करने में अद्भुत सफलता प्राप्त की।

अगस्त, 1994 में भारत की संसद में अभूतपूर्व गतिरोध उत्पन्न हुआ। उस समय संसद की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। प्रश्न सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का नहीं, राष्ट्र की गरिमा का था। ऐसे समय में अणुव्रत अनुशास्ता श्री तुलसी ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए लोक सभा का गतिरोध समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निःसन्देह राष्ट्र को अवदानों की लम्बी श्रृंखला में अणुव्रत अनुशास्ता का यह एक और अवदान अविस्मरणीय रहेगा।

स्वयं राष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा ने इस मौके पर कहा, "लोक सभा का गतिरोध समाप्त करवाकर अणुव्रत अनुशास्ता श्री तुलसी ने बहुत बड़ा कार्य किया है इसके लिए हम उनके आभारी हैं।"

18 फरवरी, 1994 को अपने जीवन काल में ही आचार्य पद से मुक्त होकर अपने ही यशस्वी उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। निःसन्देह उनका यह त्याग और बलिदान न केवल जैन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक नयी प्रेरणा देता रहेगा।

23 जून, 1997 को उनका महाप्रयाण हो गया। जीवन के अन्तिम समय तक मानव समुदाय के प्रति समर्पित महान सन्त तुलसी गतिशील रहे। आज उनका पार्थिव शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके मानवता के प्रति किये गये कार्य शताब्दियों तक याद किये जाते रहेंगे।

जनता दल के वरिष्ठ नेता श्री बीजू पटनायक का जन्म 5 मार्च, 1918 को उड़ीसा के कटक जिले में हुआ। आपने कटक के रावनशा कॉलेज से बी.एस.सी. तथा एयरोनॉटिक्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया एवं दिल्ली फ्लाइंग क्लब से एयरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग और एयर पायलट का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

श्री बीजू पटनायक वर्ष 1952 से 1967 तक लगातार चार बार उड़ीसा विधान सभा के सदस्य रहने के साथ ही वर्ष 1971 से 1977 तक दो बार पुनः विधायक चुने गये। आप वर्ष 1962 में पहली बार उड़ीसा के मुख्य मंत्री बनाये गये और 5 मार्च, 1990 को दूसरी बार उड़ीसा के मुख्य मंत्री बने। आप 1972 में पहली बार राज्य सभा के सदस्य चुने गये। आप छठी, सातवीं एवं आठवीं लोक सभा में केन्द्रपाड़ा क्षेत्र से सांसद चुने गये तथा छठी लोक सभा के कार्यकाल में आप 1979–80 में केन्द्रीय इस्पात, खान एवं कोयला मंत्री रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री पटनायक ने स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान श्री जयप्रकाश नारायण, डा. राम मनोहर लोहिया आदि नेताओं के साथ भूमिगत आन्दोलन का नेतृत्व किया और वर्ष 1943–45 में बन्दी बनाये गये। आप इण्डोनेशियायी स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा नेपाली लोकतांत्रिक आन्दोलन से भी सम्बद्ध रहे। वर्ष 1953 में इण्डोनेशिया की सरकार ने आपको सम्मानित भी किया।

स्वतन्त्रता सेनानी श्री पटनायक अपने राजनीतिक जीवन में कांग्रेस, उत्कल कांग्रेस, भारतीय लोकदल, जनता पार्टी (एस) और जनता दल से सम्बद्ध रहे। आपने अन्तरराष्ट्रीय कलिंग पुरस्कार की शुरूआत की। उड़ीसा के औद्योगीकरण में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विशेष रुचि रखने वाले श्री पटनायक अपने अध्ययन-काल में फुटबाल, क्रिकेट, हॉकी और एथेलेटिक्स आदि में विश्वविद्यालय की टीमों के कप्तान रहे। अपने दीर्घ सार्वजनिक जीवन में आपने लगभग समूचे विश्व की यात्रा की।

जनता दल के वरिष्ठ नेता श्री बीजू पटनायक का दिनांक 17 अप्रेल, 1997 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक वैद्य श्री भैरूंलाल भारद्वाज का जन्म 11 सितम्बर, 1925 को मानपुर कलां गांव में हुआ। आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज सातवीं एवं आठवीं विधान सभा में जमवारामगढ़ क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे। आठवीं विधान सभा के कार्यकाल में आप वर्ष 1988 से 1990 तक राजस्थान सरकार में पंचायती राज व खादी ग्रामोद्योग मंत्री रहे। आप राष्ट्रीय हाथकरघा विकास निगम के निदेशक व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। वर्ष 1965 से 1977 तक आप पंचायत समिति जमवारामगढ़ के प्रधान रहे।

समाज सेवा में आपकी विशेष अभिरुचि रही। आपका सहकारिता, कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गरीब किसानों व शोषित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए आप सदैव तत्पर रहते थे।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज का दिनांक 22 अगस्त, 1997 को निधन हो गया।

स्वतन्त्रता सेनानी व पूर्व विधायक श्री भैरवलाल कालाबादल का जन्म 9 सितम्बर, 1920 को कोटा जिले के ककोड़ी खेड़ा जागीर सारथल में हुआ। आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री कालाबादल पहली, दूसरी, तीसरी और छठी विधान सभा में खानपुर व अकलेरा क्षेत्रों से विधायक रहे। पहली, दूसरी व तीसरी विधान सभा में आपने कांग्रेस का तथा छठी विधान सभा जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। छठी विधान सभा के कार्यकाल में आप राजस्थान सरकार में आयुर्वेद राज्य मंत्री रहे।

वर्ष 1935 में आप सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुए और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चलाये जा रहे स्वतन्त्रता आंदोलन से जुड़ गये। वर्ष 1941 में आप राजनैतिक अप-

(श्री अध्यक्ष)

राजबंदी के रूप में जेल भी गये । वर्ष 1943 में कंजरों और जरायम पेशा लोगों के सुधार के लिए संगठन बनाया और हाड़ौती प्रजामण्डल के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्ध होकर गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में घूमकर आपने कविता के माध्यम से जन-जागृति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

आदिवासी, वनवासी और पिछड़े वर्गों में व्याप्त रूढ़िवादिता और सामाजिक बुराइयों को दूर करने में भी आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है । जनकवि श्री कालाबादल की अनेक काव्य रचनाएं प्रकाशित हुई हैं जिनमें "गांवों की पुकार", "आजादी की लहर", "सामाजिक सुधार गीत" आदि प्रमुख हैं ।

श्री भैरवलाल कालाबादल का निधन दिनांक 20 अप्रेल, 1997 को हो गया ।

पूर्व मंत्री व राज्य के जाने माने सर्वोदयी नेता श्री त्रिलोकचन्द जैन का जन्म 9 जुलाई, 1927 को भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में हुआ । आपने महाराणा भूपाल कॉलेज, उदयपुर से एम.ए. तथा साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त की । आप वर्ष 1949 से 1951 तक महिला मण्डल हाई स्कूल, उदयपुर के प्रधानाध्यापक रहे ।

छठी विधान सभा के लिए आप वर्ष 1977 में जहाजपुर से जनता पार्टी के विधायक चुने गये और राजस्थान सरकार में उद्योग, सहकारिता, आयोजना, खादी ग्रामोद्योग तथा स्वास्थ्य मंत्री बनाये गये । अन्त्योदय योजना के निर्माण और उसकी क्रियान्विति में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा ।

आप विद्यार्थी काल में ही राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़ गये थे । वर्ष 1952 में गांधीवादी नेता श्री सिद्धराज ढड्ढा के निर्देशन में स्थापित गांधी अध्ययन केन्द्र के आप 3 वर्ष तक निदेशक रहे । आप वर्ष 1954 से 1959 तक राजस्थान समग्र सेवा संघ के सचिव भी रहे । आपने वर्ष 1959 में विनोबा की राजस्थान पदयात्रा के संचालन की बागडोर सम्भाली । आपातकाल में आप मीसा के तहत 9 माह जेल में रहे । वर्ष 1965 में प्रौढ़ शिक्षा पर डेनमार्क में यूनेस्को द्वारा आयोजित अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया । आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में भी विशेष योगदान रहा । आपने "ग्रामराज" साप्ताहिक का सम्पादन किया ।

गांधीवादी सर्वोदयी नेता श्री त्रिलोकचन्द जैन का निधन दिनांक 25 मार्च, 1997 को हो गया ।

पूर्व विधायक श्री गोविन्द सिंह चूण्डावत का जन्म 2 जनवरी, 1917 को हुआ । आपने मेयो कॉलेज, अजमेर से शिक्षा प्राप्त की ।

श्री चूण्डावत तीसरी राजस्थान विधान सभा (1962–67) के लिए कुम्भलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से स्वतन्त्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए । समाज सेवा में आपकी विशेष रुचि रही । आप पंचायत समिति आमेट के उप प्रधान रहे तथा जनसंघ और उसकी क्रीडा शाखा से भी जुड़े रहे । राजनैतिक वाद-विवाद के अलावा कृषि, उद्योग और मुर्गीपालन के प्रति भी आपका रुझान रहा ।

(श्री अध्यक्ष)

श्री गोविन्द सिंह चूण्डावत का निधन दिनांक 30 अप्रेल, 1997 को हो गया।

स्वतन्त्रता सेनानी श्री बृजमोहन लाल शर्मा का जन्म 7 नवम्बर, 1912 को ब्यावर में हुआ। आपने महाराजा कॉलेज, जयपुर से बी.ए. तथा आगरा कॉलेज से एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं। अध्ययन के बाद आपने वकालात को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाया, लेकिन श्रमिक नेता व मजदूरों के हितैषी होने के कारण आप राजनीति में भी सक्रिय रहे।

श्री शर्मा दूसरी विधान सभा के लिए वर्ष 1957 में हुए आम चुनावों में ब्यावर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गये। इससे पूर्व आप 1952 में ब्यावर से ही तत्कालीन अजमेर विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा अजमेर राज्य में राजस्व, शिक्षा, श्रम, विधि, परिवहन, खान एवं स्वायत्त शासन विभागों के मंत्री बनाये गये। नवम्बर, 1956 को अजमेर का राजस्थान में विलय होने पर आप राजस्थान सरकार में भी श्रम मंत्री नियुक्त किये गये।

श्री बृजमोहन लाल शर्मा स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय रहे और वर्ष 1942 के "भारत छोड़ो" आन्दोलन में भाग लेकर जेल भी गये। आप प्रारम्भ से ही कांग्रेस से जुड़े रहे और वर्ष 1945 से 1952 तक नगर कांग्रेस कमेटी, ब्यावर के अध्यक्ष रहे। आप वर्ष 1957 से 1962 एवं 1965 से 1967 तक राजस्थान मजदूर कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे।

सेवाभावी प्रवृत्ति के श्री शर्मा मजदूरों, किसानों और हरिजनों के उत्थान के लिए सतत् प्रयत्नशील रहे। वर्ष 1972 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आपको राष्ट्र सेवा के लिए ताम्र-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया था।

वयोवृद्ध सेनानी स्वतन्त्रता श्री बृजमोहन लाल शर्मा का दिनांक 29 मार्च, 1997 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक और साहित्यकार श्री जनार्दन राय नागर का जन्म 16 जुलाई, 1911 को उदयपुर में हुआ। आपने महाराणा भूपाल कॉलेज, उदयपुर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा हिन्दी साहित्य सम्मेन, प्रयाग से एम.ए., एलएल.बी., साहित्यरत्न और विद्यालंकार आदि उपाधियां प्राप्त की।

श्री नागर दूसरी विधान सभा (1957-62) के लिए उदयपुर के मावली क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक चुने गये। आप वर्षों तक उदयपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष तथा प्रदेश कांग्रेस के सदस्य रहे। आपने मेवाड़ की अशिक्षा को दूर करने के लिए गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में घूमकर समाज शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा का अलख जगाया। वर्ष 1937 में आपने हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना कर उसकी रात्रिकालीन कक्षाओं में अध्ययन भी किया। बाद में यह संस्थान राजस्थान विद्यापीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ।

राजस्थान विश्व विद्यापीठ, राजस्थान हिन्दी सम्मेलन, अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पदाधिकारी रहे श्री

(श्री अध्यक्ष)

नागर साहित्य की सभी प्रमुख विधाओं पर साधिकार लिखते थे। वर्ष 1957 में राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना होने पर श्री नागर इसके प्रथम अध्यक्ष मनोनीत किये गये और लम्बे समय तक इस पद पर रहे।

वर्ष 1988 में श्री नागर को साहित्य जगत् की सर्वोच्च उपाधि "साहित्यवाचस्पति" से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व श्री नागर को राजस्थान साहित्य अकादमी ने अपने सर्वोच्च सम्मान "साहित्य मनीषी" से तथा महाराणा मेवाड़ फाउण्डेशन ने 'हरित ऋषि' पुरस्कार से सम्मानित किया।

साहित्यकार श्री जनार्दन राय नागर का दिनांक 16 अगस्त, 1997 को निधन हो गया।

स्वतन्त्रता सेनानी और पूर्व विधायक श्री नाथूलाल करोल का जन्म 18 दिसम्बर, 1918 को गांव चक करौल, सांगानेर में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

दूसरी, तीसरी एवं चौथी विधान सभा में आपने क्रमशः लालसोट, चाकसू और जमवारामगढ़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरन्तर सक्रिय रहे। काश्तकारी में रुचि रखने वाले श्री करोल की स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु भी आप सतत् प्रयत्नशील रहे।

श्री नाथूलाल करोल का निधन दिनांक 5 सितम्बर, 1997 को हो गया।

स्वतन्त्रता सेनानी एवं पूर्व सांसद श्री रूपलाल सोमानी का जन्म 13 नवम्बर, 1917 को भीलवाड़ा में हुआ। आपने शिक्षाविद् की उपाधि प्राप्त की।

गांधीवादी विचारधारा के समर्थक श्री सोमानी वर्ष 1938 से 1952 तक कांग्रेस से सम्बद्ध रहे, तत्पश्चात् सर्वोदय आन्दोलन में शामिल होने के बाद मेवाड़ प्रजामण्डल की गतिविधियों में सक्रिय रहे। प्रजामण्डल पर प्रतिबन्ध लगाने के विरुद्ध हुए सत्याग्रह में भाग लेने पर आपको वर्ष 1935 में कठोर कैद की सजा भुगतनी पड़ी। वर्ष 1942 के "भारत छोड़ो" आन्दोलन में भाग लेने पर आप 11 महीने हिरासत में रहे। आपने वर्ष 1976 में आपातकाल के विरुद्ध सत्याग्रह किया और 6 माह जेल में रहे।

श्री सोमानी वर्ष 1977 में भीलवाड़ा से छठी लोक सभा के लिए सांसद चुने गये। साहित्य, दर्शन, धर्म, नीतिशास्त्र और राजनीति में विशेष रुचि रखने वाले श्री सोमानी अनेक सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक संगठनों से भी जुड़े रहे।

श्री रूपलाल सोमानी का निधन 30 अगस्त, 1997 को हो गया।

वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता श्री मुकीमुद्दीन फारुकी का जन्म सन् 1920 में उत्तरप्रदेश के सहारनपुर जिले के अम्बेठा कस्बे में हुआ। दस वर्ष की उम्र में ही आप अध्ययन के लिए दिल्ली आ गये। आपने इतिहास

(श्री अध्यक्ष)

में एम.ए. की उपाधि प्राप्त करने के बाद कानून की शिक्षा भी प्राप्त की।

श्री फारूकी अपने अध्ययनकाल में छात्र राजनीति में सक्रिय हुए और वर्ष 1941 में आल इण्डिया स्टूडेंट्स फैडरेशन के महासचिव बने और स्वतन्त्रता संग्राम में शामिल हो गये। वर्ष 1940 में आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गये और 25 वर्ष तक लगातार पार्टी के सचिव रहे। आप वर्ष 1972 में पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य चुने गये तथा वर्ष 1981 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय सचिवालय के सदस्य बनाये गये।

स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा श्री फारूकी को तीन बार जेल भेजा गया। वर्ष 1942 के "भारत छोड़ो" आन्दोलन में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गिरफ्तार किये गये। स्वतन्त्रता संग्राम में उल्लेखनीय योगदान के फलस्वरूप सरकार द्वारा श्री फारूकी को ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया।

श्री एम. फारूकी का दिनांक 3 सितम्बर, 1997 को निधन हो गया।

राजस्थान में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता श्री मोहन पूनमिया का जन्म पाली जिले में मार्च, 1928 में हुआ। आपने बम्बई रूईया कॉलेज से बी.एससी. तथा विल्सन कॉलेज से एम.एससी. की उपाधि प्राप्त की। अध्ययनकाल में आप स्टूडेन्ट फैडरेशन के सचिव रहे।

श्रमिक नेता श्री पूनमिया वर्ष 1949 में सामाजिक विषमता और आर्थिक शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से साम्यवादी दल के सदस्य बने। प्रारम्भ में आपने बम्बई में विभिन्न श्रमिक संगठनों में रहकर मजदूरों और श्रमिकों के हितों के लिए काम किया। आपने वर्ष 1970 में राजस्थान में सैण्ट्रल इण्डियन ट्रेड यूनियन (सीटू) की स्थापना की। श्री पूनमिया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक शीर्ष नेताओं में से एक थे। आप वर्ष 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया के राज्य सचिव तथा पार्टी के केन्द्रीय समिति के सदस्य बनाये गये। साथ ही आप सीटू के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे।

श्री पूनमिया ने वर्ष 1985 में राष्ट्रीय स्तर की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। मजदूरों के हितों के लिए निरन्तर संघर्षरत रहे श्री पूनमिया विभिन्न आन्दोलनों के दौरान नौ वर्ष तक जेल में रहे। आप वर्ष 1964 में ट्रेड यूनियन आन्दोलन तथा 1975 में आपातकाल में भी जेल में नजर बन्द रहे।

श्रमिक नेता श्री मोहन पूनमिया का निधन दिनांक 4 जुलाई, 1997 को हो गया।

मैं दिवंगत सभी व्यक्तियों और उन सभी दिवंगत स्वतन्त्रता सेनानियों को, जिनका जाने और अनजाने में नाम रह गया है, उनको अपनी ओर से तथा इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना

(श्री अध्यक्ष)

करता हूं कि उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तत्पश्चात् सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 9 सितम्बर, 1997 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 13.59 बजे मंगलवार; 9 सितम्बर, 1997 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 5 की सूचना)

जिलों में सरपंचों के रिक्त पदों की स्थिति

क. सं.	नाम जिला	रिक्त पदों की संख्या
1.	अजमेर	3
2.	अलवर	5
3.	बारां	15
4.	बांसवाड़	5
5.	बाड़मेर	4
6.	भरतपुर	6
7.	भीलवाड़ा	4
8.	बीकानेर	2
9.	बून्दी	6
10.	चित्तौड़गढ़	14
11.	चूरू	3
12.	दौसा	16
13.	धौलपुर	—
14.	डूंगरपुर	3
15.	गंगानगर	3
16.	हनुमानगढ़	4
17.	जयपुर	11
18.	जैसलमेर	1
19.	जालौर	1
20.	झालावाड़	5
21.	झुन्झुनूं	2
22.	जोधपुर	3
23.	कोटा	3

1	2	3
24.	नागौर	16
25.	पाली	6
26.	राजसमंद	2
27.	सवाईमाधोपुर	9
28.	सीकर	3
29.	सिरोही	5
30.	टोंक	—
31.	उदयपुर	14
32.	करौली	4
	योगः–	172

पंचायत समितियों में प्रधानों के रिक्त पदों की स्थिति :—

क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति	कब से रिक्त है
1.	श्री गंगानगर	रायसिंहनगर	22. 5. 96
2.	दौसा	1. दौसा	18. 2. 97
		2. महुआ	5. 7. 97
3.	जोधपुर	बिलाड़ा	26. 7. 97
4.	सवाईमाधोपुर	खण्डार	18. 6. 97
5.	जयपुर	1. बस्सी	5. 5. 97
		2. झोटवाड़ा	21. 6. 97
6.	भरतपुर	1. नगर	14. 4. 97
		2. कांमा	13 6. 97
7.	अजमेर	मसूदा	8. 7 95
8.	बाड़मेर	बालोतरा	—
9.	अलवर	बान्सूर	—

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

सम्पत्ति हस्तान्तरण/बेचान पर मुद्रांक शुल्क

6. श्री खंगार सिंह (खारची) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में अचल सम्पत्ति के हस्ताक्षर/बेचान के अभिलेख के लिये मुद्राक शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) सरकार द्वारा बाजार दर तय करने के क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

(3) सम्पत्ति/भूमि की बाजार दर तय कौन करता है और वर्तमान दरें किस वर्ष में तय की गई थी ?

(4) जिला पाली में कृषि, आवासीय एवं व्यावसायिक भूमि की बाजार दर पंजीयन के प्रयोजनार्थ वर्ष 1990 से जुलाई, 1997 तक कब-कब व कितनी तय की गई ? क्या उक्त वृद्धि पूरे पाली जिले में एक ही दर से की गई अथवा अलग-अलग दर से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की द्वितीय अनुसूचि के आर्टिकल 23 के अनुसार अचल सम्पत्ति के कन्वेन्स दस्तावेजों पर मुद्रांक कर दस्तावेज निष्पादन की तिथि के सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर देय है। यह प्रावधान दिनांक 3 जून 1982 से लागू है।

(2) अचल सम्पत्ति की बाजार दर का निर्धारण राजस्थान मुद्रांक नियमावली 1955 के नियम 59 "बी" के अनुसार इण्डेक्स-2 में अंकित अधिकतम दर जिला कमेटी द्वारा अनुमोदित दर एवं पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा अनुमोदित दर इनमें से जो भी दर अधिक हो, के अनुसार भूमि का मूल्यांकन किया जाता है तथा निर्माण मालीयत की गणना सा. नि वि. द्वारा विभाग को उपलब्ध करवायी गई दरों के अनुसार की जाती है।

(3) भूमि की बाजार दर सामान्यतया जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की जाती है जिला स्तरीय समिति द्वारा हर तीन माह में एक बार मीटिंग का आयोजन कर दरें तय करने का प्रावधान है। तथा निर्मित सम्पत्ति की निर्माण मालीयत का मूल्यांकन सा. नि. वि. द्वारा उपलब्ध कराई गई दरों के आधार पर किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा दरें अनुमोदित की जाती हैं। प्रत्येक जिले के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा अलग-अलग तिथियों में दरें तय की जाती हैं। जिलेवार तय की गई वर्तमान में लागू दरों की तिथियों की सूचना परिशिष्ट-1 में दी गई हैं।

(उप मुख्य (वित्त) मंत्री)

(4) पाली जिले की कृषि, आवासीय एवं व्यावसायिक भूमि की बाजार दरों की वर्षवार सूचना निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

क्र.सं.	वर्ष	निर्धारित तिथि
1.	1990	19. 6. 90
2.	1991	8. 8. 91
3.	1992	10. 4. 92
4.	1993	25. 1. 93
5.	1994	11. 7. 94
6.	1995	19. 10. 95
7.	1996	23. 8. 96
8.	1997	26. 7. 97

सम्पूर्ण पाली जिले में मूल निर्धारण एवं समय-समय पर की गई वृद्धि एक ही दर से न की जाकर सम्पत्तियों के मौके की स्थिति, पंजीयन दस्तावेजों से बढ़कर प्राप्त हुई दर, जिला स्तरीय कमेटी के सदस्य एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधियों की अनुशंसा के आधार पर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न दरें निर्धारित कर अनुमोदित की गई है।

उक्त आठ वर्षों के दौरान दरें तय करने सम्बन्धी विवरण का आकार काफी वृहद होने से एक प्रति सदन के पटल पर पर माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

परिशिष्ट–1

राजस्थान राज्य में भूमि एवं सम्पत्तियों की दरों के निर्धारण हेतु आयोजित होने वाली जिला स्तरीय समिति की बैठकों का जिलेवार विवरण :—

क्र. सं.	जिले का नाम	पिछली बैठक की तिथि जिसमें वर्तमान दरें निर्धारित की गई थी।
1.	अजमेर	3. 9. 96
2.	अलवर	9. 6. 97 16. 6. 97 व 30. 6. 97
3.	बांसवाड़ा	7. 8. 97
4.	बाड़मेर	28. 6. 97
5.	भरतपुर	15. 3. 97
6.	भीलवाड़ा	13. 5. 97
7.	बीकानेर	21. 6. 97
8.	बून्दी	5. 12. 96
9.	चित्तौड़गढ़	17. 5. 97
10.	चूरू	20. 6. 96

1	2	3
11.	डूंगरपुर	12. 8. 97
12.	दौसा	24. 5. 97
13.	श्रीगंगानगर	20. 5. 97
14.	हनुमानगढ़	26. 7. 97
15.	जयपुर	11. 6. 97
16.	जैसलमेर	13. 5. 97
17.	झालावाड़	12. 5. 97
18.	जालौर	15. 5. 97
19.	धौलपुर	21. 6. 97
20.	जोधपुर	27. 6. 97
21.	झुन्झुनूं	31. 5. 97
22.	कोटा	23. 6. 97
23.	बारां	15. 2. 97
24.	नागौर	21. 6. 97
25.	पाली	26. 7. 97
26.	सवाईमाधोपुर	17. 5. 97
27.	सीकर	15. 3. 97
28,	सिरोही	23. 5. 97
29.	टोंक	11. 7. 97
30.	राजसमन्द	25. 7. 97
31.	उदयपुर	21. 8. 97

अतिरिक्त महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
अजमेर

(94)

पांचना बांध (करौली) की डूब के विस्थापित

7. श्री हंसराम गुर्जर (करौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला करौली में पांचना सिंचाई परियोजना का बांध बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त बांध के भरने पर करौली शहर के ढोलीखाल के करीब 300 घर बांध भरने के कारण डूब में आते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घरों के निवासियों को कहीं अन्यत्र बसाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी, हां । जिला करौली में पांचना सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है । पांचना बांध के पूर्ण भराव की स्थिति से ढोलीखाल क्षेत्र के 219 मकान आदि प्रभावित होंगे । बांध की डूब से प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर स्थापित करने का विषय विचाराधीन है । अतः सुरक्षित स्थान का चयन जिला प्रशासन, करौली, प्रभावित व्यक्तियों एवं विभाग द्वारा विचार-विमर्श के पश्चात् किया जायेगा ।

जिला झुंझुनूं में राशन सामग्री वितरण हेतु डीलर्स की नियुक्ति

8. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1997 के दौरान झुंझुनूं जिले में कुछ स्थानों के लिये राशन सामग्री वितरण हेतु नये डीलर नियुक्त करने हेतु जिला रसद अधिकारी अन्य किसी अधिकारी/कार्यालय द्वारा प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि नये डीलरों के चयन हेतु तहसील स्तर/उपखण्ड अधिकारी स्तर या अन्य किसी स्तर पर राज्य सरकार के आदेश/निर्देशानुसार कमेटियां गठित की गई थीं ?

(3) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिले में इन कमेटियों द्वारा सर्वसम्मत निर्णयों के विपरीत कई स्थानों पर दूसरे व्यक्तियों को डीलर नियुक्त कर दिया गया है तथा कई मामलों में नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद उनको बदल दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां ।

(3) जी, हां । नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व जिला कलक्टर द्वारा 7 स्थानों पर समिति द्वारा अनुशंषित आवेदकों के नामों में परिवर्तन किया गया है । विवरण सदन की मेज पर रख दिया है ।

चयन कमेटी द्वारा अनुशंषित	जिला कलक्टर द्वारा अनुमोदित
(1) ग्राम पंचायत अलसीसर	
1. श्री रामनिवास मीणा (अ.ज.जा.)	1. श्री रामनिवास मीणा (अ.ज.जा.)
2. श्री सत्यनारायण पुत्र नथमल जांगिड (अन्य पिछड़ा वर्ग)	2. श्री प्रभुदयाल (अ.जा.)
(2) ग्राम पंचायत सिथल	
1. श्री धर्मवीर जाट, उप सरपंच	1. श्रीमती विमलादेवी पत्नी श्यालीराम जाट
(3) नगरपालिका, नवलगढ़ वार्ड नं. 5	
1. श्री श्यामसुन्दर शर्मा (निवासी वार्ड नं. 6)	1. श्री राकेशकुमार पुत्र कान्तीस्वरूप शर्मा (निवासी वार्ड नं. 5)
(4) ग्राम पंचायत टोड़ी बुडिया (ग्राम टोडी)	
1. श्री महावीरप्रसाद मीणा (अ.ज.जा.	1. श्री हरिराम बलाई (अ.जा.)
(5) ग्राम पंचायत छऊ (ग्राम लींवासर)	
1. सुश्री विमला देवी जाट	1. श्री होशियार सिंह (अ.जा.)
(6) ग्राम पंचायत बजावा	
1. श्री रामावतार (अन्य पिछड़ा वर्ग)	1. श्री रघुवीर प्रसाद (अन्य पिछड़ा वर्ग) ((आठवीं पास)
(7) ग्राम पंचायत रामपुरा (ग्राम कायमपुरा के लिए)	
1. श्री मूलचन्द मीणा (अ.ज.जा.) (निवासी ग्राम मरोदा)	1. श्री मुस्ताक खां, अल्पसंख्यक निवासी ग्राम कायमपुरा)

जिला कलक्टर, झुंझुनूं द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलायें आदि वर्गों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्राथमिकता देने के उद्देश्य से तथा जनप्रतिनिधियों को उचित मूल्य दुकानदार नियुक्त न करने के उद्देश्य से परिवर्तन किया गया है ।

96

अकालग्रस्त क्षेत्रों में व्याप्त चारा घोटाला

9. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गत वर्षों में अकालग्रस्त क्षेत्रों में चारा घोटाले के मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से कब-कब कहां-कहां से किस-किस के द्वारा ? पांच लाख रुपये से ऊपर के प्रत्येक मामले का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार द्वारा उपरोक्त मामलों को ध्यान में आने के बाद से अब तक क्या कार्यवाही की गई और अब क्या-क्या कार्यवाही कब तक किस प्रकार की जावेगी ?

(3) इतने लम्बे समय तक इन मामलों की कार्यवाही नहीं किये जाने के लिये कौन जिम्मेवार है एवं सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) संवत् 2052 के अकालग्रस्त क्षेत्रों में चारा वितरण के सम्बन्ध में दलित सेवा संस्थान, उदयपुर के विरुद्ध तीन तहसीलों में अनियमितता पाई गई थी । जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

1. तहसील कोटड़ा	7,53,000/–
2. तहसील सराड़ा	7,39,000/–
3. तहसील खेरवाड़ा	7,70,000/–

(2) अनियमितता प्रकाश में आते ही तत्काल संस्था का भुगतान रोक दिया गया है तथा उसके विरुद्ध पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करा दी गई है । अनियमितता में शामिल पाये गये दोषी गिरदावर, तहसील व पटवारी के खिलाफ निलम्बित कर जांच प्रारम्भ कर दी गई है ।

(3) अनियमितता प्रकाश में आते ही तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है, कार्यवाही में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया गया है ।

राज्य में देशी व अंग्रेजी मदिरा के ठेके

10. श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई): क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1997-98 के लिए देशी व अंग्रेजी शराब के ठेके विभिन्न ठेकेदारों को दिये गये हैं ? यदि हां तो जिलेवार किस-किस ठेकेदार व फर्म को दोनों किस्म की शराब के ठेके दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रत्येक जिले में शराब की दुकानों की संख्या व स्थान निश्चित करके खोलने की स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो टोंक व सवाईमाधोपुर की दुकानों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किन्हीं स्थानों पर दुकानें नहीं खोलने के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उन स्थानों की व उनसे निश्चित की हुई दूरी की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । वर्ष 97-98 के लिये विभिन्न जिलों के देशी व अंग्रेजी शराब के

(उप मुख्य (आबकारी) मंत्री)

ठेके विभिन्न ठेकेदारों को दिये गये हैं। जिले में चार जिन अनुज्ञाधारियों के नाम देशी व अंग्रेजी शराब के ठेके स्वीकृत किये गये हैं उनकी सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जी, हां। यह सही है कि प्रत्येक जिले में शराब की दुकानों की संख्या निश्चित कर निविदाएं आमन्त्रित की गई थी। सम्बन्धित क्षेत्र में अनुज्ञाधारी नियमानुसार स्वीकृति योग्य किसी भी स्थल पर दुकान की अवस्थिति के लिये आवेदन जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर स्थान का अनुमोदन प्राप्त करता है। जिला टोंक में निविदा प्रपत्र के अनुसार देशी मदिरा की 167 तथा मा. नि. वि. म./बीयर की 16 दुकानें स्वीकृत हैं। सवाईमाधोपुर जिले में देशी मदिरा की 146 एव मा.नि.वि.म./बीयर की 21दुकाने निविदा प्रपत्र के अनुसार स्वीकृत हैं। जिन दुकानों की अवस्थिति का जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है उनकी सूची परिशिष्ट–2 पर संलग्न हैं।

(3) राजस्थान आबकारी नियम 75 में उन स्थलों जहां दुकानें स्वीकृत नहीं की जा सकती है, का वर्णन किया गया है। नियम की प्रति परिशिष्ट–3 पर संलग्न है। विशिष्ट परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त द्वारा मदिरा दुकान की अवस्थिति के सम्बन्ध में नियम–75 के अन्तर्गत वर्णित प्रतिबंधित स्थलों में शिथिलता दी जा सकती है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला बून्दी के बांध/एनिकट्स

11. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार बून्दी में नये बांध बनाने की योजना रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ?

(2) मार्च, 1992 से अगस्त, 1997 तक बून्दी जिले में कौन-कौन से नये बांध/एनीकट्स स्वीकृत किये गये तथा प्रत्येक के लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(3) सरकार द्वारा राजाओं के समय के पुराने बांधों की टूट-फूट को ठीक कराने हेतु कितनी राशि आबंटित की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां। बून्दी जिले में गरडदा व चाकन बांधों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

(2) वांच्छित सूचना परिशिष्ट 'अ'' पर उपलब्ध है।

(3) सूचना परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट–''अ''

(क) नये स्वीकृत बांध : स्वीकृत राशि (लाखों में)

क्र.सं.	बांध का नाम	वर्ष 92–93	93–94	94–95	95–96	96–97	97–98
1.	बाक्या का नया गांव	—	—	5.00	32.00	15.00	2.00

1 2	3	4	5	6	7	8
2. मैण्डी	18.00	37.00	39.00	52.00	70.00	7.00
3. सलावलिया	—	—	5.00	40.00	30.00	12.00
4. माखली	—	—	—	45.00	130.00	20.00
(ख) नये स्वीकृत एनीकट						
1. आंव का खेड़ा	1.92	—	—	1.92	—	—
2. फजलपुरा	4.94	—	—	—	—	—
3. लोईचा	4.452	—	—	—	—	—
4. जैथल	4.96	—	—	—	—	—
5 मजनेरी	2.573	—	—	—	—	—
6. गुलखेड़ी	0.50	—	—	4 23	—	—
7. पाकलपुरिया	1.45	—	—	—	—	—
8. गणेशपुरा	4.54	—	—	—	—	—
9. जावरा बांध	2.00	—	—	—	—	—
10. सरोदरा एनीकट	1.20	—	—	—	—	—
11. सूर्या एनीकट	1.00	—	—	—	—	—
12. दरा का नया गांव	5.00	—	—	—	—	—
13. विषधारी	5.00	—	—	—	—	—
14. गुरजनिया	10.00	—	—	—	—	—
15. कुमारी का नाका	10.00	—	—	—	—	—
16. बंसोली बांध	6.00	—	—	—	—	—
17. मंगारा	5.00	—	—	—	—	—
18. मीणों की झोपड़ियां	—	—	—	1.89	—	—
18. लक्ष्मीपुरा	4.25	—	—	—	—	—
20. सथूर नाका एनीकट	—	—	—	3.76	—	—
21. महादेवजी झरनी रामनगर	—	—	—	—	2.46	—
22. केशरिया खाल	—	—	—	—	3.84	—
23. गुजरिया जेडा एनीकट	—	—	—	—	—	9.99

परिशिष्ट–"ब"

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	बांध का नाम	आवंटित राशि वर्ष 1995–96	वर्ष 1996–97	वर्ष 1997–98
1.	**बरघा बांध**	13.47	39.50	5.13 **बाढ़ सुरक्षा के अन्तर्गत**
2.	**सूतड़ा अंक**	—	—	0.25 **आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत**

———

जिला जोधपुर के राशन सामग्री विक्रेताओं को राशन सामग्री का वितरण

12. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)** : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत थोक विक्रेताओं द्वारा राशन सामग्री उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाने के उपरान्त भी मूल्य प्राप्त किया जा सकता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जोधपुर जिले में उचित मूल्य के दुकानदारों द्वारा अग्रिम राशि जमा करवाने के बावजूद सही समय पर राशन सामग्री नहीं मिलती है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

(3) जोधपुर जिले के उचित मूल्य के दुकानदारों को किन-किन थोक विक्रेताओं द्वारा राशन सामग्री दी जाती है और राशि जमा करवानें के कितने दिनों बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को राशन सामग्री जनवरी, 1995 से प्रदाय की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) राशन सामग्री राशि जमा करवाने के बाद भी उचित मूल्य के दुकानदारों को प्रदाय नहीं किये जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत थोक विक्रेताओं द्वारा राशन सामग्री उचित मूल्य दुकानदार के डोर स्टेप तक पहुंचाने तथा राशि उसी समय प्राप्त करने की सामान्यतया व्यवस्था है परन्तु फिर भी यह थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेताओं के आपसी व्यवसायिक सम्बन्धों पर निर्भर है कि वे राशि अग्रिम प्राप्त करते है अथवा सामग्री डोर स्टेप पर पहुंचाने के पश्चात् ।

(2) जी नहीं । दुकानदारों द्वारा राशि जमा कराने के पश्चात् खाद्य निगम से ज्यों–ज्यों गेहूं प्राप्त होता है, थोक विक्रेता द्वारा उचित मूल्य की दुकानदारों को भेज दिया जाता है ।

(3) जोधपुर जिले के उचित मूल्य दुकानदारों को निम्नलिखित थोक विक्रेताओं के माध्यम से राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है :––बिलाड़ा मार्केटिंग सोसायटी, पीपाड़सिटी भोपालगढ़ मार्केटिंग सोसायटी, मथानियां क्रय-विक्रय सहकारी समिति, फलोदी क्रय-विक्रय सहकारी समिति, बालेसर क्रय-विक्रय सहकारी समिति, जोधपुर कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी एवं जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार । राशि अग्रिम जमा करवाने की स्थिति में राशि जमा करवाने के बाद राशन सामग्री उपलब्ध करादी जाती है । जनवरी, 1995 से फरवरी, 97 तक की सूचियां अत्यधिक होने के कारण सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है ।

(4) राशन सामग्री उचित मूल्य के दुकानदारों को उपलब्ध करवाने के बाद राशि प्राप्त करने की सामान्य व्यवस्था है, क्योंकि खाद्यान्न राशन विक्रेता के डोर स्टेप पर उपलब्ध करवाया जाता है, सुविधा एवं आपसी सम्बन्धों के आधार पर राशि अग्रिम रूप से जमा करवाने की भी छूट दी गई है । अतः इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

जिला जोधपुर के प्राथमिक विद्यालय

13. **श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला जोधपुर में सन् 1994-95 से अब तक कितने प्राथमिक विद्यालय खोले गये ? पंचायत समितिवार सूची मय आदेश की प्रतियों के सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार द्वारा खोले गये सभी प्राथमिक विद्यालय चालू कर दिये गये हैं । यदि हां, तो पीपलिया नाड़ा (भोपालगढ़) में आदेश संख्या 95-96/2016 दिनांक 30-10-1995 द्वारा स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय चालू क्यों नहीं किया गया ? अब कब तक इस विद्यालय को चालू कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला जोधपुर में वर्ष 1994-95 से अब तक कुल 106 प्राथमिक विद्यालय खोले गये । सूची संलग्न है ।

(2) जी, नहीं ।

पंचायत समिति, भोपालगढ़ के ग्राम पीपलिया नाड़ा में शाला हेतु भूमि चयन में विवाद उत्पन्न होने के कारण विद्यालय प्रारम्भ नहीं किया गया । तहसीलदार से शाला हेतु भूमि उपलब्ध कराने को लिखा गया है । भूमि उपलब्ध होते ही शाला आरम्भ कर दी जायेगी ।

वर्ष 1994–95 में खोली गई शालायें

आदेश क्रमांक 2458 दिनांक 18-10-94

नाम पंचायत समिति	संख्या
लूणी	4
मण्डोर	1
भोपालगढ़	1
बिलाड़ा	1

आदेश क्रमांक–2435 दिनांक 22-10-94

मण्डोर	1

आदेश क्रमांक–2689 दिनांक 15-11-94

मण्डोर	5
बाप	4

आदेश क्रमांक–2764 दिनांक 24-11-94

शेरगढ़	8
मण्डोर	4
लूणी	2
भोपालगढ़	10
बिलाड़ा	4
औसिया	8
फलोदी	2
बाप	2

आदेश क्रमांक–2827 दिनांक 3-12-94

औसिया	6
लूणी	2

वर्ष 1995–96 में खोली गयी शालायें

आदेश क्रमांक–1455 दिनांक 24-7-95

नाम पंचायत समिति	संख्या
मण्डोर	2
भोपालगढ़	1
बाप	1

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

आदेश क्रमांक–1537/4-8-95

भोपालगढ़	1
बालेसर	1
लूणी	2

आदेश क्रमांक–1604/14-8-95

भोपालगढ़	1
बाप	1
लूणी	2
ओसिया	1

आदेश क्रमांक–1630/26-9-95

ओसिया	2

आदेश क्रमांक–2016/30-10-95

भोपालगढ़	1
शेरगढ़	1
ओसिया	1

आदेश क्रमांक–2106/17-11-95

बाप	1

आदेश क्रमांक–2305/25-12-95

फलोदी	1
मण्डोर	1
बाप	1

आदेश क्रमांक–456/2-3-96

ओसिया	2

आदेश क्रमांक-382/27-2-96

बाप	3

वर्ष 1996–97 में खोली गयी शालायें

आदेश क्रमांक–101/18-1-97

बाप	1

आदेश क्रमांक–325/22-2-97

ओसिया	2
बालेसर	1
मण्डोर	2
लूणी	2
फलोदी	1

आदेश क्रमांक–471/18-3-97

भोपालगढ़	1

आदेश क्रमांक–518/27-3-97

भोपालगढ़	2
ओसिया	2

संविदा कर्मियों से प्राप्त अग्रिम विक्रय कर वापसी प्रकरण

14. **श्री बाबूलाल वर्मा (डग) :** क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि 19-7-1995 को वित्त विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर संविदा कर्मियों से प्राप्त अग्रिम विक्रय कर को लौटाने का अधिकार सम्बन्धित वाणिज्य कर अधिकारियों से लेकर जोन वाइज अधिकारी नियुक्त कर, उनको दिये है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वित्त विभाग से इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की थी कि उक्त अधिसूचना की जानकारी सम्बन्धित वाणिज्य कर अधिकारियों को 19-7-1995 को ही हो जाये ? यदि हां, तो क्या जिन वाणिज्य कर अधिकारियों ने अधिसूचना की जानकारी के अभाव में पुनं-

(श्री बाबूलाल वर्मा)

भुगतान आदेश जारी किये उन्हें विभाग दोषी मानता है ? यदि हां, तो क्यों तथा कितने अधिकारियों ने उक्त आदेश का उल्लंघन कर किस-किस तारीख को पुनः भुगतान आदेश जारी किये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार यह मानती है कि 19-7-95 को जारी आदेश जो डाक से विभिन्न वाणिज्य कर अधिकारियों को भेजा गया था, जयपुर से बाहर 19-7-95 को पहुंच सकता था ?

(4) क्या यह सही है कि आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग ने केवल 19-7-95 को जिन अधिकारियों ने रिफण्ड आर्डर जारी किये उनके खिलाफ कार्यवाही के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे हैं और जिन्होंने 20-7-95 से अगले तीन माह तक आदेश जारी किये उन अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने के कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं भेजे ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे भेदभावपूर्ण और दोषी अधिकारियों को बचाने के लिये किया जा रहा प्रयास मानती है ? यदि हां, तो ऐसे भेदभावपूर्ण प्रस्ताव भेजने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। अधिकारिता सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 19-7-95 वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रचलित की गई थी।

(2) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दिनांक 10-7-95 को जारी एक परिपत्र द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रस्तावित नए संकर्म संविदा एवं पट्टा कर के वृत्तों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दे दी गई थी।

अतः अधिसूचना जारी होने के बाद जिन अधिकारियों के द्वारा उक्त अधिसूचना का उल्लंघन कर रिफण्ड आदेश प्रचलित किये गये हैं विभाग उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी मानता है एवं उनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित है।

इनमें से किस अधिकारी को प्रश्नागत रिफण्ड आदेश जारी करने से पूर्व अधिसूचना की जानकारी नहीं थी यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करेगा और यह जांच का विषय है।

जिन अधिकारियों के द्वारा उक्त अधिसूचना का उल्लंघन कर रिफण्ड आदेश प्रचलित किये गये हैं उनका विवरण संलग्न कर प्रस्तुत है।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं।

(109)

दिनांक 19-7-95 से बिना क्षेत्राधिकारी वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट के कर निर्धारण एवं रिफण्ड सम्बन्धी एकजाई सूची

क्रम संख्या	जोन का नाम	नाम अधिकारी	पद	ठेकेदारों की संख्या	कर निर्धारण/ रिफण्ड की संख्या	राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अलवर	श्री एस.एल. वर्मा	स.वा.क.अ. द्वितीय वृत्त ए, अलवर	5	10	0 87
2.	अलवर	श्री वी. के. मीणा	स.वा.क.अ. द्वितीय वृत्त ए, अलवर	1	1	0,15
3.	अजमेर	श्री मुंशीलाल शर्मा	सा.वा.क.अ. प्रथम वृत्त बी, अजमेर	1	1	*0.16
4.	अजमेर	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	वा.क.अ. नागौर	1	2	0.34
5.	अजमेर	श्री ए. के. चौधरी	स.वा.क.अ. घट तृतीय वृत्त, टोंक	2	4	**1.87
	अजमेर	श्री ए. के. चौधरी	स वा.क.अ. घट द्वितीय, वृत्त, ब्यावर	1	1	0.00
6.	अजमेर	श्री विनोदकुमार शर्मा	स.वा.क.अ. घट प्रथम, वृत्त, नागौर	2	3	0.54
7.	बीकानेर	श्री वीरभान मीणा	वा.क.अ. वृत्त बी, बीकानेर	4	7	5.79
8.	बीकानेर	श्री राजाराम	वा.क.अ. वृत्त, चूरू	55	108	25.99
9.	बीकानेर	श्री महेशचन्द्र गोवला	स.वा.क.अ. प्रथम चूरू	16	21	1.33
10.	बीकानेर	श्री इन्द्रसिंह शेखावत	स.वा.क.अ. रतनगढ़ चूरू	23	35	2.80
11.	बीकानेर	श्री वी. एम. आर्य	वा.क.अ. वृत्त, झुन्झुनूं	1	1	2.06
12.	बीकानेर	श्री रामकुमार सिंह	स.वा.क.अ. घट प्रथम, वृत्त झुन्झुनूं	20	22	3.72
13.	बीकानेर	श्री चेतराम जाटव	स.वा.क.अ. घट द्वितीय, वृत्त झुन्झुनूं	6	9	0.54

1	2	3	4	5	6	7
14.	जयपुर-2	श्री जी. सी. जैन	वा.क.अ. गंगापुरसिटी	54	89	19.72
15.	कोटा	श्री के.एल. परमार	स.वा.क.अ. घट द्वितीय, वृत्त ए, कोटा	9	8	3.82
16.	कोटा	श्री जे. पी. मीणा	स.वा.क.अ. घट चतुर्थ, वृत्त ए, कोटा	20	67	5.00
17.	कोटा	श्री रामस्वरूप ग्वालेरा	स.वा.क.अ. घट द्वितीय, वृत्त बूंदी	6	10	0.71
18.	भीलवाड़ा	श्री चतरसिंह चूड़ावत	स.वा.क.अ. घट चित्तौड़गढ़	5	6	1 62
19.	भीलवाड़ा	श्री किशोरसिंह झाला	स.वा.क.अ. घट चित्तौड़गढ़	3	4	0.51
20.	भीलवाड़ा	श्री पी. के. सईनाल	स.वा.क.अ. घट चित्तौड़गढ़	1	2	0.08
21.	भीलवाड़ा	श्री रजनीकान्त आदित्य	स.वा.क.अ, घट द्वितीय, वृत्त ए, भीलवाड़ा	1	2	0.05
22.	श्रीगंगानगर	श्री भीमसिंह	वा.क.अ., सूरतगढ़	54	84	19.38
23.	श्रीगंगानगर	श्री गोविन्दराम गोदरा	स.वा.क.अ. घट द्वितीय, श्रीविजयनगर	3	3	0.23
24.	श्रीगंगानगर	श्री मुस्ताक अली	वा.क.अ. रायसिंहनगर	3	4	1.00
25.	श्रीगंगानगर	श्री राजेन्द्रसिंह	स.वा.क.अ. रायसिंहनगर	5	9	1.20
26.	जोधपुर	श्री सुखराम सिघादिया	स.वा.क.अ. घट तृतीय, वृत्त ब, जोधपुर	1	2	0.07
27.	जोधपुर	श्री लक्ष्मण सिंह चौधरी	स.वा.क.अ. घट द्वितीय वृत्त ब, जोधपुर	3	3	0.34
28.	जोधपुर	श्री मेघराज जैन	सहायक आयुक्त, वृत्त ब, जोधपुर	1	1	0.05
29.	पाली	श्री पी.एल. गुप्ता	सहायक आयुक्त, वृत्त, सिरोही	1	2	0.14

1	2	3	4	5	6	7
30.	पाली	श्री हीरालाल खण्डेलवाल	स.वा.क.अ. सिरोही	6	9	1.59
31.	पाली	श्री शिवदत्त चारण	स.वा.क.अ. पाली	1	1	0.10
32.	पाली	श्री ओ.एस. आसिया	स.वा.क.अ. पाली	3	7	0.49
			योग	318	588	102.86

* ठेकेदार द्वारा राशि वापस जमा करवा दी गई है।
रुपये 1.40 लाख का रिफण्ड जारी नहीं हुआ है।

जिला अलवर के अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांध

15. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला अलवर में वर्ष 1995 एवं 1996 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त बांधों की सूची सदन की मेज पर रखें। इन बांधों की मरम्मत के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त बांधों की मरम्मत पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? बांधवार विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि तहसील रामगढ़ (जिला अलवर) में कंसखाल नाले एवं अलावड़ा चैनल की आवश्यक मरम्मत के लिए मौके पर निरीक्षण के समय माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि उपरोक्त कार्यों का प्रस्ताव मय तखमीने के स्वीकृति के लिए जयपुर भिजवाया जाये ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा कंसखाल एवं अलावड़ा चैनल पर कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला अलवर में वर्ष 1995 एवं 1996 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त बांधों की सूची एवं इन बांधों की मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि का विवरण क्रमशः परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त बांधों की मरम्मत पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर उपलब्ध है।

(सिंचाई मंत्री)

(3) जी, हां । तहसील रामगढ़ (जिला अलवर) में कंसखाल एवं अलावड़ा चैनल की मरम्मत हेतु प्रस्ताव मय तखमीने के स्वीकृति हेतु भेजे गये एवं प्रशासनिक स्वीकृति, राशि क्रमशः 25.00 लाख एवं 25.00 लाख की दिनांक 27-1-97 को जारी की जा चुकी है ।

(4) अलावड़ा चैनल व कंसखाल के कार्य वर्षा ऋतु के उपरान्त पुनः प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित है ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में सस्ते अनाज का वितरण

16. **श्री भंवरसिंह डांगावास** (मेड़ता): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में सस्ते अनाज की दुकानों से प्रति परिवार कार्ड प्रतिमाह कितना–कितना गेहूं दिया जा रहा है ?

(2) क्या परिवार के सदस्यों की संख्या में कमी-बेशी का कोई अन्तर है ।

(3) राज्य की सस्ते अनाज की दुकानों से गेहूं किस-किस दर पर दिया जाता है ?

(4) क्या जिस मात्रा में सस्ता अनाज दुकानों से दिया जा रहा है, उसे सरकार पर्याप्त मानती है ? यदि नहीं, तो पर्याप्त मात्रा में सस्ता अनाज प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गये ?

(5) सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से ऊपर की जनसंख्या के लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था की गयी ?

उत्तर

(1) राज्य में उचित मूल्य की दुकानों से नई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को प्रति परिवार कार्ड प्रति माह 10 कि. ग्रा. गेहूं रियायती दर पर तथा गरीबी की रेखा से ऊपर रह रहे परिवारों को भी 10 कि. ग्रा. गेहूं प्रति परिवार कार्ड प्रति माह सामान्य दर पर वितरण करवाया जा रहा है ।

(2) जी, नहीं । नई लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के अन्तर्गत परिवार के सदस्यों की संख्या में कमी बेशी का कोई अन्तर नहीं है । वितरण का स्केल 10 कि. ग्रा. प्रति परिवार कार्ड निश्चित है ।

(3) राज्य में नई योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे चिन्हित परिवारों को 3.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से एवं गरीबी की रेखा से ऊपर रह रहे परिवारों को 5.10 रुपये प्रति कि. ग्रा. की दर से गेहूं दिया जाता है ।

(4) जी, नहीं । नई योजना के अन्तर्गत दिया जा रहा खाद्यान्न पर्याप्त नहीं है इसलिये राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को बार बार मात्रा बढ़ाने के लिये अनुरोध किया जा रहा है ।

(5) सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से ऊपर की जनसंख्या के लोगों को प्रति परिवार 10 कि.ग्रा. गेहूं सामान्य दर पर वितरित करवाये जाने की व्यवस्था की गई है ।

पंचायत मुख्यालय खाजूवाला एवं पूगल में बालिका विद्यालय

17. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय खाजूवाला एवं पूगल में बालिका शिक्षा हेतु अलग से प्राथमिक शाला नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त दोनों पंचायत मुख्यालयों की वर्तमान जनसंख्या क्रमशः 35 हजार व 20 हजार है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त दोनों स्थानों पर छात्रों के लिये उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शालाएं हैं लेकिन बालिकाओं के लिए अलग से उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शालाएं नहीं हैं जबकि जनता की ओर से उक्त संस्थाओं की स्वीकृति हेतु प्रबल मांग है।

(4) क्या सरकार उक्त स्थानों पर तत्काल प्राथमिक शाला की स्वीकृति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम खाजूवाला एवं पूगल में जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) द्वारा प्राथमिक विद्यालय चलाया जा रहा है।

(2) वर्ष 1991 की जनगणना में जनसंख्या निम्न है :–

1.	बेरियांवाली खाजूवाला	24737
2.	पूगल	5119

(3) जी, नहीं। ग्राम पूगल में माध्यमिक विद्यालय एवं ग्राम खाजूवाला में उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा विभाग के अधीन चल रहे हैं।

(4) जी, नहीं। बजट प्रावधान एवं वित्तीय संसाधनों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में देशी मदिरा बिक्री हेतु स्वीकृत दुकानें

18. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में देशी मदिरा बिक्री का क्या प्रावधान है ?

(2) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में फ्रेंचाईस बेसिस पर व गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा कितनी दुकानें चलाई जा रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) आबकारी विभाग द्वारा एक समूह से दूसरे समूह के बीच मदिरा दुकान की निर्धारित दूरी कितनी है ?

(4) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति के लोगों को जो फेन्चाईस बेसिस पर दुकानें दी गई थीं उनसे क्या फायदा या नुकसान रहा ?

(5) क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा संचालित व फेन्चाईस बेसिस पर चलाई जा रही दूकानें बन्द कर दी गई हैं? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में देशी मदिरा का विक्रय राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा संचालित दुकानों से अथवा फ्रेन्चाईज आधार पर संचालित दुकानों से किया जा रहा है। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में देशी मदिरा विक्रय के अधिकार किसी भी अनुज्ञाधारी को प्रदान नहीं किये गये हैं।

(2) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा स्वयं के द्वारा 38 दुकानें तथा फ्रेन्चाईज आधार पर 104 दुकानें चलाये जाने का निर्णय लिया गया था (सूची संलग्न) गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा 34 दुकानें चलाई जा रही हैं। फ्रेन्चाइज आधार पर वर्ष 1996–97 में संचालित दुकानों में से 36 के अनुज्ञापत्र नवीनीकृत किये गये थे। इनमें से 16 दुकानें फ्रेन्चाईजी द्वारा चलाई जा रही है। शेष फ्रेन्चाईजी द्वारा लाइसेन्स फीस जमा नहीं कराये जाने से दुकानें नहीं चल रहीं हैं। शेष दुकानों में से 50 दुकानों के अधिकार पत्र गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा जारी किये गये हैं। शेष फ्रेन्चाइज दुकानों के लिये अभ्यार्थियों से आवेदन मांगे गये हैं।

(3) आबकारी विभाग द्वारा एक समूह की सीमा से ढाई किलोमीटर के अन्दर मदिरा दुकान स्वीकृत नहीं करने के निर्देश जारी किये हुए हैं।

(4) आदिवासी क्षेत्र में देशी मदिरा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने हेतु फ्रेन्चाईज आधार पर दुकानें संचालित की जा रही है। इससे आदिवासियों को निर्धारित दर पर अच्छी किस्म की मदिरा उपलब्ध होती है साथ ही उस क्षेत्र के आदिवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं।

(5) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अनुज्ञाधारी द्वारा चलाये जा रहे समूह की सीमा के 20 कि. मी. की दूरी के अन्तर्गत आने वाली गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा तथा फ्रेन्चाईज आधार पर चलाई जा रही दुकानों को गंगानगर शुगर मिल्स के साथ बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार बंद किया गया है किन्तु प्रत्येक जनजाति तहसील में कम से कम एक दुकान राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा संचालित की जावेगी।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा वर्ष 1997–98 में संचालित दुकानों की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	दुकानों की अवस्थिति	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	उदयपुर	1. धारियावाद	संचालित
		2. सलूम्बर	,,

(110)

1	2	3	4
	उदयपुर	3. टीडी	वर्तमान में संचालित नहीं
		4. झाडोल	संचालित
		5. कोटडा	"
		6. खेरवाड़ा	"
		7. नेवातलाई (सराडा)	"
		8. परसाद	"
	चित्तौड़गढ़	9. प्रतापगढ़ प्रथम	"
		10. प्रतापगढ़ द्वितीय	"
		11. अरनोद	"
	बारां	12. भंवरगढ़	"
		13. शाहबाद	"
		14. कस्बाथाना	"
		15. केलवाड़ा	"
		16. समरानिया	"
		17. देवरी	"
	सिरोही	18. गावलगांव	"
	डूंगरपुर	19. डूंगरपुर प्रथम	"
		20. डूंगरपुर द्वितीय	"
		21. डूंगरपुर तृतीय	"
		22. सागवाड़ा प्रथम	"
		23. सागवाड़ा द्वितीय	"
		24. ओवरी	वर्तमान में संचालित नहीं
		25. गलियाकोट	संचालित
		26. सीमलवाड़ा	"
		27. बीछीवाड़ा	"
		28. आसपुर	"
	बांसवाड़ा	29. बांसवाड़ा प्रथम	"
		30. बांसवाड़ा द्वितीय	"

1	2	3	4
	बांसवाड़ा	31. बांसवाड़ा तृतीय	वर्तमान में संचालित नहीं
		32. बांसवाड़ा चतुर्थ	,,
		33. बागीदौरा	संचालित
		34. गढ़ी (परतापुर)	,,
		35. कुशलगढ़	,,
		36. सज्जनगढ़	,,
		37. कलिंजरा	,,
		38. घाटोल	,,

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में फ्रेन्चाईज आधार संचालित
दुकानों की वर्ष 1997-98 की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	दुकान की अवस्थिति	वर्तमान स्थिति	
1	2	3	4	
1.	उदयपुर	1. माण्डवी	वर्ष 1997-98 हेतु अनुज्ञापत्र	नवीनीकरण
		2. सरू	,,	,,
		3. बलिया	,,	,,
		4. भूधर	,,	,,
		5. कागदर भाटिया	,,	,,
		6. पसारो की ओवरी	,,	,,
		7. खारवरचक	,,	,,
		8. सराड़ा	,,	,,
2.	चित्तौड़गढ़	9. रठाजना	,,	,,
		10. मोखमपुरा	,,	,,
		11. सुहागपुरा	,,	,,
		12. कोटड़ी	,,	,,
		13. सालमगढ़	,,	,,

1	2	3	4
3.	डूंगरपुर	14. गामड़ीअहाटा	वर्ष 97–98 हेतु अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण।
		15. सिसोद	,, ,,
		16. चुण्डावाड़ा	,, ,,
		17. दामड़ी	,, ,,
		18. पालदेवल	,, ,,
		19. माण्डवा	,, ,,
		20. चितरी	,, ,,
		21. अम्बाड़ा	,, ,,
		22. बरबोदनिया	,, ,,
		23. जोसावर	,, ,,
		24. बरवा	,, ,,
		25. पाडवा	,, ,,
		26. ठाकरड़ा	,, ,,
		27. जेठाणा	,, ,,
		28. रास्ता	,, ,,
4.	बांसवाड़ा	29. दानपुर	,, ,,
		30. तेजपुर (घोड़ी)	,, ,,
		31. तलवाड़ा	,, ,,
		32. छींच	,, ,,
		33. करजी	,, ,,
		34. सरडीबड़ी	,, ,,
		35. पालोदा	,, ,,
		36. ओडवाड़ा	,, ,,
1.	उदयपुर	37. पारसोला	,, ,,
		38. मूंगाना	,, ,,
		39. खूंता	,, ,,
		40. मंवराणा	,, ,,

1	2	3	4
	उदयपुर	41. बस्सीसर	वर्ष 97–98 हेतु अधिकार पत्र जारी किया।
		42. डगार	,, ,,
		43. जेठाणा	,, ,,
		44. पडूणा	,, ,,
		45. फलासिया	,, ,,
		46. मादड़ी	,, ,,
		47. बागपुरा	,, ,,
		48. नीचलीसंगरी	,, ,,
		49. मामेर	,, ,,
		50. जोगीयार	,, ,,
		51. मांडवा	,, ,,
		52. नयावास	,, ,,
		53. सडा/सारा	,, ,,
		54. सेमारी	,, ,,
		55. चांवड	,, ,,
		56. सलाड़ा	,, ,,
		57. टोकर	,, ,,
		58. मोराई	,, ,,
		59. बलुमा	,, ,,
		60. धनकावाड़ा	,, ,,
		61. ईटाली	,, ,,
		62. जावद	,, ,,
2.	चित्तौड़गढ़	63. थड़ा	,, ,,
		64. जाखम	,, ,,
		65. दलोट	,, ,,
3.	डूंगरपुर	66. थाना	,, ,,
		67. ग्रामक्षरा	,, ,,
		68. बलवाड़ा	,, ,,

(114)

1	2	3	4	
	डूंगरपुर	69. बोखला	वर्ष 97–98 हेतु अधिकार पत्र जारी किया ।	
		70. पालकोलखण्डा	,,	,,
		71. पालबस्सी	,,	,,
		72. संचिया	,,	,,
		73. पालमूथागामड़ा	,,	,,
		74. मिन्डा	,,	,,
		75. खाण्कदा	,,	,,
		76. मालूड़ा	,,	,,
		77. वोडामली	,,	,,
		78. गुवेड	,,	,,
		79. सरोदा	,,	,,
		80. गन्धवा	,,	,,
		81. श्रोतरीपाल	,,	,,
4.	बांसवाड़ा	82. सालिया	,,	,,
		83. बडोदिया	,,	,,
		84. ग्रानंदपुरी	,,	,,
		85. ग्रांजना	,,	,,
		86. बैडवा	,,	,,
1.	उदयपुर	87. डाल	ग्रावेदन पत्र मांगा जा रहा है ।	
		88. जणावदा	,,	,,
		89. मानपुर–ए	,,	,,
		90. ग्रामलिया	,,	,,
		91. बीछीवाड़ा	,,	,,
		92. कोलियारी	,,	,,
		93. नाहरी	,,	,,
		94. सदकड़ी	,,	,,
2.	डूंगरपुर	95. सरथूना	,,	,,
		96. पीठ	,,	,,

1	2	3	4	
	डूंगरपुर	97. मादर	आवेदन पत्र मांगा जा रहा है ।	
		98. दामोता	"	"
		99. डीका	"	"
3.	बांसवाड़ा	100. सामरिया	"	"
		101. मोटीटीब्बी	"	"
		102. नोगांमा	"	"
		103. डडका	"	"
		104. बोरी	"	"

जिला बून्दी की पुलिया/बांध/ एनीकट निर्माण

19. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बून्दी में विभाग द्वारा करवाये जा रहे कार्य सूर्या उर्फ सूरतालाब एनीकट, भावपुरा फीडर, गुलखेड़ी एनीकट, आवका खेड़ा, एनीकट बन्सोली बांध के सबमरजेन्स की पुलिया तथा विषधारी बांध के निर्माण कार्य मौके पर अपूर्ण है ? यदि हां, तो किस तारीख से तथा इनको कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य पूर्ण नहीं होने से इन पर राजकीय राशि व्यय होने के उपरान्त भी क्षेत्र के निवासी लाभान्वित नहीं हो सके हैं ? यदि हां, तो कार्य पूर्ण करवाये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ।

(3) क्या आवका खेड़ा एनीकट की ऊंचाई बढ़ाई जाकर फीडर निर्माण करने के पश्चात् बरसाती पानी दुगारी बांध में डाला जाना संभाव है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है ।

(2) जी, हां । कार्य पूर्ण करवाये जाने सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है ।

(3) जी, नहीं ।

परिशिष्ट–"ब"

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य अपूर्ण रहने की तारीख	कार्य पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही/वर्तमान स्थिति
1.	सूर्या (एनीकट) सुरक्षालाब	जुलाई, 1991	यह कार्य माह मई, 88 (अकाल राहत के अन्तर्गत) में शुरू किया गया इसके पश्चात जे.आर.वाई. के अन्तर्गत माह जून, 91 तक कार्य चला। माह जुलाई 91 से कार्य अपूर्ण पड़ा है। शेष कार्यों को पूरा करने हेतु अधिशासी अभियन्ता के पत्र क्रमांक 193/दि.30.8.97 द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बून्दी को आश्रित रोजगार योजना अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु लिखा गया है। स्वीकृति पश्चात् कार्य पूर्ण करवाया जा सकेगा।
2.	मावपुरा फीडर	जून, 1992	मावपुरा फीडर का कार्य माह अक्टूबर, 90 में अकाल राहत में शुरू करवाया गया था एवं जून 92 से कार्य बंद पड़ा है। फीडर के शेष कार्य राशि रु. 11.87 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति डी.आर.डी.ए. बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक 6–10/दिनांक 6.6.96 को प्राप्त हुई। राशि रुपये 0.92 लाख के कार्य करवाये जा चुके हैं। कार्य प्रगति पर है। जून, 98 तक कार्य पूरा किया जाना प्रस्तावित है।
3.	गुढ़ा बेड़ी एनीकट	जुलाई, 1996	पूर्व में इस एनीकट का कार्य माह अक्टूबर, 90 में जे.आर.वाई (अकाल) के अन्तर्गत करवाया गया था। माह जुलाई, 96 से कार्य डी. आर. डी. ए. बूंदी द्वारा बजट उपलब्ध न कराने

1	2	3	4
			के कारण बंद पड़ा है। शेष कार्यों को पूरा करने के लिए डी. आर. डी. ए. बूंदी द्वारा राशि रुपये 4.23 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र क्रमांक 315-18 दिनांक 11.8.95 को जारी की गई। विभाग द्वारा डी.आर.डी.ए. से प्राप्त राशि से रुपये 1.88 लाख के कार्य करवाये जा चुके हैं। शेष राशि 2.35 लाख प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण करवाया जा सकेगा।
4.	बंशोली बांध के समरजेन्स की पुलिया (गडरिया काजवे)	जुलाई, 1996	डी.आर.डी.ए. बूंदी द्वारा उनके पत्र क्रमांक 173-196 दिनांक 16.6.95 को राशि 2.39 लाख स्वीकृत किये गये। स्वीकृति के विरुद्ध रुपये 1.00 लाख की राशि प्राप्त हुई थी और विभाग द्वारा 1.43 लाख व्यय किये गये थे उसके बाद राशि का आवंटन समय पर न होने से कार्य शुरू नहीं कराया जा सका। अब राशि प्राप्त हो गई है अतः अब वर्षा के पश्चात कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।
5.	विषधारी बांध	जुलाई, 1985	पूर्व में यह कार्य अप्रेल, 82 में अकाल राहत के अन्तर्गत करवाया गया। इसके उपरांत 1985 में आर.एल.ई.जी.पी. के अन्तर्गत करवाया गया और जुलाई 85 से कार्य बंद पड़ा है। इस कार्य को पूर्ण कराने हेतु एक लघु सिंचाई योजना का प्राकलन रुपये 149.40 लाख का बनाया गया परन्तु बी. सी. रेशो निर्धारित मापदण्ड में नहीं होने के कारण योजना स्वीकृति योग्य नहीं पाई गई। इसके

1	2	3	4
			उपरांत प्राक्कलन डी. आर. डी. ए. बूंदी को स्वीकृति हेतु भेजा गया। यदि डी. आर. डी. ए. बूंदी द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है तो कार्य पुनः प्रारम्भ किया जा सकेगा।

जिला भरतपुर के विद्यालय

20. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला भरतपुर में कितने विद्यालय वर्तमान में स्वीकृत एवं संचालित हैं उनमें से कितने नये स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिले में संचालित ज्यादातर विद्यालय भवन मरम्मत योग्य, भवन रहित एवं विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में अपर्याप्त हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालयों हेतु स्वीकृत स्टाफ पर्याप्त संख्या में नहीं है एवं स्वीकृत स्टाफ के विरुद्ध पर्याप्त संख्या में पद–स्थापित भी नहीं है? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक इनकी पूर्ति कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर की 9 पंचायत समितियों में इस विभाग द्वारा 1071 प्राथमिक शालाएं स्वीकृत हैं। सभी शालाएं संचालित हैं।

वर्ष 1997–98 में एक नवीन प्राथमिक विद्यालय पंचायत समिति रूपबास के ग्राम बरोली दाहिना गांव में खोला गया है।

(2) भरतपुर जिले में

(अ) मरम्मत योग्य शाला भवन 188

(ब) भवन रहित 37

(स) विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में अपर्याप्त शाला भवन 165

सूची संलग्न है।

(3) जी, हां। जिले की 9 पंचायत समितियों में सामान्य अध्यापकों के 135 पद एवं श्याम पट्ट योजना के 111 पद रिक्त चल रहे हैं। कुल 246 पद अध्यापकों के रिक्त हैं। ये पद माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण नहीं भरे जा रहे हैं।

सूची मरम्मत योग्य प्राथमिक विद्यालय

(1) पंचायत समिति–कामां

1. प्रा. शा. सतवास
2. ,, दाहृना
3. ,, चानिया कला
4. ,, भोजपुर
5. ,, कनवाड़ी
6. ,, मोरोली
7. ,, मल्लाहृका
8. ,, करमोका
9. ,, गुरोरा
10. ,, मधन
11. ,, खैराबा
12. ,, लिवासना
13. ,, सतपुड़ा
14. ,, जोतगामेती
15. ,, कनवाड़ी
16. ,, समधारा
17. ,, सामदोका
18. ,, कुमरपुरी
19. ,, खेड़ली नानू
20. ,, खेचातान

(2) पंचायत समिति–नगर

1. ,, क. मानोता कला
2. ,, खेड़ली गुर्जर
3. ,, खकावली
4. ,, लहृरवाड़ा
5. ,, भूहापुरगशी
6. ,, नंगला ताला
7. ,, पुतली
8. ,, वजीरखेड़ी
9. ,, झंझार (क)
10. ,, पाली
11. ,, बूचाका

(3) पंचायत समिति–बैर

1. ,, गुढ़ाकर
2. ,, अजरोदा
3. ,, खखेरा
4. ,, रमाशपुर
5. ,, बझेराखुर्द
6. ,, हिसामड़ा
7. ,, बल्लभगढ़ II
8. ,, मंशापुरा
9. ,, कालाहार
10. ,, झालाटाला
11. ,, गाजीपुर
12. ,, महृम्मदपुरा
13. ,, वेवर
14. ,, नया गांव माफी
15. ,, बेरी
16. ,, रामनगर
17. ,, चक खेरली

(4) पंचायत समिति–नदबई

1. ,, कारोमेव
2. ,, वढ़ा
3. ,, गंगवाना
4. ,, बीकरू
5. ,, खुई-मपुर
6. ,, बसैया कला
7. ,, कोठेन खुर्द
8. ,, खेड़ियाजगा
9. ,, घेरा प्रा. शा.
10. ,, प्राथ. शा. सेवला
11. ,, कारोली

(5) पंचायत समिति–[illegible]

1. प्रा. शा. भाकरी
2. ,, बसुरा
3. ,, वासरोली
4. ,, अगनौली
5. ,, कोरमपुरा
6. ,, न. सिरसा
7. ,, न. खिलरिया
8. ,, नया गांव कला
9. ,, [illegible]
10. ,, काईखेड़ा
11. ,, जोगीपुरा
12. ,, भोगीपुरा
13. ,, [illegible]
14. ,, मोहारी
15. ,, लई खोराखुर्द
16. ,, बूंदिया
17. ,, वमूरी
18. ,, रायलोवा
19. ,, भीमसीकर
20. ,, सिवावली
21. ,, कैर
22. ,, रामपुरा प्रा. शा.
23. प्रा. शा. चक नावली
24. ,, कटकर
25. ,, नदी को गांव
26. ,, नंगला जैता

(6) पंचायत समिति–रूपवास

1. प्रा. शा. कन्जोली
2. ,, न. ब्राह्मण
3. ,, विलान चटपुरा
4. ,, बरवार
5. ,, हरिनगर
6. ,, बारहमासी
7. ,, मदरियापुरा
8. ,, नंगला पीतृ
9. ,, तेहरा ब्राह्मण
10. ,, इब्राहिमपुर
11. ,, नंगला तुला
12. ,, [illegible]
13. ,, चंदनपुरा
14. ,, मंडीपुरा वावरिया
15. ,, रसोर्रा
16. ,, कुर्सिया
17. ,, महलपुर बुरानिया
18. ,, [illegible]
19. ,, होरीपुरा
20. ,, पिचूना
21. ,, बरसोली
22. ,, ठांडपुर
23. ,, सिरसोवा
24. ,, [illegible] शाला रूपवास

(7) पंचायत समिति–सेवर

1. प्रा. शा. गढ़ी जालिमसिंह
2. ,, गुण्डवा
3. ,, क. जघीना
4. ,, जघीना
5. ,, खोलीपुरा
6. ,, बाधई
7. ,, कारोठ
8. ,, न. दुल्हेराम
9. ,, कुम्हरा खुर्द
10. ,, [illegible]
11. ,, समसपुर
12. ,, कपरोली
13. ,, चक चौबा
14. ,, चक रामनगर
15. ,, रायपुरा
16. ,, [illegible]
17. ,, न. [illegible] पारुआ
18. ,, घसोला
19. ,, चक बहनेरा

(121)

(7) पंचायत समिति-सेवर

20. ,, सब्रहूली
21. ,, महटोली
22. ,, सुनारी
23. ,, चक दारापुर
24. ,, न. टिकैता

(8) पंचायत समिति-डीग

1. ,, खैरमुरा
2. प्रा. शा. झोरेर
3. ,, जा. करीम
4. ,, श्याम ढाक
5. ,, बहज
6. ,, नंगला दादू
7. ,, नंगला चाहर
8. ,, मालीपुरा
9. ,, गदालपुर
10. ,, टाकीलो
11. ,, म. खोह
12. ,, मठायली
13. ,, मोकोका
14. ,, जनूथर
15. ,, नाहरोली
16. ,, पानहोरी छाया
17. ,, खेरिया प्रो.
18. ,, सिनसिनी

(9) पंचायत समिति-कुम्हेर

1. प्रा. शा. पन्नोरा
2. ,, रणधीरपुरा
3. ,, गागरसोली
4. प्रा. शा. सरह
5. ,, सातरूक
6. ,, चिमनी
7. ,, चक सितारा
8. ,, इन्दू
9. ,, अधैयकला
10. ,, अधैयाखुर्द
11. ,, सेथरी
12. ,, नंगला अंजात
13. ,, सजौला
14. ,, समन
15. ,, अस्ताव जदीद
16. ,, अस्तावन कदीम
17. ,, मुदावली
18. ,, गधेडा
19. ,, खेड़ा करोली
20. ,, पीढ़ी
21. ,, नगला करौली
22. ,, विरहरू
23. ,, कुरबारा
24. ,, नगला पछादरा
25. ,, ककारदिया
26. ,, अजयपुरा
27. ,, दहवा
28. ,, लांकी
29. ,, सावोरा
30. ,, अकार
31. ,, बौरई
32. ,, न. जीवना
33. ,, सत्यपुरा
34. ,, जया
35. ,, सुनारी
36. ,, खंसवाड़ा
37. ,, कन्या बटावली

कुल विद्यालय-188

(१२१)

सूची भवन रहित विद्यालय

(1) पंचायत समिति, कामां

1. प्रा. शा., मुरार
2. प्रा. शा., खेडली उलापुदीन
3. प्रा. शा., खरबड़
4. प्रा. शा., सरबरका

(2) पंचायत समिति, नगर

1. प्रा. शा. गठ तेस्की
2. प्रा. शा. डोमरारी
3. प्रा. शा. मंगतु का बास

(3) पंचायत समिति, वैर

1. प्रा. शा. नगला बुर्जा सैनी बस्ती मजाजपुर
2. प्रा. शा. नगला कुम्हेरिया (निठार)
3. प्रा. शा. झालाटाला गुर्जर

(4) पंचायत समिति, बयाना

1. प्रा. शा. जनजारीपुरा
2. प्रा. शा. नगला तीर
3. प्रा. शा. नगला होता
4. प्रा. शा. नगला कुन्दन
5. प्रा. शा. नगला भांड

(5) पंचायत समिति, रूपबास

1. प्रा. शा. नगला करोल
2. प्रा. शा. नगला मोदी
3. प्रा. शा. नगला घोरेया

(6) पंचायत समिति, सेवर

1. प्रा. शा. नगला बंजारा
2. प्रा. शा. कपरोली

(7) पंचायत समिति, डीग

1. प्रा. शा. न. कोकिला
2. प्रा. शा. बलदेववास
3. प्रा. शा. खोह
4. प्रा. शा. मियाड़ी
5. प्रा. शा. उदयपुरी
6. प्रा. शा. न. जनूथर
7. प्रा. शा. आखोली
8. प्रा. शा. मधुबना
9. प्रा. शा. गहनावली

(8) पंचायत समिति, नदबई

1. प्रा. शा. विजयपुरा
2. प्रा. शा. नगला बंजारा (गिरधरपुरा)
3. प्रा. शा. न. घरसोनी
4. प्रा. शा. न. हेमा, भरतकला
5. प्रा. शा. बालिका भदौरा
6. प्रा. शा. बिलोठ

(9) पंचायत समिति, कुम्हेर

1. प्रा. शा. चक धनवाड़ा
2. कन्या वासरोली प्रा. शा.
   (दोनों निर्माणाधीन है)

कुल योग—37 विद्यालय

123

विद्यालयों की सूची विद्यार्थियों के अनुपात में

(1) पंचायत समिति, कामां

1. प्रा. शा. सतवास
2. ,, न. हरनारायन
3. ,, भोजपुर
4. ,, नवाडी
5. ,, घाटा
6. ,, मोरोली
7. ,, राधानगरी
8. ,, नोनैरा
9. ,, खेड़ली गुनानी
10. ,, खोहरा
11. ,, नोमला
12. ,, मांची
13. ,, झोनपुरी
14. ,, खेड़ा
15. ,, घोघोर
16. ,, लडड़का
17. ,, खुटपुरी
18. ,, करभूका
19. ,, लालपुरा
20. ,, गुरोरा
21. ,, बोलखेड़ा
22. ,, जोधपुर
23. ,, अंगरावली
24. ,, धर्मशाला
25. ,, उधम
26. ,, रोशियाका
27. ,, न. मुकरिब
28. ,, न. शाहजाद
29. ,, ढूखनका
30. ,, घोसेड़ा
31. ,, भौरी
32. ,, लिवासना
33. ,, श्रारदूका
34. प्रा. शा. लाडलाका
35. ,, सहसन
36. ,, मोटूका
37. ,, न. वादीपुर
38. ,, वायरा
39. ,, लिवासना II
40. ,, कंचननेर
41. ,, थलवाना
42. ,, खल्लूका
43. ,, डाबरा
44. ,, विनावड़ा
45. ,, जोतरी पहाड़ी
46. ,, जोत शामेती

(2) पंचायत समिति, नगर

1. प्रा. शा. डूंवावल
2. ,, सुदरावली (छात्र)
3. ,, गुलपाड़ा
4. ,, पहाड़ी
5. ,, पहाड़ी छात्र
6. ,, सेमला खुर्द
7. ,, बेरू
8. ,, बलराका
9. ,, सौमसी
10. ,, बेला
11. ,, बरखेड़ा साद

(3) पंचायत समिति, वैर

1. प्रा. शा. मोरदा
2. ,, खोहरी
3. ,, नसवारा
4. ,, हलैना
5. ,, समराया
6. ,, मौडागांव

(२५)

7. प्रा. शा. नावर
8. ,, जटवलाई
9. ,, महतौली
10. ,, खेड़ा ब्राह्मण
11. ,, न. राठीनाथ

(4) पंचायत समिति, सेवर

1. प्रा. शा. न. परशुराम
2. ,, न. हाथी
3. ,, सूती
4. ,, पीपली
5. ,, न. गोपाल
6. ,, न. केसरिया
7. ,, समसपुर
8. ,, जिरौली
9. ,, धुम्रारी
10. ,, चिकसाना
11. ,, चक [illegible]
12. ,, चक [illegible]री
13. ,, बांसी [illegible]
14. ,, धनारा[illegible]
15. ,, [illegible]
16. ,, [illegible]
17. ,, खेमरा कलां
18. ,, [illegible]
19. ,, खोहरी
20. ,, न. इलहेनाथ
21. ,, न. [illegible]
22. ,, न. अभयराम
23. ,, अयेली
24. ,, जाटोली रथवान
25. ,, मौरोली खुर्द
26. ,, कन्या [illegible]
27. ,, भोडोर कलां
28. ,, महाराजजकर
29. ,, न. करणसिंह
30. प्रा. शा. जघीना
31. ,, बासी खुर्द
32. ,, बासी कलां
33. ,, वसुम्रा
34. ,, महुवा
35. ,, खिनपिनी
36. ,, गुण्डवा
37. ,, कुम्हा
38. ,, खरैरा
39. ,, गढ़ी आलमसिंह
40. ,, रामपुरा
41. ,, झारौली

(5) पंचायत समिति, नदबई

1. प्रा शा. सुन्डायना
2. ,, नूरपुर
3. ,, न्योठा
4. ,, बुद्रवारी खुर्द
5. ,, नाय
6. ,, बा. [illegible]
7. ,, बा. [illegible]
8. ,, चितारी
9. ,, पीढ़ी
10. ,, उसेर
11. ,, कैलूरी
12. ,, क. [illegible]
13. ,, [illegible]
14. ,, अस्तल
15. ,, नंगला मई
16. ,, नंग छतरपुर

(6) पंचायत समिति, कुम्हेर

1. प्रा. शा. [illegible]
2. ,, चौसीपुरा
3. ,, पूंछ पूंद
4. ,, अघैयाकलां
5. ,, अघैयाखुर्द
6. ,, बोरई

7. प्रा. शा. गुनसारा
8. ,, क. सोमरा
9. ,, न. मन्ना
10. ,, न. खमन
11. ,, सैंथरी
12. ,, खान
13. ,, इन्दु
14. ,, गदेडा
15. ,, मुकन्दपुरा
16. ,, गोगरसौली
17. ,, सुपावास
18. ,, क. सिकरौरा
19. ,, सिकरौरा
20. ,, क. जहांगीरपुर
21. ,, जहांगीरपुर
22. ,, सांविरा
23. ,, कुरवारा
24. ,, पचौरा
25. ,, अस्तावन
26. ,, पडोला
27. ,, भटावली
28. ,, हेडक
29. ,, राटह
30. ,, सौतख
31. ,, नं. चौबा
32. ,, नं. बछइया
33. ,, बुरावई
34. ,, न. सवाईराम
35. ,, न. वाधा
36. ,, कन्या भटावली
37. ,, चक सिताख
38. ,, सेंहदी
39. ,, सजौला
40. ,, अ. रामनगर

कुल विद्यालय— 165

जिला दौसा में संचालित मदिरा विक्रय केन्द्र

21. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशव-रायपाटन) एवं श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला दौसा में देशी एवं अंग्रेजी मदिरा की लाइसेन्सशुदा कितनी दुकानें संचालित है ? अधिकृत वैध दुकानों की सूची गांव व मोहल्ला सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) दौसा जिले में अवैध शराब की दुकानों की शिकायत किन-किन के द्वारा कब-कब की गई है ? शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए जिला स्तर पर समिति बनायी है ? यदि हां, तो समिति के कौन-कौन सदस्य है ?

(4) दौसा जिले में गठित उक्त समिति की कब-कब बैठकें की गयीं ? बैठकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निविदा सूचना प्रपत्र से दौसा जिले में देशी मदिरा की 89 तथा भा. नि. वि. म. की 16 दुकानें स्वीकृत है। इन दुकानों में से देशी मदिरा की 80 दुकानों तथा भा. नि. वि. म. की 15 दुकानों के स्थल (लोकेशन) स्वीकृत किये जा चुके है। स्वीकृत दुकानों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(उप मुख्य (आबकारी) मंत्री)

(2) इस सम्बन्ध में चार शिकायतें प्राप्त हुई। प्रति संलग्न (परिशिष्ट 'ब') इन शिकायतों की सम्बन्धित आबकारी निरीक्षकों द्वारा जांच करवाई गई। जांच में शिकायतें सही नहीं पाई गई।

(3) मदिरा दुकानों की अवस्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.4.95 से जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के सदस्य निम्नानुसार है :–

1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2. जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3. संबंधित क्षेत्र के विधायक	सदस्य
4. जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य सचिव

(4) समिति की बैठक दिनांक 22.11.95 को आयोजित की गई। बैठक का कार्यवाही विवरण (परिशिष्ट 'स' संलग्न है।

1. कार्यवाही विवरण के बिन्दू संख्या 1, 3, 4, 5, व 6 के अनुसार परिवाद समाप्त किये गये।
2. बिन्दू संख्या 2, 7, 9 व 12 में अंकित स्थानों पर कोई दुकानें स्वीकृत नहीं की गई है।
3. बिन्दू संख्या 8, 10, व 11 में अंकित ग्राम बालाहेड़ी, राहूवास एवं माण्डारेज में दुकानें नियमानुसार स्वीकृत होकर संचालित है एवं अन्य कोई विवाद नहीं हैं।

(सूची व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

हेमावास बांध (पाली) से सिंचित भूमि

22. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले के हेमावास बांध से किस-किस गांव के कौन-कौन से खसरे सिंचित होते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस बांध कमाण्ड क्षेत्र इस वर्ष बढ़ाया गया है। यदि हां, तो किस-किस गांव के कौन-कौन से खसरों को इसमें सम्मिलित किया गया है ? आदेश एवं गजट नोटिफिकेशन की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले के हेमावास बांध से ग्राम रामासिया, आकेली, भानपुरा, पाली, मंडली खुर्द, मंडिया, गिरादड़ा जागीर, गिरादडा खालसा, काण्ड्रा जागीर, कान्द्रा जोड़, जूना मठ, गुरडाई, मुलिया वास एवं रूपावास के विभिन्न खसरे सिंचित होते हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी, नहीं। इस वर्ष बांध का कमाण्ड क्षेत्र नहीं बढ़ाया गया।

(127)

परिशिष्ट-'क'

राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ–10 (74) राज/उप/83 दिनांक 1.3.87 जिसका प्रकाशन दिनांक 2.4.87 को राजस्थान राजपत्र के भाग संख्या–1 (ख) के पृष्ठ संख्या 11–12 में हुआ है।

(हेमावास बांध कमाण्ड एरिया को कर सूचना) हेमावास बांध से सिंचित होने वाले खसरा नम्बरों की सूची जिसे उपनिवेशन द्वारा हेमावास बांध के कमाण्ड क्षेत्र में घोषित किया है।

क्र.सं.	नाम बांध	जिला	तहसील	ग्राम	सी.सी.ए. एकड़ों में	कमाण्ड क्षेत्र के खसरा नम्बरान (उपनिवेशन द्वारा घोषित)
1.	हेमावास	पाली	पाली	दातलिया	27	18/1, 26 से 30
				ग्राकेली	115	145/2, 146 व 136
				मानपुरा	218	91, 93 से 97, 104, 106, से 136, 164 से 177
				पाली	1041	733, से 862, 865/2, 181 से 865/2, 189, 866 से 872, 874 से 875, 880 से 882, 884 से 986/2, 176, 988, से 995, 1024 से 1052, 173 से 282, 287, से 332, 334 से 344, 346 से 454, 439/738, 461 से 480, 483 से 505/12, 506 से 513, 555 से 567
				मंडली खुर्द	1936	11/1 से 32/2, 35/2 से 36/8, 38/1 से 41/6, 52/1 से 60/2, 84 से 87, 89 से 91/2, 102 से 103/3, 121/01 से 121/3, 132 से 146 148, 150 से 152

1	2	3	4	5	6	7
1.	हेमावास बांध	पाली	पाली	मंडिया	3362	2/1 से 28, 29 मी., 30 से 189, 191 से 436, 438 से 465, 467 से 507, 509 से 624, 626 से 764
				गिरादड़ा जागीर	2050	26, 85, 99 से 101, 116, 119 से 162 से 167 से 272, 279 से 379, 381 से 385
				गिरादड़ा खालसा	3429	10 मी. से 37, 40/मी. से 46, 51, 117 से 222, 224 से 343
				कान्द्रा जागीर	721	1 से 105, 113 से 167, 186 से 263
				कान्द्रा जोड़	733	1 से 157
				जूना मठ	178	1 से 4
				गुरड़ाई	2337	1 से 172, 174 से 205, 212 से 222, 668 से 938 941/1 से 995
				मुलियावास	911	104 से 140, 158 से 162, 174, 175, 193 से 204, 220 से 231
				रूपावास	3242	62 से 137, 141, 144 से 230, 234 से 254, 282 से 313, 318 से 320, 336 से 361, 609 से 678/2 680 से 709, 720 से 726, 731 मीन

योग :- 20500

नगला रावजी (भरतपुर) में प्राथमिक विद्यालय

23. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समस्त राजस्व ग्रामों में प्राथमिक शालाएं खोल दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक खोलने का विचार है?

(2) क्या यह सही है कि तहसील भरतपुर में नगला रावजी ग्राम में प्राथमिक शाला खोल दी गई है ? यदि हां, तो कब व यदि नहीं, तो क्या सरकार अब उक्त ग्राम में विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सभी प्राथमिक शालाओं के भवन निर्मित करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कितने विद्यालय भवन रहित हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार की भवन रहित प्राथमिक विद्यालयों में भवन निर्माण की क्या योजना है ?

(5) क्या सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार सभी प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक नियुक्त कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कितने अध्यापकों का अभाव है और सरकार इस अभाव को कब तक पूरा कर देगी ?

उत्तर

(1) जी, हां, । वर्ष 1991 की जनगणना में घोषित राजस्व ग्राम जिनकी जनसंख्या 250 से अधिक है ऐसे समस्त राजस्व ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोल दिये गये हैं।

(2) जी, नहीं। बजट प्रावधान एवं वित्तीय संसाधनों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं।

(3) जी, नहीं। जिला भरतपुर में 30 प्राथमिक विद्यालय भवन रहित हैं जो कि वर्ष 1996-97 में खोले गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) शाला भवन निर्माण कार्य जे. आर. वाई. योजना व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी, नहीं। सामान्य में 135 व श्यामपट्ट योजनान्तर्गत 111 कुल 246 अध्यापकों के पद माननीय उच्च न्यायालय एकल पीठ के स्थगन आदेश के कारण रिक्त हैं ? स्थगन आदेश समाप्त होने के पश्चात् उक्त रिक्त पदों को नियमानुसार भर दिया जायेगा।

(1) **पंचायत समिति–नदबई**

1. विजयपुरा
2. न. बंजारा (गिरधरपुरा)
3. न. धरसोनी
4. न. हेमा (भरतूवाला)
5. बालिका मदोरा
6. सीलोट

(2) **पंचायत समिति–रूपबास**

1. नगला करोल
2. नगला ओदी
3. नगला घोरिया

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री)

(3) पंचायत समिति–बयाना

1. जजारीपुरा
2. न. लाए
3. नगला होला
4. नगला भांड
5. नगला कुन्दर

(4) पंचायत समिति–सेवर

1. नगला बन्जारा
2. ककरोली

(5) पंचायत समिति–सेवर

1. भगतु का वास
2. गढ़ तरकी

(6) पंचायत समिति–डीग

1. नगला कोकिला
2. बलदेव वास
3. खोह
4. भियाड़ी
5. गहुतावली
6. उदयपुरी
7. मधु बना
8. नगला जनूथर
9. मोरकौली

भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ।

(7) पंचायत समिति बैर

1. नगला कुर्जा सैनी बस्ती मलजापुर
2. नगला कुम्हेरिया
3. झालाटाला गूजर

परिशिष्ट– 3

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 की प्रति

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 18 (23) एस.ई./ग्रुप–1/96 जयपुर, दिनांक 2-6-1997

1. प्रधानाचार्य,
मेडिकल कॉलेज, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा।

2. **निदेशक,**
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

3. समस्त सम्भागीय आयुक्त।

4. समस्त जिला कलक्टर।

5. समस्त अधीक्षक,
संलग्न चिकित्सालय।

6. समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

7. समस्त प्रमुख/जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, ब्यावर।

विषय :— मेडिकेयर रिलीफ सोसायटीज द्वारा वसूल किये जाने वाले परीक्षण शुल्क के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर निदेशानुसार लेख है कि मेडिकेयर रिलीफ सोसायटीज द्वारा अस्पतालों में की जाने वाली विभिन्न प्रकार की जांचों के लिये मरीजों से शुल्क लिया जा रहा है। राज्य सरकार का विस्तार है कि निम्नांकित कार्यक्रमों के अन्तर्गत की जाने वाली जांचों एवं व्यक्तियों से किसी प्रकार का जांच शुल्क नहीं लिया जावे तो उचित होगा :–

1. विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों – जैसे राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाने वाली साधारण प्रकार की जांचें।

(132)

2. स्वतन्त्रता सेनानियों, भूतपूर्व सैनिकों पेंशनर्स, दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों तथा लावारिश मरीजों से।

इस सम्बन्ध में विचार कर समुचित निर्णय मेडिकेयर सोसायटी की बैठक में लिये जाने की कृपा करें और सोसायटी के निर्णय से इस विभाग को भी अवगत कराने की कृपा करें।

सोसायटी द्वारा पारित किये जाने वाले प्रस्ताव का प्रारूप

"राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की बैठक दिनांक को की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई और निर्णय लिया गया कि निम्नांकित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत की जाने वाली जांचें एवं निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तियों की जांचें निःशुल्क की जावेगी।"

भवदीय,

(वीनू गुप्ता)
उप शासन सचिव

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 4 की प्रति)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
कर अनुभाग

क्रमांक एफ-(16) वित्त/ग्रुप–4/9/ जयपुर, दिनांक 3.7.1997

आज्ञा

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971 के नियम–17(2)(अ) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित संस्थायी वाणिज्यिक कर निरीक्षकों की उक्त नियमों के नियम 17 (9) के अनुसरण में वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 के रिक्त स्थानों के लिये किये गये चयन के आधार पर उक्त सेवा में नियम 22 के प्रावधान के अधीन सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर स्थापन रूप से कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया जाता है । इसके पदस्थापन आदेश आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग पृथक से जारी करेंगे :—

क्र.सं.	नाम	वर्ष	सामान्य पद
1.	श्री गोपाल लाल वर्मा	1997–98	वरिष्ठता सह–योग्यता
2.	श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़	,, ,,	वरिष्ठता सह–योग्यता
3.	श्री मोती कृष्ण लोहरा	,, ,,	वरिष्ठता सह–योग्यता
4.	श्री सूर्य प्रकाश शर्मा	,, ,,	वरिष्ठता सह–योग्यता
5.	श्री अरविन्द कुमार दवे	,, ,,	वरिष्ठता सह–योग्यता
6.	श्री मदना राम जाखड़	,, ,,	वरिष्ठता सह–योग्यता
7.	श्री रामानन्द पाटोदिया	,, ,,	वरिष्ठता सह–योग्यता
8.	श्री रघुनाथ सहाय गुप्ता	,, ,,	वरिष्ठता सह–योग्यता
9.	श्री मानाराम सैनी	,, ,,	वरिष्ठता सह–योग्यता
10.	श्री बृज मोहन पारीक	,, ,,	वरिष्ठता सह–योग्यता

139

1	2	3	4
11.	श्री भंवर सिंह शेखावत	1997–98	योग्यता
12,	श्री राम कुमार विश्नोई	,, ,,	योग्यता
13.	श्री विजय कुमार स्वामी	,, ,,	योग्यता
14.	श्री दीपक भटनागर	,, ,,	योग्यता
15.	श्री निर्मल भारती	,, ,,	योग्यता
16.	श्री अशोक कुमार टंडन	,, ,,	योग्यता
17.	श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत	,, ,,	योग्यता
18.	श्री मनफुल सिंह सैनी	,, ,,	योग्यता
19.	श्री रणधीर सिंह	,, ,,	योग्यता
20.	श्री रामेश्वर प्रसाद विजय	,, ,,	योग्यता
21.	श्री हंगामी लाल मीणा (अ.जा.)	,, ,,	वरिष्ठता सह–योग्यता
22.	श्री मुन्नालाल मीणा (अ.ज.जा.)	,, ,,	वरिष्ठता सह–योग्यता
23.	श्री रघुनाथ [illegible] (अज.जा.)	,, ,,	वरिष्ठता सह–योग्यता
24.	श्री भगवानदास रावत (अजजा.)	,, ,,	वरिष्ठता सह–योग्यता
25.	श्री रामेश्वर लाल बलाई (अनुसूचित जन जाति)	,, ,,	योग्यता
26.	श्री बनवारी लाल मीणा	,, ,,	वरिष्ठता सह–योग्यता

आज्ञा से

(रवि शंकर)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

कर अनुभाग

क्रमांक : प. 3 (16) वित्त/ग्रुप-4/97 जयपुर, दिनांक 31.7.1997

आज्ञा

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971 के नियम 17 (3) में वर्णित सूची के पुनरीक्षण एवं परिशोधन के अधीन (Under review and revision) चयन के आधार पर निम्नलिखित वाणिज्यिक कर निरीक्षकों को कार्यभार सम्भालने की तिथि से आगामी आदेशों तक अथवा चयन समिति की अगली बैठक द्वारा चयनित प्रत्याशी उपलब्ध होने तक या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रत्याशी होने में से, जो भी पूर्वतर हो, उक्त राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा की साधारण वेतन श्रृंखला (2000-3500) में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाते हैं। इनके पदस्थापन आदेश आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर पृथक रूप से जारी करेंगे :—

क्रम सं.	नाम
1.	श्री नरेन्द्र करण सारस्वत
2.	श्री राधेश्याम उपाध्याय
3.	श्री नारायण सिंह यादव
4.	श्री दीपदान रोहाड़िया
5.	श्री हरदीप सिंह
6.	श्री वेद प्रकाश कौशिक
7.	श्री राजा राम यादव
8.	श्री शमशुद्दीन अहमद
9.	श्री चन्द्र प्रकाश पारीक
10.	श्री ब्रह्म दत्त चौधरी
11.	श्री बीरबल
12.	श्री रमेश चन्द्र पुरोहित-II पुत्र श्री बल्लभ दास
13.	श्री मुरली मनोहर शर्मा
14.	श्री मनफुल कुमार वर्मा
15.	श्री श्रीराम चौधरी

1	2
16.	श्री कालू राम विश्नोई
17.	श्री रणधीर सिंह गोदारा
18.	श्री ख्याली राम गोदारा
19.	श्री श्याम सुन्दर सारस्वत
20.	श्री ओंकार लाल बलाई (अनुसूचित जाति)
21.	श्री प्रताप राय गर्ग (अनुसूचित जाति)
22.	श्री प्रभाती लाल (अनुसूचित जाति)
23.	श्री मोहन लाल स्वर्णकार

आज्ञा से

(रवि शंकर)
शासन उप सचिव

ABSTRACT COPY OF RULE–18 (4)
R. C. T. S. RULES, 1971.

Rule–18 Revised Criteria, Elgibility and Procedure for Promotion to Junior Senior and other posts encadred in the Service : (1) As soon as the Appointing Authority de termines the number of vacancies under rule regarding determination of vacancies of these Rules and decides that a certain number of posts are required to be filled in by promotion, it shall, subject to provisions of sub–rule (9), prepare a correct and complete list of the senior–most persons who are eligible and qualified under these Rules for promotion on the basis of seniority cum–merit or on the basis of meritto the class of posts concerned.

(4) Selection for promotion in the regular lirn of Promotion from the post/posts not included in Service to the lowest post or category of post in the Service shall be made strictly on the basis of merit and on the basis of seniority–cum–merit in the proportion of 50:50

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का विवरण)

श्री रावतसिंह अधिकृत विक्रेता मावण्डा कला द्वारा किये गये गेहूं के आवंटन उठाव/वितरण सूचना 1/1995 से 7/1997 तक ।

नाम माह	आवंटन (क्वि. में)	वितरण
जनवरी, 1995	186.75	186.75
फरवरी ,,	286.28	286.28
मार्च ,,	93.00	93.00
अप्रेल ,,	—	—
मई ,,	—	—
जून ,,	185.69	185.69
जुलाई ,,	—	—
अगस्त ,,	185.18	185.18
सितम्बर ,,	—	—
अक्टूबर ,,	94.83	94.83
नवम्बर ,,	186.83	186.83
दिसम्बर ,,	93.71	93.71
जनवरी, 1996	—	—
फरवरी ,,	91.44	91.44
मार्च ,,	91.72	91.72
अप्रेल ,,	189.17	189.17
मई ,,	290.75	290.75
जून ,,	193.22	193.22
जुलाई ,,	294.00	294.00
अगस्त ,,	202.34	202.34
सितम्बर ,,	304.48	304.48
अक्टूबर ,,	—	—
नवम्बर ,,	143.57	143.57
दिसम्बर ,,	95.76	95.76
जनवरी, 1997	97.82	97.82
फरवरी ,,	105.00	105.00
मार्च ,,	98.15	98.15

1	2	3
अप्रैल, 1997	101.46	101.46
मई ,,	198.05	198.05
जून ,,	—	—
जुलाई ,,	46.15	46.15

सूची लेवी चीनी उठाव : वितरण द्वारा रावतसिंह अधिकृत विक्रेता माधवगढ़ कला

नाम वर्ष	नाम माह	दिनांक उठाव	उठाव मात्रा (क्वि.में)
1995	अप्रैल, मई, 95	13-6-95	24.00 क्वि.
	जून, 95	19-7-95	13.00 क्वि.
	जुलाई, 95	14-8-95	13.00 क्वि.
	अगस्त, 95	7-9-95	13.00 क्वि.
	सितम्बर, 95	10-10-95	15.00 क्वि.
	अक्टूबर, नवम्बर, 95	18-12-95	30.00 क्वि.
	दिसम्बर, 95	20-01-96	15.00 क्वि.
1996	जनवरी, फरवरी, 96	6-3-96	30.00 क्वि.
	मार्च, अप्रैल, 96	16-4-96	30.00 क्वि.
	मई, जून, 96	11-6-96	30.00 क्वि.
	जुलाई, अगस्त, 96	04-9-96	30.00 क्वि.
	सितम्बर, अक्टूबर, 96	17-10-96	30.00 क्वि.
	नवम्बर, दिसम्बर, 96	21-12-96	23.00 क्वि.
1997	जनवरी, फरवरी, 97	14-2-97	20.00 क्वि.
	मार्च, 97	23-3-97	10.00 क्वि.
	अप्रैल, मई, 97	20-6-97	24.00 क्वि.
	जून, जुलाई, 97	25-7-97	28.00 क्वि.

केरोसीन वितरण/उठाव

1	2	3
मार्च, 97	1660	1660
अप्रेल, 97	1660	1660
मई, 97	1660	1660
जून, 97	1600	1600
जुलाई, 97	1530	1530
अगस्त, 97	1320	1320

श्री छोटूसिंह अधिकृत विक्रेता जाटाला (मावण्डाकला) गेहूं वितरण,

नाम माह	आवंटन	वितरण
2/97	43.20	42.20
3/97	43.50	43.50
4/97	—	—
5/97	82.20	82.20
6/97	—	—
7/97	—	—
चीनी		
11/96 से 12/96 तक	12.00	12.00
1/97 से 2/97 तक	10.00	10.00
3/97	05.00	05.00
4/97 से 5/97 तक	10.00	10.00
6/97 से 7/97 तक	10.00	10.00
केरोसीन		
7/97	220.00	220.00
8/97	220.00	220.00

परिशिष्ट-6 परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का विवरण)

मद 4711 फ्लड वर्क्स वर्ष 1996 के कार्य वर्ष 1996–97 का व्यय (लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लागत (लाखों में)	स्वीकृत बजट (लाखों में)	व्यय
1.	बरथा डेम एण्ड कैनाल			7.20
2.	गुढा कैनाल			4.30
3.	अभयपुरा कैनाल			2.85
4.	तलवास डेम			2.98
5.	रून का खाल	51.22	20.00	0.27
6.	मरडिया कैनाल			0.71
7.	मोतीपुरा डेम			1.30
8.	रोनिजा कैनाल			0.22
9.	गोठरा			—
10.	डाबी			—
11.	शभू सागर			—
12.	गुढा गोकुलपुरा			—
13.	इन्द्राणी			—
				19.83

मद 2245 फ्लड वर्क्स 1996 के कार्य वर्ष 1996–97 का व्यय (लाखों में)

1.	बरथा कैनाल	उपरोक्तानुसार	5.00	5.00

मद 2702 एम. एण्ड. आर. गुढा वर्ष 1996–97 का व्यय (लाखों में)

1.	एल.एम.सी. गुढा			2.18
2.	आर.एम.सी. गुढा	15.00	5.00	1.32
3.	हुलासपुरा ब्रांच गुढा			1.49
				4.99

मद 4702 एम.आई.डब्ल्यू. का खर्चा 1996–97 का व्यय (लाखों में)

1	2	3	4	5
1.	मेंडी मैन डेम एण्ड कैनाल	241.00	70.00	69.20
2.	नारायणपुरा डेम एण्ड कैनाल	241.00	5.00	3.69
3.	चांदा का तालाब डेम व कैनाल	288.14	15.00	28.44
4.	मरडिया डेम व कैनाल	130.00	2.00	1.09
5.	सलावलिया डेम व मुख्य कैनाल	98.00	30.00	28.13
6.	बांक्या का नया गांव डेम व मुख्य कैनाल	53.00	15.00	11.24
7.	माछली डेम	500.00	135.00	88.20
8.	दुगारी डेम	उपलब्ध नहीं है। (स्टेट समय का)	—	(–) 0.36
			272.00	229.63

नोटः– इस मद में संशोधित बजट एवं साख सीमा दिनांक 29-3-97 को प्राप्त होने के कारण माछली सिंचाई परियोजना में कृषकों को अवाप्त भूमि को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हो सका यह भुगतान तहसीलदारों के माध्यम से किया जाता है अतः बैंक से चैक दिनांक 31-3-97 तक इनकेश होना संभव नहीं था इसलिये राशि रुपये 42.00 लाख समर्पित किये गये।

परिशिष्ट "ब"

मद 4701 बेसिक डेम फेसिलिटी गुढा वर्ष 1996–97 व्यय (लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लागत (लाखों में)	स्वीकृत बजट वर्ष 96-97 (लाखों में)	व्यय (लाखों में)
1.	एप्रोच रोड चतरगंज से गुढा डेम	14.22	8.54	5.70
	मद 4711 फ्लड वर्क्स वर्ष 1995 के कार्य व्यय (लाखों में)			
1.	बरधा डेम	56.40	60.00	39.50
2.	गुढा डेम	20.00		17.49
		76.40		56.99

मद 2702 एम एण्ड आर जनरल वर्ष 1996–97 व्यय (लाखों में)

1	2	3	4	5
1.	सुखमल डेम एण्ड केनाल			1.05
2.	आफिस बिल्डिग			0.01
3.	जेत सागर टैक			0.04
4.	शम्भू सागर डेम			0.22
5.	मीमलत्त डेम एण्ड केनाल			2.35
6.	अभयपुरा डेम एण्ड केनाल			2.48
7.	बंसोली डेम एण्ड केनाल			0.40
8.	इन्द्राणी डेम एण्ड केनाल			1.04
9.	बटावदी डेम एण्ड केनाल	25.10		0.66
10.	मोठडा डेम एण्ड केनाल			1.25
11.	देई सेक्शान टेक			0.14
12.	अन्नपूर्णा डेम			0.01
13.	खोडी डेम एण्ड केनाल			0.01
14.	मोतीपुरा डेम एण्ड केनाल			0.84
15.	देई गंगासागर टेक			0.22
16.	डाबून डेम			0.05
17.	पाईपालापुरा			0.72
18.	तलवास डेम एण्ड केनाल			0.06
19.	रोनिजा डेम			0.02
20.	दुगारी डेम एण्ड केनाल			1.79
21.	[illegible] डेम			0.64
22.	बरड एरिया डेम			0.14
23.	डाकी टैंक			0.19
24.	हिण्डोली टैंक			0.56
25.	पेच की बावडी डेम एण्ड केनाल			0.93
26.	मरडिया टेल माईनर			0.46
27.	रूण का खाल			0.27
28.	गुढा डेम एण्ड केनाल			6.10
29.	बाक्या खाल			0.25
30.	गुढा गोकुलपुरा			0.38
31.	रोशिन्दा माईनर			0.28
32.	नारायणपुरा केनाल			0.56
				24.72

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	96–97 में प्राप्त व्यय रशि प्राप्त (लाखों में)	व्यय (लाखों में)
1	2	3	4	5
आश्वासित रोजगार योजना :–				
1.	फ्लड प्रोटेक्शन जेथल	1.21	1.09	0.743
2.	भैरू की पुल	2.50	2.25	2.693
3.	नवालिया	2.48	2.00	0.94
4.	गरडका एनिकट	2.53	2.25	2.00
5.	भांड का खेडा एनीकट	1.92	1.77	1.36
6.	मीणों की झोंपडियां एनीकट	1.89	1.70	0.92
7.	माधपुरा फीडर	11.87	3.56	0.17
8.	बोलपुर एनीकट	3.30	0.99	—
9.	केवडियाका एनीकट	4.40	1.32	0.33
10.	सूतडा टेंक	0.73	0.22	0.01
11.	महादेवजी की झरनी रामनगर	2.46	0.74	—
12.	केसरिया वाल एनीकट	4.85	—	—
	योग	39.14	17.88	9.166
30 जिला 30 काम				
1.	गडरिया काजवे	2.39	1.70	1.13
जवाहर रोजगार योजना				
1.	गुलखेडी एनीकट	4.23	1.88	1.88
निर्बन्ध राशि योजना				
1.	अर्दन डेम एनीकट सूथर नाका	3.76	3.38	4.004 पूर्ण
2.	फीडर चैनल सूथर नाका	2.99	2.10	1.75
3.	मैसनरी वाल जेत सागर	1.117	0 56	—
		7.867	6.04	5.754

नोट :– जिला ग्रामीण प्रभिकरण द्वारा स्वीकृत उपरोक्त कार्यों के विरुद्ध जून, 1996 तक रुपये 6.36 लाख प्राप्त हुए थे जिसके विरुद्ध जून, 1996 तक रुपये 7.76 लाख का व्यय हो गया था उसके पश्चात् राशि फरवरी, 1997 में प्राप्त हुई, अतः समय कम रहने के कारण वर्ष 1996–97 में कार्य पूर्ण नहीं हो सकें ।

(144)

परिशिष्ट–7 प्रपत्र 'अ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या 12 की सूची)

गंग नहर प्रणाली में जनवरी, 1995 से जुलाई, 1997 तक
बांधों में परिवर्तन करने की सूची

चक का नाम
5&/GB, 81 RB, 67 RB, 3, 5, 4 Ps/B, 24 PS, 10, 57 GB, 21H 52 F, 47 F, 2g/II 1 PP, 2 S, 29 H, 23 GB, 25 GB, 24 ML, 38 LN P, 9 Y/I, II, 5 Z/I, 33H, 3a/II, 51 RB/A, 12g, 2 W, 5 BBA, 5e, 6e 20 BB/III, 6 EEA, 14 BB, 40 F, 1 MK/B, 56 RB, 8 FFB, 23 RB, 120, 2 BBA, 9 FA, 4 NP, 2 BB, 2 FF, 3800/I, 3800/II 30 H/I, 30 H/II, 4/5 K, 37/F, 37 NP/A, 2h/I, 50, 3 C, 28 ML/II, 78 RB/ A, 6 S LNR DISTY SYSTEM REMODELLINA-112 Nas OUTLES 4 EEA. 15EEA, 61 RB, 5BEA, I T K/B, 2 TK, 3TK, 4 TK, 5TK, 6 TK, 500 LNP, 28 LNP/B/I, 53 LNP, 54 LNP 55 LNP, 56 LNP, 57 LNP, 58 LNP, 59 LNP/A, 13 PS, 1 TK/A, 11 TK, 7 TK, 8TK,9TK,10 TK, 2TK, 7TK, 68 NP, 6 PS, 42 RB, 60 RB, 4 PS/A, 13 PS,22 LNP/II, 41RB, 45 RB, 14ML, 31RB/I. 33 LNP, 5LC, 63 RB/A, 30/II, 11 H, 14g, 49 F/I, 49 F/II, 24 F, 1C/II 200/II, 31 GH, 1 R/II 28 H, 33 H, 50 F, 52 GA, 5 B, 4 C, 1 H, 7g 25 H, 27 H, 31 H, 32 H, 1 K, 2 K, 3 BB/II, 3 V, 2 FD/I, 3 FD, 54 RB, 4 DD, 33 LNP/A, 58, 59 LNP/I, 3 FF, 100, 52 LNP, 25, 3 EE, 4 EB, 3 W, 55 RB/A, 40 F, 47 GG/I, 48 GG, 31 GG, 39 LNP/B, 49 LLW, 39 LNP/I, 39 LNP/A, 41 LNP, 35 LNP, 15 TK, 3 TK, 66 LNP,

G. TOTAL 266 NO's

प्रपत्र "ख'

1. मांग संख्या 1 की क्रियान्विति हेतु चयनित वेतनमान देने हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

2. मांग संख्या 2 व 3 की क्रियान्विति हेतु निर्णय लिया गया था कि यूनियन पदाधिकारी रिट के निर्णय की प्रति सम्भाग कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है।

3. मांग संख्या 4 की क्रियान्विति हेतु वेतन शृंखला दिये जाने के दिनांक से ही चयनित वेतनमान दिये जाने हेतु सेवा की गणना किये जाने के लिये कार्यवाही विचाराधीन है।

4. मांग संख्या 5 की क्रियान्विति के क्रम में श्रमिकों को अधिशेष करने पर रोक लगा दी है तथा जांच कार्य प्रगति पर है।

5. मांग संख्या 6 के क्रम में कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट–8

परिशिष्ट-'म'

(अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का विवरण)

उदयपुर सम्भाग में विगत पांच वर्षों में जिलेवार उपयोगी जल संग्रह क्षमता व
वास्तविक जल उपलब्धता का विवरण

ईकाई–मिलीमन घनफुट

वर्ष	जिले का नाम उदयपुर		राजसमन्द		डूंगरपुर		बांसवाड़ा		चित्तौड़गढ़		कुल		संग्रह के जल
	उपयोगी जल संग्रह क्षमता	वास्तविक जल संग्रह उपलब्धता	उपयोगी जल संग्रह क्षमता	वास्तविक जल संग्रह उपलब्धता	उपयोगी जल संग्रह क्षमता	वास्तविक जल संग्रह उपलब्धता	उपयोगी जल संग्रह क्षमता	वास्तविक जल संग्रह उपलब्धता	उपयोगी जल संग्रह क्षमता	वास्तविक जल संग्रह उपलब्धता	उपयोगी जल संग्रह क्षमता	वास्तविक जल संग्रह उपलब्धता	संग्रह क्षमता से प्रतिशत उपलब्धता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1992	24925	18044	7272	5735	3480	2003	2362	1440	11993	10553	50032	37780	75.51%
1993	25003	13116	7307	1422	3508	1983	2665	1990	12061	6164	50544	26675	52.77%
1994	25110	15747	7447	6411	3551	3166	2975	2520	12061	9896	51144	37740	73.79%
1995	25250	9760	7636	4499	9196	2980	3020	1810	12300	4525	57402	23574	41.07%
1996	33264	24781	7636	1925	8725	3853	3190	2345	12354	10867	65169	43771	67.16%

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का विवरण)

आज दिनांक 1.5.97 को मुख्यालय पर राजस्थान स्टेट इरीगेशन टेक्नीकल वर्कर्स फैडरेशन सूरतगढ़ द्वारा धरना एवं भूख हड़ताल शुरू करने पर फैडरेशन के प्रतिनिधियों एवं मुख्य अभियंता सिंचाई हनुमानगढ़ की वार्ता जो मुख्य अभियन्ता कक्ष में सांय 4 बजे हुई का विवरण। इसमें निम्नलिखित अधिकारियों एवं फैडरेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

1. श्री बी. एन. आर्य — अधीक्षण अभियंता गंगानगर अति. चार्ज मुख्य अभियंता
2. श्री सीताराम सैनी — अधीक्षण अभियंता
3. श्री जे. एस. सेतीया — " "
4. श्री अजयपाल शारदा — " "
5. श्री के. एस. शेखावत — अधिशाषी अभियंता एवं प्रा. स. (प्रशासन)
6. श्री राम लक्ष्मण गुप्ता — वरिष्ठ लेखाधिकारी
7. श्री नन्द राम — सहा. अभि./कार्मिक अधिकारी
8. सत्यपाल शुक्ल — महामन्त्री
9. श्री नन्दराम — अध्यक्ष
10. श्री ओमप्रकाश — उपाध्यक्ष
11. श्री बनवारी लाल — "
12. श्री हनुमान प्रसाद — "

अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यगण

वार्ता में निम्न मुद्दों पर विचार–विमर्श हुआ।

1. 9–18-27 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ देने बाबत।

इस सम्बन्ध में इ. गां. न. विभाग एवं वित्त विभाग ने 9–18–27 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर नियमित कार्य प्रभारी कर्मचारियों की जब से वह नियमित हुए हैं 9-18–27 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान देने के आदेश प्राप्त हो चुके है एवं सभी अधीक्षण अभियंताओं को भी भेजे जा चुके हैं। इनके भुगतान में विलम्ब क्यों हो रहा है। सभी अधीक्षण अभियंता इसका कारण स्पष्ट करेंगे तथा इसका भुगतान 30,6,97 तक आवश्यक रूप से करके सूचना भेजेंगे।

(148)

2. **उच्च न्यायालय जोधपुर के अधीन एस. बी. रिट पिटीशन से 426/81 जिसका निर्णय 18–11–92 को हुआ है पर कार्यवाही करने हेतु।**

इस सम्बन्ध में वार्ता में निर्णय हुआ कि यूनियन पदाधिकारी रिट के निर्णय की प्रति सम्भाग कार्यालय को उपलब्ध करवायेंगे तथा सम्भाग कार्यालय द्वारा विधि विभाग से इसके निर्णय की पालना करने हेतु जानकारी प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

3. **वर्कचार्ज कर्मचारियों/श्रमिकों की वर्ष 1972 में हुई हड़ताल पर लिये निर्णय सचिव राजस्थान नहर मण्डल जयपुर का पत्र क्रमांक 1 (53) आर. डी पी. ओ./73 दिनांक 4–9–73 जो Deptt. of personal को लिखा है पर क्रियान्विति करने हेतु।**

इस सम्बन्ध में वार्ता में निर्णय लिया गया यूनियन पदाधिकारी उक्त पत्र की प्रति सम्भाग कार्यालय को उपलब्ध करवायेंगे तथा सम्भाग कार्यालय इस सम्बन्ध में सचिव इन्दिरा गांधी नहर मण्डल जयपुर से इसके निर्णय की जानकारी प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही करेगा।

4. **चयनित वेतनमान नियुक्ति को दिनांक में देने हेतु**

वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर मण्डल एवं वित्त विभाग के आदेशानुसार जब से वर्कचार्ज कर्मचारी रेगूलर हुए हैं तब से सेवा की गणना करते हुए 9–10–27 वर्ष पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान देने का प्रावधान है। यूनियन की मांग है कि उन्हें भी राज्य कर्मचारियों की भांति नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे, इस सम्बन्ध में निर्णय हुआ कि यह मामला राज्य सरकार के पास स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

5. **अधिशेष कर्मचारियों के सम्बन्ध में**

यूनियन पदाधिकारी के कथन अनुसार वर्कचार्ज कर्मचारियों के अनियमित तरीके से अधिशेष घोषित किया गया। जबकि 1993 में मु.अ.सिं., हनुमानगढ़ द्वारा लिखा था कि कोई भी कर्मचारी अधिशेष नहीं है।

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि सभी अधीक्षण अभियंता जिन्होंने अधिशेष कर्मचारियों की सूची भेजी थी जिनके आधार पर सूचना सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर को प्रस्तुत की गई है वह अपने रिकार्ड की जांच करने के एक सप्ताह में यह बतायेंगे कि उन्होंने किस आधार पर अधिशेष कर्मचारी मानकर सूची भेजी थी। तद्पश्चात पूर्ण जांचकर ही उक्त प्रकरण में आगे की कार्यवाही की जावेगी। जब तक पूर्ण जांच नहीं हो जाती तब तक अधिशेष करने सम्बन्धी सभी कार्यवाही तत्काल प्रभाव से रोकी जाती है।

6. वर्कचार्ज कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु कमेटी का गठन किया जाये

यूनियन की मांग है कि कार्यप्रभारी कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं, कितने कर्मचारियों की कहां–कहां आवश्यकता है एवं इनकी पदोन्नति हेतु पूर्ण जानकारी हेतु कमेटी का गठन किया जावे।

इस बिन्दु में निर्णय लिया गया है कि एवं कमेटी का गठन किया गया जिसमें निम्न अधिकारी होंगे।

1. अधिशासी अभियन्ता एवं प्रा स. सूरतगढ़ सिंचाई वृत, हनुमानगढ़
2. ,, ,, सिंचाई वृत, हनुमानगढ़
3. ,, ,, ,, श्री विजयनगर
4. ,, ,, ,, श्री गंगानगर
5. कार्मिक अधिकारी संभाग कार्यालय
6. सहायक लेखाधिकारी कार्यालय

उक्त समिति के प्रभारी अधिकारी अ. अ. एवं प्रा. स. सूरतगढ़ सि. वृत हनुमानगढ़ होंगे। तथा यह दो माह में अपनी सम्पूर्ण रिपोर्ट/जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

अन्त में सौहार्दपूर्ण वातावरण में धरना एवं भूख हड़ताल समाप्त की गई।

ह०
मुख्य अभियन्ता
सिंचाई हनुमानगढ़

राजस्थान सरकार

(सिंचाई विभाग)

एफ.–8/का. श./1/710/O-P दिनांक –8–8–97

सत्यपाल युवक महामंत्री
ज. स्टेट इरिगेशन टेक्नीकल
वकरंज फैडरेशन
पोस्ट बॉक्स नं. 18 सूरतगढ़ जं.

वर्तमान प्रसंग 295
गत प्रसंग 290
आगामी प्रसंग

विषय :– दिनांक 1 मई, 1997 के समझौते को लागू करने तथा श्रमिकों की मांगें स्वीकार किये जाने हेतु।

प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक 231/97 दिनांक 23–7–87

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एक मई, 1997 के समझौते के बिन्दु 1 के अनुसार 9–18–27 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान को स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रगति पर है तथा यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देशित कर दिया गया है। बिन्दु सं. 2 व 3 के लिए आपकी वांछित पत्रों की प्रतियाँ उपलब्ध करवानी थी जो आपने अभी तक नहीं करवाई जबकि आपको पत्र क्रमांक एफ.-8 का./शा./1/4089–90 दिनांक 19–6–97 एवं 6827–28 दिनांक 4–8–97 से लिखा जा चुका है। बिन्दु सं. 4 के लिए मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) सिंचाई जयपुर को राज्य सरकार को लिखने हेतु लिखा जा चुका है। मांग 5 में कार्य प्रभारी श्रमिकों को अधिशेष पर रोक लगाई जा चुकी है तथा जांच का कार्य चल रहा है। मांग सं. 6 के सम्बन्ध में लेख है कि अभी पदोन्नति पर राज्य सरकार की ओर से रोक चल रही है। पद कहां-कहां रिक्त हैं उसके लिए समिति का गठन किया गया था जो कार्य कर रही है तथा शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उसे लिखा जा रहा है। इस प्रकार बैठक में लिये गये सभी बिन्दुओं पर प्रगति हो रही है तथा आपका 18–8–97 से भूख हड़ताल आदि करना न्यायोचित नहीं है कृपया इसके लिए पुनः विचार करें तो उचित होगा।

ह०
मुख्य अभियन्ता
(सिंचाई (उत्तर)
हनुमानगढ़ संगम

प्रपत्र "ख"

1. मांग संख्या 1 की क्रियान्विति हेतु चयनित वेतनमान देने हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

2 मांग संख्या 2 व 3 की क्रियान्विति हेतु निर्णय लिया गया था कि यूनियन पदाधिकारी रिट के निर्णय की प्रति संभाग कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है।

3. मांग संख्या 4 की क्रियान्विति हेतु वेतन श्रृंखला दिये जाने के दिनांक से ही चयनित वेतनमान दिये जाने हेतु सेवा की गणना किये जाने के लिए मुख्यालय स्तर से राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाये जा चुके है जिस पर अभी तक निर्णय अपेक्षित है (प्रति संलग्न है)।

4. मांग संख्या 5 की क्रियान्विति के क्रम में श्रमिकों को अधिशेष करने पर रोक लगा दी गई है तथा जांच कार्य प्रगति पर है।

5. मांग संख्या 6 के क्रम में कार्यवाही किये जाने हेतु रिक्त पदों की जानकारी में की जा रही है।

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 17 की प्रतिलिपि)

परिशिष्ट–'म,"

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग

सं. प. 5(14) वित्त/साविले/86–I/ जयपुर, दिनांक 28–2–1997

परिपत्र सं. 7/97

विषय : नई खरीद पर दिनांक 31–3–1997 तक प्रतिबन्ध ।

विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने की दृष्टि से समय के दबाव में की जाने वाली खरीददारी को नियन्त्रित करने तथा उनसे पैदा होने वाली सम्भावित प्रक्रियात्मक व वित्तीय अनियमितामों को रोकने के लिये शासन एतद् द्वारा आदेश प्रदान करते हैं कि समस्त विभाग दिनांक 31–3–1997 तक निम्न मदों में खरीददारी नहीं करेंगे :–

1. एयर कण्डीशनर्स, डेजर्ट कूलर्स, पंखे तथा बिजली के सामान,
2. फर्नीचर, आलमारियां, रैक्स, बाक्सेज व फिक्सर्स आदि,
3. मशीनरी, साज सामान, संयंत्र, फोटोकापीयर्स, कम्प्यूटर्स मय स्टेशनरी व सोफ्टवेयर, वाटर कूलर्स, वाहन के चेसिस पर बनने वाली बॉडी इत्यादि,
4. लेखन सामग्री,
5. भेषज एवं औषधि (अस्पताल में भर्ती रोगियों एवं पशु चिकित्सालय में भर्ती पशुओं के लिये अति आवश्यक मात्रा को छोड़कर),
6. वर्ष 1996–97 के लिये किये गये अनुबन्ध के तहत खरीददारी जो इस आदेश के जारी होने से पूर्व नहीं की गई हो ।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त इंजिनियरिंग विभाग (निर्माण वर्क्स) उक्त मद के अन्तर्गत 'स्टॉक सस्पेंस' तथा 'मिसलेनियस' पब्लिक वर्क्स एडवांस' में भुगतान

(डेबिट) पक्ष में वर्ष भर के लिए उपलब्ध संशोधित बजट प्रावधान का 80 प्रतिशत से अधिक उपयोग नहीं करेंगे।

3. इस आदेश के अन्तर्गत खरीददारी पर प्रतिबन्ध गैर आयोजना तथा आयोजना दोनों मदों पर लागू होगा। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत खरीद, जिनका पुनर्भरण आगामी माह में अपेक्षित है, पर लागू नहीं होगा।

4. विशेष, अपरिहार्य तथा अत्यावश्यक मामलों में इस प्रतिबन्ध में शिथिलता वित्त विभाग की पूर्व सहमति से दी जा सकेगी।

5. यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

ह०

(डा. आदर्श किशोर)

प्रमुख शासन सचिव, वित्त

परिशिष्ट "ब"

दी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन आफ राजस्थान से खरीदा गया सामान का विवरण

क्र. सं.	नाम आइटम	तारीख	दर
1	2	3	4
1.	हेन्ड आपरेटेड मोर्टार मिक्सचर	27-2-97	19,800/-
2.	ऑगर सैम्पलर कम्पलीट	10-3-97	5,400/-
3.	प्रोक्टर कम्पैक्शन एपरेटस कम्पलीट मय रेमर इत्यादि	11-3-97	7,500/-
4.	विभिन्न विद्युत सामग्री	28-4-97	विभिन्न आइटम विभिन्न दरें।
5.	मेटेलिक फाइबर गेज प्लेट एनग्रेण्ड	28-4-97	1,500/- प्रति
6.	सीमेण्ट कांक्रीट मिक्सचर वाईब्रेटर (डी. जी. एस. एण्ड डी. की दर पर क्रय किया गया है)	3-5-97	60,400/-

(154)

1	2	3	4
7.	पी. वी. सी. आमंड केबल वास्ते विद्युत कनेक्शन	7–6–97	300/–प्रतिमी.
8.	सोयल वाईब्रेटरी अर्थ कम्पेक्टर मय इंजन व गियर बाक्स 3–4 टन क्षमता	19–6–97	44,775/–
9.	कांक्रीट टेस्ट हेमर	5–7–97	15,000/–

नोट :– इनमें से केवल दो आइटम उक्त क्र. सं. 2 एवं 3 माह मार्च, 1997 में अर्थात् रोक लगाने के आदेश के बाद खरीदे गये, और राज्य सरकार के आदेशों में इन आइटमों की खरीद पर कोई रोक नहीं थी।

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 20 की सूची)

कार्यालय–पंचायत समिति लालसोट–दौसा

विद्यालयवार छात्र संख्या एवं कार्यरत अध्यापकों की संख्या

क्र. सं.	नाम प्राथमिक विद्यालय	छात्र संख्या	कार्यरत अध्यापक संख्या	50 छात्र के अनुपात में अध्या. की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	प्रा. वि. डिगो	122	3	—	
2.	प्रा. वि. गोल	133	2	1	
3.	,, रणवे	95	1	1	
4.	,, घाटा	60	1	1	
5.	,, खारीवाड़ा	67	1	1	
6.	,, इंडावा	71	1	1	
7.	,, शिवनन्दा	172	4	—	
8.	क. राजौली	117	3	—	
9.	प्रा. वि. डिडवाना	464	10	—	
10.	,, क. डिडवाना	135	3	—	
11.	,, धाकड़ा की ढाणी	127	2	1	
12.	,, टोरड़ा	133	3	—	
13.	,, रालावास	103	2	1	
14.	,, अख्याकला	107	1	1	
15.	,, मानपुरा	60	1	1	
16.	,, बुर्जा	35	1	—	
17.	,, नांगल	201	5	—	
18.	,, लाडपुरा	82	2	—	
19.	,, सालिग रामपुरा	107	2	1	
20.	,, भगवतपुरा	73	1	1	

1	2	3	4	5	6
21.	प्रा.वि. किराड़ी	84	1	1	
22.	,, मलोज II	97	2	—	
23.	,, पक्काघोरा	127	3	1	
24.	,, नारायणपुरा	74	2	—	
25.	,, मैरूवास	87	3	—	प्रतिनियुक्ति पर पं.स.
26.	,, खेडली	62	1	1	
27.	,, प्रहलादपुरा	81	2	—	
28.	,, थलोज I	99	3	—	एक अध्या.की प्रति नियुक्ति जिला परिषद
29.	,, उगरियाबास	82	2	—	
30.	,, मण्डावरी	205	5	—	
31.	,, सूरतपुरा	365	7	1	
32.	,, महाराजपुरा	148	2	1	
33.	,, हमीरपुरा (मालियान)	44	1	—	
34.	,, हमीरपुरा	119	2	1	
35.	,, खेडलाखुर्द	132	2	1	
36.	,, खानपुर	119	2	1	
37.	,, बासलक्ष्मीपुरा	94	2	—	
38.	,, कोठीवाली ढाणी	138	3	—	
39.	,, डिवाचली कलां	111	2	1	
40.	,, डिवाचली खुर्द	47	1	—	
41.	,, डिवाचली गूजरान	62	1	1	
42.	,, रामसर	76	2	—	
43.	,, छाबा	103	2	—	
44.	,, बिनौरी	103	2	—	
45	,, क. मण्डावरी	253	5	—	
46.	,, श्यामपुरा खुर्द	83	2	—	

1	2	3	4	5	6
47.	प्रा. वि. किशोरपुरा गूजरान	27	1	—	
48.	,, सोनड	182	4	—	
49.	,, मयपुर	211	2	2	
50.	,, रामनगर रेबड़ी	74	2	—	
51	,, बाढ़ बड़वा	64	2	—	
52.	,, स्वरूपपुरा	75	2	—	
53.	,, मनबा का बास	57	1	1	
54.	,, शिशोदिया	94	1	1	
55.	,, जगनेर तुर्कान	86	3	—	
56.	,, कंबरपुरा	58	1	1	
57.	,, कल्लावास	140	4	—	+1
58.	,, क. कल्लावास	118	2	1	
59.	,, गुढ़ा सम्पतपुरा	89	1	1	
60	,, सीगपुरा	148	1	2	
61.	,, इटियावास	180	2	2	
62.	,, कल्याणपुरा	138	3	—	
63.	,, मोहनपुरा	126	2	1	
64.	,, जीतपुर	85	2	—	
65.	,, सीपली पातलबास	172	4	—	
66.	,, जगनेर नेहड़ी	142	3	—	
67.	,, गोपालपुरा	188	2	2	
68.	,, मोहम्मदपुरा	187	3	1	
69.	,, रामचन्द्रपुरा	91	2	—	
70.	,, सहसपुरा	62	1	1	
71.	,, पनेहड़ी जसवन्तपुरा	36	1	—	
72.	,, राहूबास	181	4	—	
73.	,, घोली	112	2	1	

1	2	3	4	5	6
74.	वि.प्रा. बाडोली	38	2	—	+1
75.	,, झूपडिया राजाबास	90	4	—	+2
76.	,, चोडियावास	58	1	1	
77.	,, खेमपुरी	126	2	1	
78.	,, ढोलाबास	256	5	—	
79.	,, टोडामीना	139	4	—	+1
80	,, गोलाई	62	2	—	
81.	,, शाहजहानपुरा	81	2	—	
82.	,, मावता	130	2	1	
83.	,, अलीपुरा	124	3	—	
84.	,, रामपुरा कलां	88	2	—	
85.	,, रामपुरा मीनो की ढाणी	39	1	—	
86.	,, हामाबास	99	3	—	+1
87.	,, चकचांदपुरा	23	1	—	
88.	,, अरनिया खुर्द	57	1	1	
89.	,, शिवसिंहपुरा	243	5	—	
90.	,, दौलतपुरा	353	5	2	
91.	,, क. दौलतपुरा	57	1	1	
92.	,, अनूपपुरा	159	2	1	
93.	,, समेल I	162	2	2	
94.	,, समेल II	112	2	1	
95.	,, राजपुरा	104	2	—	
96	,, मटलाना	127	2	1	
97.	,, रूपपुरा	65	1	1	
98.	,, क. तलावगांव	114	3	—	
99.	,, गूढडिया	133	1	2	
100.	,, कर्णपुरा	106	1	1	

1	2	3	4	5	6
101.	प्रा. वि. बरेड़ी	194	3	1	
102.	,, लाखनपुर	144	2	1	
103.	,, भेडियाबास	57	1	1	
104.	,, कोकरिया	80	1	1	
105.	,, जयसिंहपुरा	80	1	1	
106.	,, गूजरहेड़ा	46	1	—	
107.	,, विजयपुरा	76	1	1	
108.	,, गोविन्दपुरा	81	2	—	
109.	,, मोज्याड़ा	31	1	—	
110.	,, बिलौना	158	4	—	
111.	,, क. बिलानौ	100	2	—	
112.	,, बड़ेखन I	130	3	—	
113.	,, बड़ेखन II	83	2	—	
114.	,, टोड़ाधामा	201	5	—	+1
115.	,, सुन्दरपुर	139	3	—	
116	,, सुखचैनपुरा	76	2	—	
117.	,, रामपुरा खुर्द	121	3	—	
118.	,, मामावास	77	1	1	
119.	,, कानलौढा	66	2	—	
120.	,, बाड़ाबाढ़	87	2	—	
121.	,, देवलठा	72	2	—	
122.	,, अलीपुरा	86	2	—	
123.	,, अचलपुरा	58	1	1	
124.	,, रामपुरा	87	1	1	
125.	,, महारिया	211	5	—	
126.	,, रामगढ़ पचवारा	416	7	1	
127.	,, कुशलपुरा	162	2	2	

(160)

1	2	3	4	5	6
128.	प्रा. वि. बीजलबास	148	2	1	
129.	,, भाबानेरी	96	2	—	
130.	,, नापा का बास	172	2	2	
131.	,, नौरंगपुरा	129	2	1	
132.	,, बीहोली	170	3	1	
133.	,, डोबला खुर्द	124	2	1	
134.	,, श्रीया	121	2	1	
135.	,, हमीरपुरा	110	2	1	
136.	,, देहलाल	145	3	—	
137.	,, दयालपुरा	83	1	1	
138.	,, सुलतानपुरा	52	1	1	
139.	,, चारणवास	47	1	—	
140.	,, डाबरकला	32	1	—	
141.	,, राणोली	110	3	—	
142.	,, गण्डलाई	74	1	1	
143.	,, सवासा	203	4	—	
144.	,, बाढ़नोन्दपुरा	79	1	1	
145.	,, चैनपुरा खुर्द	94	2	—	जि.प. प्रतिनियुक्ति पर
146.	,, प्रेमपुरा	72	1	1	
147.	,, थूणिया चिराजपुरा	130	2	1	
148.	,, भ्रजबपुरा	90	2	—	
149.	,, पट्टी चिमनपुरा	68	1	1	
150.	,, चिमनपुरा	125	2	1	जि.प. प्रतिनियुक्ति पर
151.	,, रामसिंहपुरा	72	1	1	
152.	,, नालाबास	119	2	1	
153.	,, गोकुलपुरा	138	1	2	
154.	,, मारमल का बास	63	1	1	

1	2	3	4	5	6
155.	प्रा.वि. [illegible]	77	2	—	
156.	,, रायमलपुरा	78	1	1	
157.	,, निर्झरना	123	2	1	
158.	,, का. निर्झरना	104	2	—	
159.	,, सूरजपुरा	102	2	—	
			349		
	10		2	प्रति नियुक्ति जि. प	
			1	निलम्बित	
	उ. प्रा. वि. काकरिया		2		
	उ. प्रा. वि. खटूम्बर		1		
	कुल योग	18224	355		

ह०
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, लालसोट

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 24 की सूची)

कार्यालय पंचायत समिति डेगाना जिला नागौर (राजस्थान)
पंचायत समिति के अधीन स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्रमांक	नाम विद्यालय मय गांव	क्रमांक	नाम विद्यालय मय गांव
1.	टंकीपुरा (गौरेडी चाचा)	2.	मंजू जोधा (कन्या) गौरेडी चाचा
3.	मीठडिया (मीठड़िया)	4.	गुन्दीसर (गुन्दीसर)
5.	महिया की ढाणी (गुन्दीसर)	6	किरड़ (किरड़)
7.	बाज्यों की ढाणी (किरड़)	8.	बामण खालसा (बामण खालसा)
9.	बामणा जागीर (बामण जागीर)	10.	रैंवत (रैंवत)
11.	तामडोली (तामड़ोली)	12.	हिम्मत नगर (हिम्मत नगर)
13.	जावा (जावा)	14.	धाणा (धाणा)
15.	चारणास (चारणास)	16.	कितलसर
17.	रावलियास	18.	नूंद
19	हुबचर	20.	डूकियासर
21.	जाखेड़ा	22.	राजापुरा
23.	कुतियासनी खुर्द	24.	भंवरयिर
25.	डावोली खारी	26.	कवाल
27.	महियासर (चुई)	28.	सौवा की ढाणी (मांझी)
29.	कागटों की ढाणी (जाखेड़ा)	30.	कुतियासनी कलां
31.	गुजरों की ढाणी (चुई)	32.	रैंगरांन बस्ती (मांझी)
33.	सांजू	34.	दागड़ी
35.	खींवताणा	36.	चरड़ास
37.	जैतपुरा	38.	दागड़ा
39.	प्रासण (खींवताणा)	40.	सौवा की ढाणी (बरणा)
41.	धुणा की ढाणी (बरणा)	42.	भारली
43.	खुड़ी कलां	44.	पण्डवाला

1	2	1	2
45.	जोधड़ास	46.	अलवास
47.	चुड़ियास	48.	बच्छवास
49.	मादवासी	50.	दुगौर दासां
51.	दुगौर अंचला	52.	रातड़ियों की ढाणी (खुड़ी खुर्द)
53.	किलकों की ढाणी (मारली)	54.	रायकों की ढाणी (बरणा)
55.	खुड़ी खुर्द	56.	दूधड़ास
57.	जालसू मनानक (छा)	58.	जालसू नानक कन्या
59.	सुखवासनी	60.	गेमलियास
61.	खिदास	62.	खातोलाई
63.	आंतरोली खुर्द	64.	डूगरास
65.	निम्बोला खुर्द	66	निम्बोला पुरोहितां
67.	देवला मादा	68.	बिच्छपुड़ी
69.	चकढाणी	70.	सांवलियास
71.	बाण्ड की ढाणी (सांवलियास)	72.	करा सोडा
73.	खियास	74.	खारिया कलां
75.	खारिया की ढाणी	76.	खारिया खुर्द
77.	नैणास	78.	पोलास
79.	बाज्यो की ढाणी (नूपास)	80.	जूनी बच्छवारी
81.	आकेली बी	82.	सिघलास
83.	ढाढरियां कलां	84.	मण्डा की ढाणी (ढाढरियां कलां)
85.	हरसौर	86.	गुलाबपुरा
87.	मुण्डेलपुरा	88.	चूड़ियास
89.	लूणियास	90.	मेहराणा
91.	मवाल चारणान	92.	निमड़ी कलां
93.	निमड़ी कोठार	94.	रलियावता
95.	कलां का बास	96.	माण्डल देवा
97.	खारोलवास	98.	कुम्हारों की ढाणी (आच्छोजाई)
99.	लवादर	100.	रामगढ़

1	2	1	2
101.	ईडवा	102.	मोडरिया
103.	सुदरी	104.	चाचियास
105.	राणास	106.	उदियास
107.	सीरासना (छात्र)	108.	सीरासना कन्या
109.	पूनियास	110.	केरियां सवा
111.	पालियास की ढाणी (पालियासै)	112.	प्राच्छोजाई
113.	नथावड़ी	114.	बेड़ास कलां
115.	बिखरनियां कलां	116.	बिखरनियां खुर्द
117.	सुरपुरा	118.	ईटावड़ा लाड़
119.	ईटावड़ा भोजा	120.	खानपुरा
121.	भूकरों की ढाणी (पालड़ी)	122.	पेचरण्डा खुर्द
123.	गोठड़ा	124.	छाजों की ढाणी (पालड़ी)

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति डेगाना

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 31 की सूची)

ग्रा. पं. नरेना के द्वारा वर्ष 1994–95 में किये गये विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	योजना	स्वीकृत कार्य	व्यय राशि	भौतिक स्थिति	वि.वि.
	1994–95					
1.	विभिन्न मोहल्लों में नाली निर्माण का कार्य	ज. रो. यो.	200,000	1,11.882	अपूर्ण	
	1995–96					
2.	विभिन्न मोहल्लों में नाली निर्माण व मरम्मत कार्य नरेना	ज. रो. यो. निजि आय	50,000	54774	पूर्ण	
3.	—"—	निजि आय	50,000	37266	पूर्ण 2000 रु. पेशाब घर	
	1996–97					
4.	राज. आयुर्वेदिक औषधालय मरम्मत कार्य नरेना	ज. रो. यो	15000	5818	अपूर्ण	
5.	विभिन्न मोहल्लों में रास्ता सुधार कार्य	"	20,000	19832	पूर्ण	
6.	सार्वजनिक विश्राम गृह निर्माण बस स्टेण्ड नरेना	"	1,20,000	1,20,000	अपूर्ण	

165

1	2	3	4	5	6	7
7.	बस स्टेण्ड से मून्दड़ा जी के घर तक सड़क निर्माण (सीमेंट)	निजी आय	200,000	18,55,86	पूर्ण	
8.	पंचायत भवन से मून्दड़ा जी के घर तक	"	200,000	1,93,438	पूर्ण	
9.	हरिजन मोहल्ले से मून्दड़ा जी के घर तक (97–98)	"	200,000	1,94,942	पूर्ण	
10.	पुलिया निर्माण का कार्य	"	11,000	10628	पूर्ण	
11.	रास्ता दुरस्ती कार्य विभिन्न मोहल्लों में नरेना (वर्षा से क्षतिग्रस्त)	"	25000	24500	पूर्ण	
12.	—"— ढाणी बेरियान	"	35000	34628	पूर्ण	

नोट :—वर्ष 1997–98 के दौरान ज. रो. यो. में कोई भी कार्य शुरू नहीं किया गया है।

ह०
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, दूदू (जयपुर)

ह०
कनिष्ठ अभियन्ता,
सामुदायिक विकास,
पंचायत समिति, दूदू

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 32 की सूची)

ग्रा. पं. नरेना के ग्राम नवरंगपुरा में वर्तमान सरपंच के द्वारा करवाये गये विभिन्न कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	योजना	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	भौतिक स्थिति	वि.वि.
1.	खुर्रा निर्माण का कार्य, नवरंगपुरा	निजि आय	20,000/–	94–95— 12,854-00 95–96— 6,884.00 योग— 19,738-00	पूर्ण	
2.	प्रा.विद्यालय नवरंगपुरा चार दीवारी निर्माण कार्य	अकाल वर्ष 96-97 राहत	2,00,000/–	9,15,200	अपूर्ण	जांच कार्य जिला परिषद कार्यालय में विचाराधीन
3.	नाली निर्माण कार्य नवरंपुरा	निजी आय 96-97	5,00/–	2,616-00	अपूर्ण	
4.	ग्राम रास्ता दुरस्ती खुर्रा से नोरंगपुरा तक	निजि आय 97-98	40,000/–	1650-00	अपूर्ण	

ह०

विकास अधिकारी

पंचायत समिति दूदू (जयपुर)

ह०

कनिष्ठ अभियन्ता,

सामुदायिक विकास

पंचायत समिति, दूदू